PERFECT 7
FORTNIGHTLY CURRENT AFFAIRS

अप्रैल 2022 / Issue -2

ipcc
INTERGOVERNMENTAL PANEL ON
climate change

THE NON-ALIGNED MOVEMENT
NAM

- भारत, रूस तथा चीन का त्रिकोण : सहयोग तथा विवाद
- आपराधिक दंड प्रक्रिया (पहचान) विधयेक , 2022
- क्रिप्टोकरेंसी पर साइबर हमला
- जलवायु परिवर्तन पर आईपीसीसी की रिपोर्ट
- वर्तमान विश्वव्यवस्था में गुटनिरपेक्षता की प्रासंगिकता
- भारत के तकनीकी विनियमों के पुनर्मूल्यांकन का समय
- भारत द्वारा ऊर्जा सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, खनिज संपदा पर केंद्रित आर्कटिक नीति

dhyeyaias.com

ध्येयIAS®
most trusted since 2003

ध्येय IAS®
most trusted since 2003

IAS / PCS
TARGET 2023-24

PMI

(PRE+MAINS+INTERVIEW)
Programme-2022-23

Starting From
8th May 2022

FEATURES :

- Short, concise and UPSC /UPPSC trend oriented syllabus .
- Topic wise preparation.
- Research and analysis of evolving trends of questions by team of dedicated experts.
- Special attention to Prelims, Mains and Personality test.
- Comprehensive coverage of UPSC, UPPSC & other states exam syllabus within 1 year with specific publications by Government of India.
- First phase (January to June-06 months)- full foundation syllabus coverage based on NCERT of Class 6th to 10th with current affairs for targetting UPSC ,UPPSC & other examination.
- Second phase (July to December-06 months)- advance syllabus coverage based on NCERT of Class 11th & 12th with current affairs.
- Personality evaluation and feedback with every PMI exam.

Fee :
(Including GST)

☞ **For Dhyeya Students : Rs. 2,000/-**

☞ **For Other Students : Rs. 5,000/-**

This Fee is valid for 12 Months consisting 12 Tests.

9205274741 / 42

www.dhyeyaias.com

ध्येयIAS®
most trusted since 2003

PMI SCHEDULE, 2022-23

S.No.	Month	Prelims Date (2nd Sunday of every month)	Mains Date (3rd Sunday of every month)	Interview Date
1.	May, 2022	08/05/2022	15/05/2022	Last Sunday of every month
2.	June, 2022	12/06/2022	19/06/2022	Last Sunday of every month
3.	July, 2022	10/07/2022	17/07/2022	Last Sunday of every month
4.	August, 2022	14/08/2022	21/08/2022	Last Sunday of every month
5.	September., 2022	11/09/2022	18/09/2022	Last Sunday of every month
6.	October, 2022	09/10/2022	16/10/2022	Last Sunday of every month
7.	November, 2022	13/11/2022	20/11/2022	Last Sunday of every month
8.	December, 2022	11/12/2022	18/12/2022	Last Sunday of every month
9.	January, 2023	08/01/2023	15/01/2023	Last Sunday of every month
10.	February, 2023	12/02/2023	19/02/2023	Last Sunday of every month
11.	March, 2023	12/03/2023	19/03/2023	Last Sunday of every month
12.	April, 2023	09/04/2023	16/04/2023	Last Sunday of every month

☞ These allotted dates are tentative and subject to change under special circumstances.

9205274741 / 42

www.dhyeyaias.com

Director's Message

Mr. Vinay Kumar Singh

हम इस मंत्र में विश्वास रखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय है; प्रत्येक व्यक्ति निपुण है एवं प्रत्येक व्यक्ति में असीमित क्षमता है। ध्येय IAS हमेशा से आत्मप्रेरणादायक मार्गदर्शन को प्रोत्साहित करता रहा है जिससे कि छात्रों के भीतर ज्ञान का सृजन हो सके। शिक्षा प्रदान करने का उद्देश्य ज्ञान के सृजन, प्रसार एवं अनुप्रयोग को एकीकृत रूप में पिरोकर एक सह-क्रियाशील प्रभाव उत्पन्न करना है। ध्येय IAS हमेशा से ही छात्रों के भीतर मानवीय मूल्यों एवं सत्यनिष्ठा को विकसित करने का पक्षधर रहा है जिससे कि उनमें निर्णय लेने की क्षमता का विकास हो और वे एक ऐसी परिस्थिति का सृजन करें जो न सिर्फ उनके लिए बल्कि समाज, राष्ट्र और विश्व के लिए भी बेहतर हो। ध्येय IAS नये और प्रभावशाली तरीकों से अपने इस मिशन को पूरा करने के लिए प्रत्येक छात्र को हर प्रयास में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। इसके लिए हम निरंतर और निर्बाध रूप से अपने अध्ययन कार्यक्रम और शिक्षण पद्धति में परिवर्तन एवं परिमार्जन करते रहते हैं।

सिविल सेवा परीक्षा का पाठ्यक्रम प्रतियोगी छात्रों में केवल ज्ञान के प्रति जुनून ही नहीं उत्पन्न करता है बल्कि यथार्थ जीवन में उसका प्रयोग भी सिखाता है। ध्येय IAS प्रतियोगी छात्रों के सम्पूर्ण व्यक्तित्व का विकास करता है। साथ ही उनमें ईमानदारी एवं सत्यनिष्ठा जैसे मूल्यों का भी सृजन करता है।

Yours very truly,

Vinay Kumar Singh
CEO and Founder

Mr Q H Khan

ध्येय IAS एक ऐसा संस्थान है जिसका लक्ष्य हमेशा से ही छात्रों के समग्र विकास का रहा है। हमारे संस्थान के शिक्षक अपने-अपने विषय के विशेषज्ञ होते हैं जिससे कि छात्रों को प्रत्येक विषय में अधिकतम मदद प्राप्त हो सके। यह एक ऐसा बहुमुखी संस्थान है जहां छात्रों को उच्चस्तरीय कक्षाओं और समृद्धशाली अध्ययन सामग्री के साथ-साथ हरसंभव सहायता उपलब्ध करायी जाती है।

आज ध्येय IAS सिविल सेवा परीक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी पहचान रखता है, क्योंकि हम उच्चस्तरीय एवं गुणवत्तापूर्ण प्रदर्शन में विश्वास रखते हैं। हम छात्रों को ज्ञान की परिधि बढ़ाने के लिए निरंतर प्रोत्साहित करते रहते हैं ताकि वे पाठ्यक्रम के दायरे से सदैव दो कदम आगे रहें। हमारा मुख्य उद्देश्य छात्रों को उनकी आन्तरिक क्षमता का बोध कराना होता है जिससे कि वे अपनी एक अलग पहचान बनाकर कल के समाज का कीर्तिमान बन सकें।

Yours very truly,

Q H Khan
Managing Director

प्रस्तावना

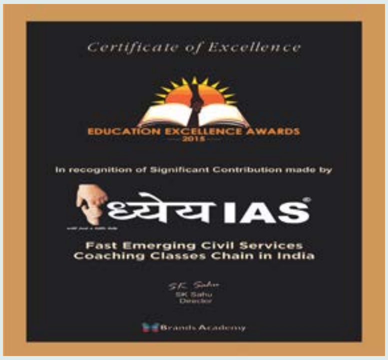

समसामयिक मुद्दे अथवा करेंट अफेयर्स संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा आयोजित परीक्षाओं में अति महत्वपूर्ण स्थान रखता है. राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर प्रासंगिक सूचनाओं से जुड़ाव होना अभ्यर्थियों के लिए काफी जरूरी समझा गया है और इसी जरूरत को पूरा करने के लिए परफेक्ट 7 मैगजीन को विद्यार्थी जगत के समक्ष माह में दो बार रखा जा रहा है. आईएस और पीसीएस की तैयारी तभी पूर्ण मानी जाती है जब प्रारंभिक, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू स्तर की गतिशील प्रकृति के तथ्यों और विश्लेषणों को आप सभी तक समावेशी रूप में रखा जाय. परफेक्ट 7 मैगजीन इसी विजन और दृष्टिकोण को ध्यान में रखती है और विद्यार्थियों की कंटेंट के स्तर पर बहुआयामी जरूरतों को समझती है. इसीलिए इस मैगजीन को करेंट अफेयर्स के साथ साथ सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण खंडों से जुड़े अति प्रासंगिक कंटेंट के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है. एक तरफ जहां करेंट अफेयर्स के स्तर पर सबसे पहले मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए 7 ज्वलंत विषयों पर समसामयिक लेखों को, पेपर 4 के लिए एथिक्स की केस स्टडीज को, स्वतंत्रता आंदोलन और अन्य क्षेत्रों से जुड़े व्यक्तित्वों के जीवन और भूमिक. ाओं, सामान्य अध्ययन के विविध खंडों के सर्वाधिक उपयोगी विषयों पर मुख्य परीक्षा के स्तर पर कवरेज दिया जा रहा है, वहीं प्रारंभिक परीक्षा के स्तर पर एक माह के 14 सबसे महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स के मुद्दों को कवर किया जा रहा है जिसमें सर्वाधिक जोर पर्यावरण पारिस्थितिकी, कला और संस्कृति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी , अर्थव्यवस्था के मुद्दों पर है. शब्दावली और अन्य आयामों एक छोटा खंड भी परफेक्ट 7 मैगजीन का पार्ट होगा.

विद्यार्थियों की संकल्पना के स्तर पर समझ को बढ़ाने के लिए ब्रेन बूस्टर्स को 7 ग्राफिक्स के जरिये विषय को संक्षेप और सारगर्भित रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है. इसके अलावा सिविल सर्विसेज की परीक्षा में प्रमुखता से पूछे जाने वाले ग्लोबल इनिशिएटिव्स, वैश्विक संस्थाओं, संगठनों की संरचना, कार्यप्रणाली, महत्वपूर्ण रिपोर्ट्स, सूचकांकों पर अपडेटेड जानकारी इस पत्रिका में शामिल रहेगी. इस मैगजीन को केवल तथ्यों या केवल एनालिसिस पर जोर देते हुए नही बनाया गया है बल्कि इस मैगजीन का विजन यह है कि सिविल सेवा के प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के उभरते हुए ट्रेंड्स और प्रश्नों की नई प्रकृति को देखते हुए हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों को एक ऐसी समावेशी मैगजीन उपलब्ध कराई जाए जिससे वे सिविल सेवा एग्जाम की नई जरूरतों को समझते हुए अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे सकें. हमें उम्मीद हैं कि परफेक्ट 7 अपने नए रूप में आप लोगों के लिए बेहद उपयोगी साबित होगा और इसके साथ ही आप सभी के सुझावों का स्वागत रहेगा.

विनय कुमार सिंह
सम्पादक
ध्येय **IAS**

ध्येयIAS®
most trusted since 2003

PERFECT 7 TEAM

संपादक	• विनय कुमार सिंह
प्रबंध निदेशक	• क्यू. एच. खान
सहसंपादक	• गौतम तिवारी
उप-संपादक	• आशुतोष मिश्र • सौरभ चक्रवर्ती
प्रकाशन प्रबंधक	• डॉ.एस.एम.खालिद
संपादकीय सहयोग	• प्रिंस, अमन, गौरव चौधरी, देवेंद्र सिंह, लोकेश शुक्ल
मुख्य लेखक	• विवेक ओझा
सहायक लेखक	• मृत्युंजय त्रिपाठी,
मुख्य समीक्षक	• ए.के श्रीवास्तव • विनीत अनुराग • बाघेन्द्र सिंह
आवरण सज्जा एवं विकास	• प्रगति केसरवानी • पुनीष जैन
टंकण	• सचिन • तरून
कार्यालय सहायक	• राजू , चन्दन, अरुण

साभार : PIB, द हिंदु, इंडियन एक्सप्रेस, जनसत्ता, दैनिक जागरण, डाउन टू अर्थ, इकनोमिक एंड पोलिटिकल वीक्ली, योजना, कुरुक्षेत्र, द प्रिंट

DHYEYA EDUCATIONAL SERVICES PVT. LTD.
AN ISO 9001:2008 COMPANY

Face to Face Centres

MUKHERJEE NAGAR	: 9205274741, 9205274742
RAJENDRA NAGAR	: 9205274743
LAXMI NAGAR	: 9205212500, 9205962002
ALLAHABAD	: 0532-2260189, 8853467068
LUCKNOW (ALIGANJ)	: 0522-4025825, 9506256789
LUCKNOW (GOMTINAGAR)	: 7234000501, 7234000502
GREATER NOIDA	: 9205336037, 9205336038
KANPUR	: 7887003962, 7897003962
BHUBANESWAR	: 8599071555
SRINAGAR (J&K)	: 9205962002

PERFECT 7
FORTNIGHTLY CURRENT AFFAIRS

विषय सूची

समसामयिक लेख ———————— 1-14

- भारत, रूस तथा चीन का त्रिकोण : सहयोग तथा विवाद
- आपराधिक दंड प्रक्रिया (पहचान) विधयेक , 2022
- क्रिप्टोकरेंसी पर साइबर हमला
- जलवायु परिवर्तन पर आईपीसीसी की रिपोर्ट
- वर्तमान विश्वव्यवस्था में गुटनिरपेक्षता की प्रासंगिकता
- भारत के तकनीकी विनियमों के पुनर्मूल्यांकन का समय
- भारत द्वारा ऊर्जा सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, खनिज संपदा पर केंद्रित आर्कटिक नीति

संक्षिप्त मुद्दे राष्ट्रीय ---------------- 15-16

संक्षिप्त मुद्दे अंतर्राष्ट्रीय ---------------- 17-18

संक्षिप्त मुद्दे पर्यावरण ---------------- 19-20

संक्षिप्त मुद्दे विज्ञान एवं तकनीक ---------------- 20-22

संक्षिप्त मुद्दे आर्थिक ---------------- 22-23

राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय घटनाओं की महत्वपूर्ण खबरें --------- 24-26

समसामयिक घटनाएं एक नजर में ---------------- 27

ब्रेन बूस्टर ---------------- 28-34

पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण तथा समसामयिक
बहुविकल्पीय प्रश्न ---------------- 35-38

GS Paper IV के लिए हल केस स्टडी ---------------- 39

व्यक्ति विशेष ---------------- 40

इतिहास विषय की शब्दावलिया ---------------- 41

OUR OTHER INITIATIVES

UDAAN TIMES
Putting You Ahead of Time...
Hindi & English Current Affairs Monthly News Paper

DHYEYA TV
Current affairs Programmes hosted by Mr. Qurban Ali
Ex. Editor RSTV) & by Dhyeya Team
Broadcasted on YouTube & Dhyeya TV

सात महत्वपूर्ण मुद्दे

भारत, रूस तथा चीन का त्रिकोण: सहयोग तथा विवाद

सन्दर्भ

हाल ही में रूस के विदेशमंत्री द्वारा भारत का दौरा किया गया। ध्यातव्य हो कि इस दौरे के पूर्व रूस के विदेशमंत्री चीन का दौरा भी कर चुके हैं। अत: यह स्पष्ट है कि संकट के समय रूस आरआईसी के प्लेटफॉर्म को मजबूत करने का प्रयास कर रहा है।

परिचय

रूस-यूक्रेन संकट के मध्य रूस के विदेश मंत्री श्री सर्गेई लावरोव ने 31 मार्च -1 अप्रैल 2022 के मध्य भारत की आधिकारिक यात्रा की है। इस दौरान वे भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर तथा भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से मिले। ध्यातव्य हो कि इसके पूर्व चीन के विदेशमंत्री ने भारत की यात्रा भी की थी। रूस के विदेशमंत्री ने कई मुद्दा. ें यथा अफगानिस्तान संकट, यूक्रेन संकट, रुपया-रुबेल ट्रांजेक्शन, भारत के साथ चिर स्थायी मित्रता तथा संतुलित विश्व पर भा. रतीय समकक्ष से बात चीत की। भारतीय प्रधानमंत्री से मुलाकात के उपरान्त इन्होंने चीन तथा भारत के मध्य हो रहे विवादों पर भी बात की।

ध्यातव्य हो कि भारत दौरे के पूर्व रूस के विदेशमंत्री ने चीन का भी दौरा किया जहाँ वे अफगानिस्तान संकट पर हो रहे विदेशमंत्रियों की वार्ता में सम्मिलित होने गए थे। इस प्रकार यह कयास लगाए जा रहे हैं कि रूस संकट के समय आरआईसी को मजबूत करने का प्रयत्न कर रहा है।

आरआईसी : एक परिचय

आरआईसी (रूस इंडिया चीन) त्रिकोण की संकल्पना 1998 में रूस के विदेश मंत्री प्रिमाकोव के द्वारा की गई थी । शीतयुद्धोत्तर काल में लाये गए इस त्रि. कोण का मुख्य उद्देश्य एकध्रुवीय विश्व को बहुध्रुवीय विश्व में परिवर्तित करने से था। हालाँकि इसे पूर्णरूप से एंटी-अमेरिकन नहीं कहा जा सकता था क्योंकि तीनों देशों ने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ अपने संबंधों को अपनी वैश्विक महत्वाकांक्षाओं के लिए एक आवश्यक तत्व माना था। हालाँकि यह त्रिकोण अमेरिकी प्रभुत्व को चुनौती अवश्य दे रहा था।

इन तीनो देशो ने व्यापार, कृषि , आपदा प्रबंधन , स्वास्थ्य , प्राकृतिक गैस , ईंधन इत्यादि पर सहयोग स्थापित किया। इसके साथ ही इस त्रिकोण में पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी तथा सांस्कृतिक आदान-प्रदान पर भी चर्चाएं की गई।

आरआईसी की स्थापना के पीछे के मुख्य कारण

रूस का पक्ष :

- सोवियत संघ के विघटन के उपरान्त नाटो का प्रभाव रूस के निकटवर्ती देशो (जो पहले सोवियत संघ का अंग थे) में बढ़ने लगा। पूर्वी यूरोप के कई देश नाटो में सम्मिलित हो गए जबकि यथा यूक्रेन , जार्जिया पर भी नाटो का प्रभाव दिखने लगा। देशो में एकदलीय सरकारों के स्थान पर लोकतंत्र का आना रूस को अमेरिकी विचारधारा के बढ़ते प्रभाव के रूप में दिख रहा था। हालिया रूस-यूक्रेन युद्ध का सबसे बड़ा कारण यूक्रेन द्वारा नाटो की सदस्ता के प्रयास को बताया जा रहा है।
- रूस अपने पूर्ववर्ती क्षेत्र (सोवियात संघ) के देशो में कमजोर हो रहा था तथा उसे अपनी शक्ति बढ़ाने तथा अमेरिका को प्रतिसंतुलित करने हेतु नवीन सहयोगियों की आवश्यकता हुई।

चीन का पक्ष :-

- सोवियत संघ के विघटन के उपरान्त अमेरिका की विदेश नीति चीन केंद्रित हो गई। अमेरिका द्वारा ताइवान , तिब्बत की स्वायत्ता का समर्तहन किया गया जिसे चीन ने अपनी सम्प्रभुता पर आक्षेप माना। एशिया प्रशांत क्षेत्र में चीन की शक्ति को कम करने के लिए अमेरिका अपने 60% से अधिक सैन्य बल को यहीं तैनात कर रहा था
- इसके साथ ही दक्षिणी चीन सागर में चीन के प्रभाव को कम करने हेतु प्रयत्नशील था। इसके साथ ही चीन यह मानता है कि हांगकांग में हो रहे आंदोलनों को पश्चिमी देशो का समर्थन प्राप्त है। अत: चीन को भी नए सहयोगियों की आवश्यकता पड़ी।

भारत का पक्ष :-

- प्रारम्भ से ही अमेरिका द्वारा पाकिस्तान को आर्थिक सहायता दी जा रही है जिसका प्रयोग पाकिस्तान द्वारा भारत के विरुद्ध प्रत्यक्ष युद्ध तथा आतंकवाद को सहायता के रूप में किया जा रहा था।
- 1998 में पोखरण के परमाणु विस्फोट के उपरान्त भी अमेरिका द्वारा भारत पर प्रतिबन्ध लगाए गए थे। अमेरिका ने पर्यावरण तथा विश्व व्यापार संगठन के मुद्दों पर भी अन्य देशो पर दबाव बनाया जिसका भारत ने विरोध किया।

इस प्रकार तीनो देशो के साझा हितो के फलस्वरूप आरआईसी का निर्माण हुआ।

आरआईसी में सहयोग के विन्दु :-

ऐतिहासिक सहयोग

- भारत तथा रूस एक दुसरे के परम्परागत सहयोगी हैं। इसी प्रकार ऐतिहासिक समय में भारत तथा चीन भी सहयोगी रहे हैं। रूस तथा चीन में भी आपसी सामंजस्य है जो आरआईसी को मजबूत बनाता है।

साझा उद्देश्य

- ये तीनो ही देश बहुध्रुवीय विश्व के पक्षधर हैं। वर्तमान समय में हम वैश्विक पटल पर अमेरिकी प्रभुत्व में कमी देख रहे हैं जिसमे इन तीनो देशो का महत्वपूर्ण योगदान है। तीनो ही देश संतुलित विश्व के पक्षधर हैं। पर्यावरण के मुद्दे पर भी ये तीनो देश एक दूसरे के सहयोगी हैं।

शंघाई सहयोग संगठन :-

- भारत शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) में है, जो रूस और चीन द्वारा संचालित है। हालाँकि इस संगठन में चार अन्य मध्य एशियाई देश भी सम्मिलित हैं। शंघाई सहयोग संगठन को एशियाई नाटो के रूप में भी जाना जा रहा है। इसके साथ ही यदि इनमे मुक्त व्यापार समझौता होता है तो यह विश्व के सबसे बड़े बाजार के रूप में आगे आ सकता है।
- यह रणनैतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यह क्षेत्र एशिया तथा यूरोप को कनेक्ट करता है। एससीओ की पाकिस्तान की सदस्यता तथा ईरान संभावित प्रवेश (सदस्य राज्यों के रूप में) ने भारत के लिए एससीओ के महत्व को बढ़ाया। कहीं न कहीं इस संगठन में अनौपचारिक रूस-चीन की गठजोड़ का परीक्षण हो रहा है कि रूस इस क्षेत्र में राजनीतिक-सुरक्षा मुद्दों को संभालता है और चीन आर्थिक सहायता प्रदान करता है। भारत के लिए इस क्षेत्र में रूस-चीन की गतिशीलता को आकार देना महत्वपूर्ण है।

ब्रिक्स

- ब्रिक्स संगठन भी इन तीनो देशो को एक साझा मंच प्रदान करता है। जहाँ इन तीनो के अतिरिक्त ब्राजील तथा दक्षिण अफ्रीका जैसे महत्वपूर्ण देश हैं।वर्तमान समय में ब्रिक्स सर्वाधिक गति से आर्थिक वृद्धि प्राप्त करने वाला संगठन है। जो इन तीनो देशो को एक मंच प्रदान करता है।

तीनो देशो का आपसी सहयोग :-

- रूस, भारत की ऊर्जा सुरक्षा तथा रक्षा सुदृढ़ता हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण भागीदार है। रूस के प्राकृतिक संसाधन भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत कर सकते हैं।
- भारत तथा चीन के मध्य आपसी व्यापार (हालिया सीमा तनाव के पूर्व) लगातार बढ़ रहा था। इन देशो के बाजार भारत के मेक इन इंडिया जैसे योजनाओ हेतु उपयोगी सिद्ध होंगे।

आरआईसी में विवाद के मुख्य विन्दु

- वर्तमान समय में भारत यूरेशियन राजनीति से हटकर इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में ध्यान केंद्रित कर रहा है। जिसके लिए भारत का ध्यान आरआईसी से हटकर क्वाड (भा. रत, अमेरिका, आस्ट्रलिया तथा जापान) की तरफ शिफ्ट हो रहा है।
- पाकिस्तान तथा चीन का गठजोड़, चीन-पाक आर्थिक गलियारा, डोकलाम सीमा विवाद तथा हालिया सीमा विवाद जैसे कई मुद्दे रहे हैं जो भारत तथा चीन के मध्य तनाव उत्पन्न कर रहे हैं। इसके साथ चीन की आक्रामक नीति आरआईसी को कमजोर कर रही है।
- वर्तमान में अमेरिका भारत को चीन के प्रतिसंतुलन के रूप में देख रहा है। इसके साथ ही भारत तथा अमेरिका में रक्षा समझौते भी हो रहे हैं जिससे भारत रक्षा उपकरणों के विषय में रूस से निर्भरता को समाप्त कर रहा है।
- चीन ने भारत के पड़ोस में भारत के प्रभाव को कम कर भारत को घेरने के प्रयास कर रहा है। इस परिपेक्ष्य में चीन ने नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका के साथ रणनी. तिक समझौते किये।

आगे की राह

- हाल ही में रूस ने यह कहा है कि यूक्रेन संकट में भारत मध्यस्थ की भू. मिका निभा सकता है। इसके साथ चीन भी अफगानिस्तान संकट को समाप्त करने हेतु भारत के साथ मिलकर वार्ता हेतु तैयार है। रूस ने भारत- चीन सीमा विवाद को हल करने के लिए आरआईसी की भूमिका के संकेत दिए हैं। ऐसे में निकट भविष्य में क्षेत्रीय मामलो को सुलझाने में अमेरिकी मध्यस्थता

के स्थान पर आरआईसी की भूमिका में वृद्धि दिख सकती है।
- आरआईसी देश वर्तमान में परमाणु आयुध संपन्न देश हैं। जिस प्रकार यूएनएससी के प्रति अन्य देशो का विश्वास कम हो रहा है ऐसे में ये तीनो देश नवीन वैश्विक व्यवस्था में यूएनएससी को प्रतिस्थापित कर सकते हैं।

निष्कर्ष

भारत,रूस तथा चीन में नवीन विश्वव्यवस्था के निर्माण की क्षमता है। परन्तु चीन को अपनी आक्रामकता का त्याग करना होगा इसके साथ ही साथ वर्तमान यूक्रेन संकट को कम करने में आरआईसी को महत्वपूर्ण भूमिका निभाकर अपनी वैश्विक प्रासंगिकता स्थापित करनी होगी।

NOTES

आपराधिक दंड प्रक्रिया (पहचान) विधेयक, 2022

सन्दर्भ

हाल ही में लोकसभा में आपराधिक दंड प्रक्रिया (पहचान) विधेयक को प्रस्तावित किया गया है। यह विधेयक कैदियों की पह. चान एक्ट, 1920 को प्रतिस्थापित करता है।

परिचय

वर्तमान भारतीय समाज में आपराधिक न्याय प्रणाली की दुरूहता एक चर्चा का विषय बन चुकी है। इसके साथ ही साथ बदल रही अपराध की प्रकृति तथा अपराधियों की पहचान एक बड़ी समस्या के रूप में है। अपराधियों के पहचान की समस्या के निदान हेतु भारतीय सरकार द्वारा आपराधिक दंड प्रक्रिया (पहचान) विधेयक , 2022 को लोकसभा में प्रस्तावित किया गया है। यह विधेयक अपराध की जांच के लिए निर्दिष्ट व्यक्तियों, जैसे अपराधियों के बारे में कुछ पहचान योग्य सूचनाओं को जमा करने को अधिकृत करता है। इसके साथ ही यह विधेयक सूचनाओं तथा निर्दिष्ट व्यक्तियों (जिनकी सूचना ली जा सकती है) के सीमा को बढ़ाता है।

विधेयक के मुख्य प्रावधान

इस विधेयक के मुख्य प्रावधान निम्नलिखित हैं –

कौन सी सूचनाए ली जा सकती हैं :-

कैदियों की पहचान अधिनियम – 1920 अपराधियों और दूसरे व्यक्तियों के फोटो , उंगलियों के निशान और पैरों की छाप की सूचनाओं हेतु अधिकृत करता था परन्तु यह विधेयक हथेलियों की छाप, आइरिस और रेटिना स्कैन, व्यवहारगत विशेषताएं जैसे दस्तखत और हैंडराइटिंग, दूसरे फिजिकल और बायोलॉजिकल सैंपल, जैसे खून, सीमन, बाल के सैंपल, और स्वैब्स और उनका एनालिसिस इत्यादि सूचनाओ को लेने हेतु राज्य को अधिकृत करता है।

किन व्यक्तियों की सूचना ली जा सकती है ?

- कैदियों की पहचान अधिनियम-1920 में निम्न व्यक्तियों से सम्बंधित सूचनाएं ली का जा सकती हैं –
  - o सजा प्राप्त व्यक्ति :- ऐसे अपराध हेतु दोष सिद्ध व्यक्ति जिसमे न्यूनतम एक वर्ष के कठोर कारावास की सजा का प्रावधान है।
  - o जमानत प्राप्त व्यक्ति :-ऐसे व्यक्ति जिन्हें आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (सी. आरपीसी) के तहत अच्छा व्यवहार करने या शांति बनाए रखने के लिए सिक्योरिटी जमा कराने का आदेश दिया गया है।
  - o हिरासत में लिए गए व्यक्ति : ऐसे अपराध हेतु हिरासत में लिया गया व्यक्ति जिसमे न्यूनतम एक वर्ष के कठोर कारावास की सजा का प्रावधान है।
- प्रस्तावित विधेयक व्यक्तियों के सीमा को बढ़ाता है तथा इसमें सभी अपराधियों, गिरफ्तार किए गए लोगों और निवारक निरोध कानूनों के अंतर्गत हिरासत में लिए गए लोगों को भी शामिल करता है।
- हालाँकि हिरासत में लिए गए व्यक्तियों को अपने बायोलॉजिकल सैंपल देने के लिए तब तक बाध्य नहीं किया जाएगा, जब तक कि उन्होंने किसी महिला या बच्चे के खिलाफ अपराध नहीं किया हो, अथवा उन पर आरोपित अपराध हेतु कम से कम सात वर्ष के कारावास का प्रावधान हो।

विवरण से सम्बंधित प्रावधान

- विवरण को जमा करने की तारीख से 75 वर्षों तक डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में संरक्षित रखा जाएगा।
- हालाँकि कुछ परिस्थितियों यथा (यदि व्यक्ति का अपराध सिद्ध न हुआ हो, व्यक्ति को बिना मुकदमे के रिहा किया गया हो, न्यायालय ने व्यक्ति को दोषमुक्त कर दिया हो) में व्यक्ति के विवरण को नष्ट कर दिया जाएगा। हालाँकि मजिस्ट्रेट के लिखित आदेश तथा उचित कारण होने पर इन विवरणों को भी सुरक्षित रखा जा सकता है।
- विवरण देने का विरोध करना, या उससे इनकार करना भारतीय दंड संहिता, 1860 के अंतर्गत अपराध माना जाएगा।

विवरण लेने हेतु अधिकृत प्राधिकारी

- कैदियों की पहचान अधिनियम – 1920 के अनुसार निम्नवत प्राधिकारी विवरण लेने हेतु अधिकृत थे –
  - o किसी पुलिस स्टेशन के प्रभारी
  - o सीआरपीसी के अंतर्गत विवेचक
  - o कम से कम सब-इंस्पेक्टर के रैंक के अधिकारी
- इस विधेयक के द्वारा जेल अधिकारी (हेड वार्डर के पद से नीचे नहीं), या एक पुलिस अधिकारी (एक पुलिस स्टेशन का प्रभारी, या कम से कम एक हेड कांस्टेबल की रैंक) को भी विवरण लेने हेतु अधिकृत किया गया है।
- यह विधेयक यह भी प्रावधान करता है कि मजिस्ट्रेट किसी व्यक्ति को जांच या सीआरपीसी के तहत कार्यवाही के लिए अपने विवरण देने का निर्देश दे सकता है। यहाँ मजिस्ट्रेट का अर्थ मजिस्ट्रेट मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी का ज्यूडीशियल मजिस्ट्रेट या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट (कुछ संदर्भो में) है।

विवरणों के संरक्षण का अधिकार

- यह विधेयक एनसीआरबी को शक्ति देता है कि वह राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों या कानून प्रवर्तन करने वाली एजेंसियों से बिल के दायरे में आने वाले व्यक्तियों से संबंधित विवरण जमा कर

सकता है।

- सभी विवरणों को स्टोर करने, नष्ट करने, तथा प्रासंगिक रिकार्डों को प्रोसेस करने के अधिकार एनसीआरबी के पास हैं।

नियम बनाने की शक्ति

- कैदियों की पहचान अधिनियम - 1920 इससे सम्बंधित किसी भी नियम को बनाने का अधिकार राज्य सरकार को देती थी। परन्तु इस केंद्र सरकार को भी शक्ति प्रदान करता है। अतः अब केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार विवरण जमा करने के तरीको तथा एनसीआरबी के द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं के सन्दर्भ में नियम बना सकती हैं।

विधेयक के प्रावधानों के विपक्ष में तर्क

- यह विधेयक संघवाद को कमजोर कर रहा है। कानून व्यवस्था राज्य सूची का विषय होती है परंतु यह विधेयक केंद्र सरकार को भी नियम बनाने की शक्ति प्रदान करता है जिससे राज्यों के मामले में केंद्र के हस्तक्षेप में वृद्धि होगी।
- वर्तमान समय में साइबर अपराध अपने चरम पर हैं। व्यक्तियों का डाटा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखने पर हैकिंग के अवसर बढ़ सकते हैं। जिससे अपराधिक व्यक्तियों का डाटा गलत हाथों में जा सकता है जो पुनः अपराध को बढ़ाने में सहयोग कर सकता है।
- यह विधेयक राज्य की शक्ति को व्यक्ति की निजता के ऊपर प्रभावी बनाता है जो स्वतः अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है।
- यह विधेयक कैदियों की पहचान के संदर्भ में केंद्रीय करण को बढ़ावा दे रहा है जो कि लोकतंत्र के सिद्धांत के विरुद्ध है।
- 1920 का अधिनियम साम्राज्यवादी शक्ति द्वारा राष्ट्रीय आंदोलन के दमन हेतु बनाया गया था। इस प्रकार के कानूनों की लोकतांत्रिक स्थिति में कोई आवश्यकता नहीं है।

विधेयक के प्रावधानों के पक्ष में तर्क

- वर्तमान समय में अपराध तथा अपराधियों के प्रवृत्ति में व्यापक परिवर्तन आया है। समाज को अराजक तत्वों से बचाने के लिए नवीन आपराधिक प्रवृत्तियों के अनुसार कानून की आवश्यकता है। अतः यह विधेयक प्रासंगिक है।

- इस कानून का निर्माण संसद द्वारा किया जा रहा है जो कि भारतीय जनता के आकांक्षाओं की पूर्ति हेतु विधि का निर्माण करने वाली सर्वोच्च संस्था है। अतः हम इस कानून को उस समय की मांग समझ सकते हैं।
- भारत की कई कानून शताब्दियों पुराने हैं जो वर्तमान समय में लगभग अप्रासंगिक हो गए हैं परंतु अभी भी आपराधिक न्याय प्रणाली उन्हीं कानूनों के अनुसार चलती है जिसके फलस्वरूप अब आपराधिक न्याय प्रणाली के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगने आरंभ हो चुके हैं। आपराधिक न्याय प्रणाली को सुधारने के लिए इस प्रकार के कानूनों का आना अत्यंत आवश्यक है।

आगे की राह

- इस प्रकार के कानूनों को लाने के पूर्व सरकार को अपने व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक को पारित करना चाहिए जिससे व्यक्तिगत निजता से संबद्ध चिंताएं न्यून हो जाए।
- यह आवश्यक है कि सरकार अपने डाटा संरक्षण के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करे जिससे हैकिंग जैसी समस्याएं कम से कम हों।
- ऐसे कानून जिनमे राज्य सूची के तत्व सम्मिलित हों, उनमे केंद्र सरकार को राज्यों के साथ मिलकर काम करना चाहिए जिससे संघीय व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके।

निष्कर्ष

यद्यपि यह विधेयक अभी अधिनियम में परिणत नहीं हो सका है तथा अभी इसमें संशोधन की संभावनाए हैं। परन्तु यह सत्य है कि आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार के लिए पुराने कानूनों को संशोधित कर आपराधिक कानूनों को सहिंताबद्ध करना होगा। यह आवश्यक है कि सरकार सभी हितधारकों से परामर्श कर इस सन्दर्भ में विधि निर्माण करें।

NOTES

क्रिप्टोकरेंसी पर साइबर हमला

सन्दर्भ

क्रिप्टोकरेंसी ब्लॉकचैन तकनीक पर आधारित एक आभासी मुद्रा प्रकार है। इसे अभी तक "साइबर हमलो से पूर्णतया सुरक्षित" माना जाता था परन्तु अब इस पर भी साइबर हमले होने लगे हैं।

परिचय

क्रिप्टोकरेंसी एक विशिष्ट प्रकार की आभासी मुद्रा है। यह मुद्रा क्रिप्टोग्राफिक एन्क्रिप्शन तकनीक द्वारा विकेन्द्रीकृत तथा संरक्षित की गई है। बिटकॉइन, एथेरियम, रिपल क्रिप्टो मुद्राओं के कुछ उल्लेखनीय उदाहरण है। यह ऑनलाइन भुगतान का एक सुरक्षित तरीका है। यह केंद्रीयकृत बैंकिंग प्रणाली को प्रतिस्थापित करता है। इसे प्रयोग करने वाले उपयोगकर्ता की पहचान गुप्त रहती है। यह प्रणाली ब्लॉकचैन तकनीक पर आधारित है। एक विकेन्द्रीकृत तथा उन्नत तकनीक होने के कारण क्रिप्टोकरेंसी को साइबर हमलो से पूर्णतया सुरक्षित माना जाता था। परन्तु हाल के वर्षो में क्रिप्टो-एक्सचेंजों और इसे प्रयोग करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध खिलाफ हैकिंग और साइबर हमलों के बढ़ती आवृत्ति के कारण इस प्रणाली की सुरक्षा भी महत्वपूर्ण हो गई है।

क्रिप्टोकरेंसी पर साइबर हमलो के कुछ उदाहरण

- हाल ही में यह पता चला है कि क्रिप्टोकरेंसी हार्डवेयर वॉलेट के ओनर्स को "मैलचिम्प" ईमेल वितरण सेवाओं के माध्यम से फैले फिशिंग घोटाले द्वारा लक्षित किया जा रहा है। क्रिप्टो वॉलेट के निर्माता ट्रेजोर ने सोशल मीडिया पर घोषणा की कि उसके ग्राहकों को मेलचिम्प द्वारा संचालित न्यूजलेटर्स के माध्यम से नकली डेटा उल्लंघन सूचनाएं भेजी जा रही हैं। ट्रेजोर का कहना है कि फिशिंग हमले के माध्यम से अन्य क्रिप्टोकरेंसी फर्मों को भी लक्षित किया जा सकता है।
- मार्च 2022 में ब्लॉकचौन प्लेटफॉर्म "वन रिंग फाइनेंस" ने बताया है कि साइबर हमलावरों ने "फ्लैश लोन अटैक" माध्यम से कम्पनी में 1.4 मिलियन डॉलर की चोरी की है।
- फरवरी 2022 में विकेन्द्रीकृत वित्त (डी.आईएफआई) प्लेटफॉर्म "फ्लरी फाइनेंस" ने बताया कि हैकर्स के द्वारा लगभग 295,000 डालर की चोरी की गई।
- दिसंबर 2021 में क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बिटमार्ट ने बताया कि हैकर्स द्वारा लगभग 150 मिलियन डालर के मूल्य के फंड की चोरी की गई है।

साइबर हमले के विषय में

साइबर हमले का तात्पर्य आपके इंटरनेट, नेटवर्क आधारित डिजिटल उपकरणों तथा सूचना तक अनधिकृत पहुंच से है। साइबर अपराध इंटरनेट, कंप्यूटर या किसी अन्य इंटर-कनेक्टेड बुनियादी ढांचे सहित आपराधिक गतिविधि को दर्शाता है।यह क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी, अवैध डाउनलोडिंग, औद्योगिक जासूसी, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, साइबर आतंकवाद, वायरस के वितरण, स्पैम जैसे अपराधों को कवर करता है।

विभिन्न प्रकार के साइबर हमले

साइबर स्टैकिंग -

साइबर स्टाकिंग का तात्पर्य पीछा करने से है। साइबर स्टाकर्स अक्सर इंटरनेट की गुमनामी का लाभ उठाते हैं तथा लोगों की जानकारी के बिना उनकी गतिविधियों पर अनधिकृत पहुंच बनाते हैं। साइबर स्टाकिंग किसी व्यक्ति को मनोवैज्ञानिक रूप से परेशान करता है इसलिए इसे कभी-कभी मनोबैज्ञानिक आतंकवाद कहा जाता है। लगभग 90% स्टॉकर्स पुरुष हैं तथा लगभग 80% महिलाएं इस तरह के उत्पीड़न का शिकार हैं।

बौद्धिक संपदा की चोरी -

बौद्धिक संपदा को आर्थिक मूल्य के एक नवाचार अनुसंधान विधि, मॉडल तथा सूत्र के रूप में परिभाषित किया गया है । बौद्धिक संपदा को पेटेंट और ट्रेडमार्क और वीडियो और संगीत पर कॉपीराइट के साथ संरक्षित किया जाता है। इंटरनेट का उपयोग अक्सर बौद्धिक संपदा की चोरी को सुविधाजनक बनाने के लिए किया जाता है।

ई-मेल बमबारी

यह लक्षित व्यक्ति को बड़ी संख्या में ई-मेल भेजना है। ई-मेल की एक बड़ी मात्रा सर्वर पर प्राप्तकर्ता के इनबॉक्स को भर देती है या कुछ मामलों में सर्वर इतनी बड़ी मात्रा में डेटा प्राप्त करने में विफल हो जाता है तथा कार्य करना बंद कर देता है। इसके हमले से ग्रस्त प्राप्तकर्ता का इनबॉक्स बड़ी संख्या में अवांछित मेल से भर जाता है और लक्षित व्यक्ति आगे महत्वपूर्ण ई-मेल प्राप्त नहीं कर पाता है।

फिशिंग

यह एक तरह का कपटपूर्ण प्रयास है जो व्यक्तिगत और वित्तीय जानकारी की चोरी ईमेल के माध्यम से किया जाता है। इसमें अपराधी ई-मेल भेजता है जो अच्छी तरह से ज्ञात और भरोसेमंद डोमेन पते से आता है। उस ईमेल में आपकी वित्तीय जानकारी जैसे बैंक का नाम, क्रेडिट कार्ड नंबर, आधार नंबर खाता संख्या या पासवर्ड की जानकारी पूछता है। फिशिंग प्रयासों के लिए यह आम है कि ई-मेल उन साइटों और कंपनियों से आते हैं जिनके पास बैंक खाता भी नहीं है।

आइडेंटिटी थेफ्ट

पहचान की चोरी एक प्रकार की धोखाधड़ी है जिसमें एक व्यक्ति किसी और के होने का

दिखावा करता है और किसी और के नाम के साथ अपराध करता है। अपराधी चोरी की गई व्यक्तिगत और वित्तीय जानकारी का उपयोग आपके बैंक खातों तक पहुंचने नए खाते खोलने बैंक शेष राशि को स्थानांतरित करने या खरीदने आदि के लिए कर सकता है।

स्पूफिंग

यह एक ऐसी तकनीक को संदर्भित करता है जिसमें कंप्यूटर तक अनधिकृत पहुंच होती है जिससे अपराधी आईपी पते के साथ नेटवर्क वाले कंप्यूटर को संदेश भेजता है। आईपी स्पूफिंग का संचालन करने के लिए एक हैकर पहले एक विश्वसनीय होस्ट आईपी एड्रेस खोजने का प्रयास करता है।

वाइरस

एक कंप्यूटर वायरस को प्रचार करने के लिए दूसरे माध्यम की आवश्यकता होती है। दूसरे शब्दों में कंप्यूटर वायरस केवल तभी प्रभावी होता है जब यह अपने आप को किसी दुर्भावनापूर्ण प्रोग्राम या निष्पादन योग्य फाइलों के साथ जोड़ता है। जब हम इन सहायक फाइलों को चलाते या निष्पादित करते हैं तो वायरस अपने संक्रमण छोड़ देता है।आपके सिस्टम में वायरस का अस्तित्व तब तक कंप्यूटर को नुकसान नहीं पहुंचाता जब तक कि इसकी संबंधित निष्पादन योग्य फाइल या प्रोग्राम नहीं चलता।

वार्म

वार्म और वायरस दोनों ही शब्दों का आपस में प्रयोग किया जाता है लेकिन प्रमुख अंतर है क्योंकि वार्म को सहायक संलग्न फाइलों की आवश्यकता नहीं होती है जबकि वायरस को संलग्न फाइलों की आवश्यकता होती है।

ट्रोजन हॉर्स

ट्रोजन हॉर्स पहली नजर में उपयोगी सॉफ्टवेयर के रूप में लगता है परन्तु यह वास्तव में कंप्यूटर और उसके सॉफ्टवेयर को नुकसान पहुंचाता है। कुछ ट्रोजन आपके कंप्यूटर को दूरस्थ रूप से नियंत्रित करने के लिए दुर्भावनापूर्ण उपयोगकर्ताओं के लिए पिछले दरवाजे बनाते हैं जिससे गोपनीय और व्यक्तिगत जानकारी चोरी हो सकती है।

डीओएस और डीडीओएस

डिनायल ऑफ सर्विस हमले से कंप्यूटर सर्वर या नेटवर्क संसाधनों को अपने अधिकृत उपयोगकर्ताओं के लिए अनुपलब्ध बनाने का प्रयास होता है जो आमतौर पर अस्थायी रूप से व्यवधान या सेवाओं के निलंबन का उपयोग करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विस को संदर्भित करता है जो एक ही समय में दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर के साथ एक से अधिक संक्रमित सिस्टम में फैलता है। इन संक्रमित प्रणालियों को सामूहिक रूप से अटैक कहा जाता है जो दूर से लक्ष्य प्रणाली को नियंत्रित करते हैं।

पोर्नोग्राफी

पोर्नोग्राफी से तात्पर्य मुद्रित या वीडियो सामग्री जैसे किताबें पत्रिकाओं तस्वीरों और वीडियो-क्लिप से है जिसमें यौन उत्तेजना को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से यौन या गतिविधि का वर्णन या प्रदर्शन होता है।

साइबर सुरक्षा महत्वपूर्ण क्यों

- साइबर सुरक्षा इसलिए जरूरी है क्योंकि सरकार, मिलिट्री, कॉर्पोरेट, फाइनेंशियल और मेडिकल संस्था द्वारा काफी तरह के डाटा को इकट्ठा किया जाता है तथा उस डाटा को अपने सिस्टम, कम्प्यूटर और अन्य उपकरणों में सुरक्षित रखा जाता है।डाटा की चोरी से न सिर्फ निजी जीवन प्रभावित होता है बल्कि संस्थागत क्षमता भी नकारात्मक रूप से प्रभावित होती है।
- साइबर सुरक्षा की मदद से बहुत से डाटा को सुरक्षित रखा जाता है जिससे की डाटा किसी अन्य की पहुंच से दूर रहे । जैसे- जैसे डाटा बढ़ता जाता है वैसे-वैसे हमें अच्छे और प्रभावशाली साइबर सुरक्षा के उत्पादों और सेवाओं की आवश्यकता पड़ती है।
- साइबर सुरक्षा की मदद से हम साइबर हमले, डाटा की चोरी और चोरों की धमकी, रैंसमवेयर से बच सकते हैं।

क्रिप्टोकरेंसी पर साइबर हमले के सन्दर्भ में भारत का पक्ष

- वर्तमान समय में भारत क्रिप्टो करेंसी के विनियमन के प्रयास कर रहा है। एक अनुमान के अनुसार 10 करोड़ से अधिक भारतीयों ने क्रिप्टो करेंसी में लगभग 10 मिलियन डॉलर से अधिक का निवेश किया है। यह न सिर्फ कर राजस्व बढ़ाने के लिए

एक अवसर है बल्कि यह कर चोरी को भी नियंत्रित कर सकता है विकेन्द्रीकृत होने के कारण इसका प्रयोग काले धन को जमा करने, आपराधिक गतिविधियों को बढ़ाने, आतंकवाद के वित्तीयन करने में होता है। करारोपण से लेन-देन में पारदर्शिता लाकर इन समस्याओं को कम किया जा सकेगा।
- ध्यातव्य है कि जहाँ एकतरफ भारत क्रिप्टोकरेंसी पर करारोपण करने का प्रयास कर रहा है वहीं भारत को अपने क्रिप्टोकरेंसी करदाताओं को सुरक्षा भी प्रदान करनी होगी।
- वर्तमान समय में भारत में साइबर सुरक्षा नीति 2013 तथा आईटी अधिनियम है परन्तु ये क्रिप्टोकरेंसी पर साइबर हमले को रोकने में पर्याप्त रूप सक्षम नहीं हैं।

राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति

2013 के पूर्व भारत में कोई साइबर सुरक्षा नीति नहीं थी। 2013 में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति लाई गई। इसका उद्देश्य सार्वजनिक और निजी बुनियादी ढांचे को साइबर हमलों से बचाना है। यह नीति सूचनाओं (जैसे वेब उपयोगकर्ता), वित्तीय और बैंकिंग प्रणाली को सुरक्षित रखना है।

निष्कर्ष

यह निश्चित है की क्रिप्टो करेंसी कुछ समय में लेन-देन का स्थाई अंग बन जाएगी। इस स्थिति में क्रिप्टो करेंसी के लिए स्पष्ट रचनात्मक तथा अनुकूल नियामक वातावरण सुनिश्चित कर क्रिप्टोकरेंसी पर करारोपण के साथ साथ उसे साइबर सुरक्षा से बचाना भी भारत सरकार का उत्तरदायित्व होगा। ऐसे में यह आवश्यक है कि सरकार अपने साइबर सुरक्षा तंत्र को मजबूत करे।

जलवायु परिवर्तन पर आईपीसीसी की रिपोर्ट

सन्दर्भ

हाल ही में जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल की छठी आकलन रिपोर्ट के दूसरा भाग को जारी किया गया है । यह रिपोर्ट जलवायु परिवर्तन के प्रभावों, जोखिमों और कमजोरियों एवं शमन विकल्पों से संबंधित है।

परिचय

हाल ही में जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल की छठी आकलन रिपोर्ट के दुसरे रिपोर्ट को जारी किया गया। ध्यातव्य हो कि प्रथम रिपोर्ट 2021 में जारी किया गया। दोनों रिपोर्टो का आकलन करने के उपरान्त यूएन प्रमुख एंतोनियो गुटेरेश ने जलवायु पि.रवर्तन पर अन्तरसरकारी पैनल (IPCC) की नवीनतम रिपोर्ट पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए जोर दिया कि अगर तमाम देशों की सरकारें अपनी ऊर्जा नीतियों का पुन: आकलन नहीं करेंगी, दुनिया 'गैर आबाद' बन जाएगी, तथा मनुष्यों के रहने योग्य नहीं रह जाएगी।

हालिया रिपोर्ट के मुख्य बिन्दु

वैश्विक जलवायु परिवर्तन की स्थिति के सन्दर्भ में :

- रिपोर्ट में बताया गया है कि वैश्विक आबादी का 45% से अधिक भाग जलवायु परिवर्तन के लिए अत्यंत संवेदनशील क्षेत्रों में निवास कर रहे हैं।
- रिपोर्ट में यह चिन्हित किया गया है कि जलवायु परिवर्तन के साथ साथ कई भीषण आपदाओं से सामना होगा। यद्यपि यह आपदाएं जलवायु तथा गैर जलवायु जोखिम की समग्रता के परिणाम स्वरूप आएंगे।
- रिपोर्ट यह भी कहती है कि अस्थाई रूप से वैश्विक तापन में वृद्धि से कुछ अन्य अतिरिक्त गंभीर प्रभाव का सामना करना पड़ सकता है इनमें से कुछ प्रभाव अपरिवर्तनीय प्रवृत्ति के भी होंगे।
- रिपोर्ट यह बताती है कि पारिस्थितिकी तंत्र तथा लोगों की सामाजिक -आर्थिक विकास सह संबंधित है। यह वंचित वर्ग को और अधिक प्रभावित करेगी तथा इसमें क्षेत्रीय भिन्नता पाई जाएंगी उदाहरण स्वरूप जलवायु परिवर्तन के कारण एशिया के उष्णकटिबन्धीय क्षेत्रों में मलेरिया तथा अन्य जलजनित तथा वेक्टर जनित रोगों में वृद्धि होगी।
- रिपोर्ट में बताया गया है कि तापमान की वृद्धि के साथ साथ श्वशन, मधुमेह, संक्रामक रोग तथा शिशु मृत्यु दर में वृद्धि होने की संभावना है।
- रिपोर्ट में भारत को एक संवेदनशील हॉटस्पॉट के रूप पहचाना गया है। जलवायु परिवर्तन के फलस्वरूप भारत को बाढ़, समुद्र के स्तर में वृद्धि तथा हीट वेव्स जैसी जलवायु आपदाओं जैसे जोखिमो का सामना करना पड़ रहा है। उदाहरणस्वरूप मुंबई में समुद्र के स्तर में वृद्धि के साथ बाढ़ का उच्च जोखिम है, जबकि अहमदाबाद में हीट वेव्स का गंभीर खतरा है।

अनुकूलन तथा शमन के सन्दर्भ में

- रिपोर्ट में यह बताया गया है कि अनुकूलन के प्रति प्रतिबद्धता तथा उसमें किए गए आवश्यक प्रयासों में भारी मात्रा में अंतराल है। इसे प्रभावी बनाने के लिए ग्रीन हाउस गैसों में महत्वाकांक्षी रूप से कटौती की जानी अनिवार्य हो गई है।
- रिपोर्ट में यह भी इंगित किया है कि तकनीकी तथा आर्थिक परिवर्तनों के अतिरिक्त जलवायु जोखिम को कम करने तथा सम.ावेशी न्यायसंगत व न्याय पूर्ण विकास के लिए समाज की संरचनाओं में भी परिवर्तन करने की आवश्यकता है। अत: यह स्पष्ट है कि अब छोटे तथा सीमांत सुधारों की अपेक्षा बड़े तथा कठिन सुधार की तरफ आगे बढ़ना होगा।

आईपीसीसी की छठवीं आकलन रिपोर्ट के प्रथम भाग के महत्वपूर्ण विन्दु

अगस्त 2021 में जारी आईपीसीसी की छठी रिपोर्ट क्लाइमेट चेंज 2021 द फिजिकल साइंस बेसिस के शीर्षक से जारी की गई। यह रिपोर्ट मुख्य रूप से निम्न निष्कर्षों को संबोधित करता है।

- रिपोर्ट में यह बताया गया है कि पृथ्वी की सतह का औसत तापमान अगले 20 वर्षों यथा 2040 तक निर्धारित डेढ़ डिग्री सेंटीग्रेड के लक्ष्य को पार कर जाएगा। यदि उत्सर्जन इसी गति से बढ़ता रहा तो इस शताब्दी हेतु निर्धारित 2 डिग्री सेंटीग्रेड के वैश्विक तापन में वृद्धि के लक्ष्य को बहुत पहले ही विश्व प्राप्त कर लेगा।
- ध्यातव्य हो कि इस रिपोर्ट में आईपीसीसी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर वैश्विक तापन का लक्ष्य अब अपरिहार्य हो चुका है।
- रिपोर्ट ने बताया कि 1800 के उपरांत अभी तक मनुष्यों द्वारा 2400 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन किया गया है। तथा विश्व अपने कार्बन बजट का 86% पहले ही समाप्त कर चुका है।
- रिपोर्ट ने बताया कि ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव स्वरूप 1900 -1971 की तुलना में समुद्र स्तर में 3 गुना वृद्धि हो चुकी है तथा आर्कटिक की बर्फ अपने पिछले 1000 वर्षों के सबसे कम स्तर पर पहुंच चुकी है।
- रिपोर्ट ने स्पष्ट किया की इस तापीय वृद्धि से अत्यधिक वर्षा भी होगी तथा सूखे में भी वृद्धि होगी। यह तापीय वृद्धि कार्बन

सिंक को भी कमजोर करेगा तथा गर्मी में चरम वृद्धि होगी जबकि सर्दियां छोटी होंगी।

- हिमालय क्षेत्र में हिमरेखाओं तथा ग्लेशियरों की संख्या में कमी आएगी।
- रिपोर्ट में यह है बताया कि भारतीय उपमहाद्वीप में मानसूनी वर्षा के समय के परिवर्तन की अनुमान है तथा हिंद महासागर में समुद्री सतह का तापमान ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने से 1 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाएगा। इससे चक्रवर्ती तूफानों के आने की बारंबारता में वृद्धि होगी।

निश्चित ही यह एक वृहद् समस्या है तथा इसके निदान हेतु प्रयत्न करने होंगे अन्यथा मनुष्यता पर संकट आ जायेगा।

क्या किया जा सकता है ?

जलवायु परिवर्तन एक वृहद् समस्या बन चुका है तथा इसे रोकने हेतु प्रयास किये जाने चाहिए।

जलवायु परिवर्तन को रोकने हेतु वैश्विक स्तर पर किये गए प्रयास

संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन (UNFCCC)

संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन (UNFCCC) एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है।यह फ्रेमवर्क वायुमंडल में ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को नियंत्रित करने में प्रयासरत है। इसकी अवधारणा 1992 के पृथ्वी सम्मलेन के अंतर्गत लाई गई थी। इसी के सानिध्य में 1997 में बहुचर्चित क्योटो समझौता (Kyoto Protocol) हुआ और विकसित देशों (एनेक्स-1 में शामिल देश) द्वारा ग्रीनहाउस गैसों को नियंत्रित करने के लिये लक्ष्य तय किया गया। क्योटो प्रोटोकॉल के तहत 40 औद्योगिक देशों को अलग सूची एनेक्स-1 में रखा गया है।

नेट जीरो

नेट जीरो का अर्थ सभी मानवजनित ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन (जैसे जीवाश्म-ईंधन वाले वाहनों और कारखानों से) को यथासंभव शून्य के करीब लाने से है। हाल ही में हुए ग्लास्गो सम्मलेन में कई देशो ने "नेट जीरो" के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त कर 2050 तक इसके लक्ष्य को प्राप्त करने की

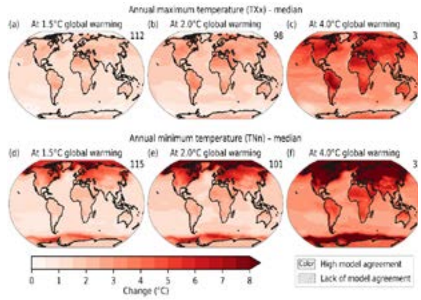

बात की है।

भारत के द्वारा किये गए प्रयास

- हाल ही में भारत द्वारा ग्लास्गो सम्मलेन में "पंचामृत सिद्धांत" दिए गए हैं। ये पांच प्रतिबद्धताएं निम्नवत हैं -
  - o वर्ष 2030 तक भारत की गैर-जीवाश्म ईंधन ऊर्जा क्षमता को 500 गीगावाट (GW) तक ले जाना।
  - o वर्ष 2030 तक भारत की 50% ऊर्जा आवश्यकताओं को अक्षय ऊर्जा के माध्यम से पूरा करना।
  - o वर्ष 2030 तक भारत की अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता में 45% से अधिक की कमी करना।
  - o अब से वर्ष 2030 तक इसके शुद्ध अनुमानित कार्बन उत्सर्जन में 1 बिलियन टन की कटौती करना।
  - o वर्ष 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करना।
- इसके साथ ही भारत अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा का संस्थापक है। जिसका लक्ष्य सम्पूर्ण विश्व में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना है।
- भारत लगातार नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की तरफ बढ़ रहा है।
- भारत द्वारा जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्ययोजना का शुभारंभ वर्ष 2008 में किया गया था। जिसके अंतर्गत जलवायु परिवर्तन के शमन के लिए 8 मिशन स्थापित किये गए हैं।

आगे की राह

1992 में जलवायु परिवर्तन संबंधी प्रयासों के आरंभ करने के उपरांत अभी तक इसमें कोई व्यापक सफलता नहीं दिखी है। प्रतिबद्धता तथा प्रतिबद्धता के प्रति क्रियाशीलता की एक बड़ी समस्या बन रही है। जलवायु परिवर्तन की हालिया समस्या को देखते हुए कुछ

- विकसित देशों को तकनीकी तथा वित्त का स्थानांतरण विकासशील देशों की तरफ करना होगा जिससे वे जलवायु समय कर सकें तथा उनका सामाजिक आर्थिक विकास हो सके।
- विकसित देशों को जलवायु परिवर्तन के प्रति अपनी जिम्मेदारी को स्वीकारना होगा ।
- सरकार के साथ-साथ आम जनता को भी इसमें भागीदार होना होगा क्योंकि इसका सर्वाधिक प्रभाव आम जनता पर ही पड़ेगा।
- इसके साथ ही साथ वृक्षारोपण, जलसंरक्षण की अन्य उन्नत जलवायु प्रथाओं को अपनाकर एक सुरक्षित भविष्य की तरफ से आगे बढ़ना होगा।

निष्कर्ष

आईपीसीसी की रिपोर्ट जलवायु संकेतकों के मापन का एक विश्वसनीय उपकरण है। इस रिपोर्ट में बताई गई चेतावनियों को ध्यान में रख कर इस सन्दर्भ में कार्यवाही करना आवश्यक है। इसके साथ यह भी बता दें कि आईपीसीसी की इस रिपोर्ट के तीसरे भाग के जल्द ही प्रकाशित होने की सम्भावना है।

NOTES

वर्तमान विश्वव्यवस्था में गुटनिरपेक्षता की प्रासंगिकता

सन्दर्भ

रूस-यूक्रेन युद्ध के साथ ही एक बार फिर विश्व शीतयुद्ध कालीन दौर की तरफ आगे बढ़ रहा है। इस स्थिति में भारत द्वारा आ.रम्भ की गई गुटनिरपेक्षता के सिद्धांत की प्रासंगिकता बढ़ जाती है।

परिचय

रूस द्वारा यूक्रेन पर किये गए हमले तथा पश्चिमी देशो, विशेष रूप से अमेरिका द्वारा रूस पर लगाये गए प्रतिबंधों के उपरान्त सम्पूर्ण विश्व एक बार पुनः शीतयुद्ध के दौर की तरफ बढ़ रहा है। यदयपि यह युद्ध रूस तथा यूक्रेन में हो रहा है परन्तु वैश्वीकरण के फलस्वरूप इसका प्रभाव सम्पूर्ण विश्व पर पड़ रहा है। विश्व में ऐस भी कई देश हैं जिन्हे अनैच्छिक रूप से इस युद्ध के परिणाम भुगतने पड़ रहे हैं, जिनमे से कई राष्ट्र अभी विकासशील अवस्था में ही हैं। ध्यातव्य हो कि शीतयुद्ध के दौरान इसी द्विध्रुवीयता की दुविधा से बचाकर गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने सम्पूर्ण विश्व को एक नवीन मार्ग दिया था।

क्या है गुटनिपेक्षता

- द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व धीरे-धीरे मुख्यतः दो गुटों में बँट गया था। एक गुट का नेतृत्व पूँजीवादी देश अमेरिका कर रहा था जबकि दूसरे गुट का नेतृत्व साम्यवादी देश सोवियत संघ कर रहा था।इन दोनों गुटों की प्रतिद्वंदिता को शीत युद्ध **(Cold war)** के युग के नाम से जाता है। शीत युद्ध का दौर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से शुरू होकर सोवियत संघ के विघटन (वर्ष 1990-91) तक चला था।
- 1940-50 के दशकों (मुख्यतः द्वितीय विश्व युद्ध के पाश्चात्य वैश्विक पटल पर कई देश उपनिवेशवाद की दासता से स्वतंत्र हुए थे। ध्यातव्य हो कि भारत भी इसी श्रेणी में शामिल था। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच होड़ लगी हुई थी कि ज्यादा से ज्यादा देशों को अपने-अपने गुटों में शामिल किया जाये। किन्तु उपनिवेशवाद से स्वतंत्र हुए नवीन देश किसी भी ग्रुप में शामिल नहीं होना चाहते थे, उन्हें लगता था कि यदि किसी ग्रुप में शामिल हुए तो वे किस सैन्य संघर्ष में फिर से फँस सकते हैं। इससे उन्हें हाल ही में मिली स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं रह जायेगा।
- इसी समस्या के निजात के लिए 1961 में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन बेलग्रेड में आयोजित किया गया था। भारत गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रमुख नेतृत्वकर्ता देश था।
- ध्यातव्य हो कि वर्तमान में वैश्विक स्तर पर संयुक्त राष्ट्र संघ (यूएनओ) के बाद 'गुटनिरपेक्ष आंदोलन' सबसे बड़ा राजनीतिक समन्वय और परामर्श का मंच है।
- यह कहा जा सकता है कि गुटनिरपेक्षता मुख्य रूप से "द्विध्रुवीयता" का सहउत्पाद थी। हम देख रहे हैं कि एक बार पुनः वैश्विक स्तर पर द्विध्रुवीयता परिपक्व हो रही है। इस स्थिति में गुटनिरपेक्षता पुनः प्रासंगिक हो रही है।

वर्तमान विश्व में बढ़ रही द्विध्रुवीयता

- वर्तमान समय में विश्व एक बार पुनः शीतयुद्ध के द्विध्रुवीयता की तरफ बढ़ रहा है। वर्तमान समय में जहाँ एक तरफ अमेरिका के नेतृत्व में पश्चिमी देश अपना वर्चस्व बनाये रखने के लिए संघर्ष कर रहे हैं वहीँ दूसरी तरफ रूस तथा चीन की आक्रामकता बढ़ रही है जो इन दोनों धड़ो के मध्य तनाव को बढ़ा रही है।
- 1991 के उपरान्त विश्व एकध्रुवीय हो चूका था। समस्त वैश्विक निर्णयों में अमेरिका की भागीदारी रहती थी परन्तु पिछले कुछ समय से अमेरिका अपने वैश्विक नेतृत्वकर्ता की भूमिका से पीछे हट रहा है। पेरिस जलवायु संधि, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग जैसे महत्वपूर्ण संधियों से हटना, अफगानिस्तान से सेना हटाना, रूस के विरुद्ध युद्ध में यूक्रेन का साथ न देना इत्यादि कारणों से अमेरिका की वैश्विक नेतृत्वकर्ता के रूप में प्रासंगिकता कम हो रही है। जापान तथा दक्षिण कोरिया जैसे देश अमेरिका से स्पष्ट प्रतिबद्धता की मांग कर रहे हैं।
- अमेरिका चीन को बढ़ने से रोकने में असमर्थ हो रहा है। चीन द्वारा दक्षिणी चीन सागर, ताइवान इत्यादि स्थानों पर दिखाई गई आक्रामकता तथा अंतररष्ट्रीय कानूनों के उलंघन के उपरान्त भी अमेरिका के नेतृत्व का गुट चीन को रोकने में असमर्थ है। इसके साथ यह भी महत्वपूर्ण है कि जर्मनी, फ्रांस, इटली जैसे कई यूरोपीय देश (जिन्हे पारम्परिक रूप से अमरीकी गुट का माना जाता है) व्यापारिक लाभ हेतु चीन का स्पष्ट विरोध नहीं कर रहे हैं।
- वैश्विक संगठनों यथा संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् इत्यादि में कई देशो द्वारा सुधारो की अपेक्षा की जा रही है परन्तु अमेरिका तथा अन्य देश जो इन संस्थ.ाओ में लाभ की स्थिति में हैं वे इन सुधारो को बाधा पंहुचा रहे हैं। इसके फलस्वरूप विश्व के कई देश वर्तमान विश्व व्यवस्था में सुधार चाहते हैं।
- रूस अपनी क्षेत्रीय स्वायत्ता बरकरार रखना चाह रहा है तथा वह यूक्रेन में नाटो की पहुंच को विस्तारित होने से रोकने हेतु प्रयत्नशील है। इसी कारण के फलस्वरूप रूस-यूक्रेन युद्ध आरम्भ हुआ है।

- जहाँ एक तरफ अमेरिका क्वाड (जापान, ऑस्ट्रेलिया तथा भारत के सहयोग से), औकस (अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा ब्रिटेन) जैसे नवीन संगठनों के माध्यम से चीन को प्रतिसंतुलित करने का प्रयास कर रहा है वहीँ दूसरी तरफ रूस तथा चीन की बढ़ती नजदीकी (आरआईसी, ब्रिक्स. एसस.ीओ) के कारण एक बार पुनः विश्व द्वि ध्रुवीयता की तरफ बढ़ रहा है।

क्या वर्तमान समय में गुटनिरपेक्षता प्रासंगिक है ?

गुटनिरपेक्षता के विपक्ष में तर्क

- जब गुटनिरपेक्ष आंदोलन प्रारंभ हुआ था तब शक्ति के आधार पर विश्व दो ध्रुवों में बटा हुआ था लेकिन वर्तमान वैश्विक राजनीति में हुए परिवर्तन ने विश्व को बहु-ध्रुवीय बना दिया है। इसके साथ ही साथ वैश्वीकरण के प्रसार ने राष्ट्रों को एक दुसरे पर निर्भर कर दिया है। बहु-ध्रुवीयता तथा एक दूसरे पर निर्भरता के कारण द्विध्रुवीयता कमजोर पड़ रही है द्विध्रुवीयता के कमजोर पड़ने के कारण गुटनिरपेक्षता अप्रासंगिक हो जाती है ।
- बहुत सारे वैश्विक एवं क्षेत्रीय मुद्दों पर गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सदस्य देशों के मध्य ना केवल व्यापक असहमति है बल्कि कई सारे सदस्य गुटनिरपेक्ष आंदोलन के मूल मूल्यों को तिलांजलि देते हुए कई क्षेत्रीय एवं प्रतिस्पर्धी और गुटों में सम्मिलित हो गए हैं । वर्तमान समय में गुटनिरपेक्षता आंदोलन के कई सदस्य यूरोपीय यूनियन आसियान, सार्क छोटे समूहों का भाग बन गया है।
- गुटनिरपेक्ष आंदोलन वर्तमान की समस्याओं को लेकर भी गंभीर प्रयास नहीं कर रहा है। आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, शरणार्थी समस्याओं पर इस समूह का कोई एजेंडा नहीं दिख रहा है।
- गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सदस्य देश अपने आपसी मतभेदों को भी दूर करने में नाकाम रहे हैं जिससे सदस्य देशों में संगठन के प्रति आकर्षण कम हो गया है। उदाहरण के लिए इराक-ईरान युद्ध, भारत और चीन के मध्य मतभेद।
- गुटनिरपेक्षता आंदोलन में अग्रणी भू.मिका रखने वाले देशों में कई अवसरों पर गुटनिरपेक्षता के सिद्धांतों से समझौता किया है। उदाहरण के लिए भारत द्वारा परमाणु परीक्षण, अमेरिकी सैन्य समझौता, क्वाड (भारत,अमेरिका, जापान तथा ऑस्ट्रेलिया) समझौता इत्यादि।

गुटनिरपेक्षता के पक्ष में तर्क

- भारत जैसे कई देश गुटनिरपेक्ष रहकर अपने राष्ट्रीय हितो का ध्यान दे रहे हैं। उदाहरणस्वरूप भारत अमेरिकी नेतृत्व वाले क्वाड का भी सदस्य है वहीँ यह रूसी नेतृत्व वाले आरआईसी, एससीओ का भी सदस्य है।
- हाल ही में भारत तथा रूस में रुपया-रुबेल में व्यापार आरम्भ हुआ है तथा रूस भारत को 27% कम मूल्य पर तेल दे रहा है। यद्यपि अमेरिका द्वारा भारत को इस सन्द.र्भ में चेतावनी दी गई है परन्तु भारत ने इसपर ध्यान नही दिया। यह गुटनिरपेक्षता का परिचायक है।
- भारत के अतिरिक्त चीन, यूरोप के कई देश रूस -यूक्रेन के युद्ध को समाप्त करना चाह रहे हैं। इस सन्दर्भ में चीन ने भी यूक्रेन तथा रूस को पंचशील सिद्धांत स्थापित करने की सलाह दी है। इसका यह अर्थ है कि चीन रूस का तथा यूरोपीय देश अमेरिका का अंधानुकरण नहीं कर रहे हैं। जो कि गुटनिरपेक्षता को दिखाता है।

भारत तथा गुटनिरपेक्षता 2.0

- गुटनिरपेक्षता- 2 रणनीतिक स्थिति व स्वायत्तता पर जोर देते हुए महाशक्तियों के साथ - साथ पड़ोसी देशों से विशेष संबंधों पर बल देती है। यह नीति भारत की घरेलू नीतियों और विदेश नीति पर सह - संबंध बनाने पर जोर देती है। इस नीति का मुख्य उद्देश्य विदेश नीति के माध्यम से राष्ट्रीय हितो को सुरक्षित करना था।
- भविष्य में भारत की विदेश नीति तीन मुख्य उद्देश्यों द्वारा संचालित होगी -

o भारत, विचारधारा तथा उद्देश्यों से अपने राष्ट्रीय हितों को सीमित नहीं करेगा।

o भारत, अधिकतम रणनीतिक स्वायत्तता (Strategic Automomy) अर्जित करते हुए अपने विकास लक्ष्यों को प्राप्त करेगा।

o एक समतामूलक विश्व व्यवस्था के निर्माण का प्रयास करेगा।

- गुटनिरपेक्षता-2 में गुटनिरपेक्षता की प्रासंगिकता को स्वीकार करते हुए यह कहा गया है कि सामरिक स्वायत्तता गुटनिरपेक्ष विदेश नीति का मूल आधार है।

निष्कर्ष

वर्तमान समय में भी गुटनिरपेक्षता प्रासंगिक है हालाँकि अब गुटनिरपेक्ष आंदोलन को अपनी भूमिका बढ़ानी होगी। गुटनिरपेक्ष सदस्यों को वैश्विक युद्धों में मध्यस्थों की भूमिका तथा निष्पक्ष न्याय की स्थापना में प्रमुख योगदान देना चाहिए। हालाँकि कुछ लोग यह कहते हैं कि गुटनिरपेक्षता का महत्व आंदोलन के रूप में समाप्त हो सकता है, क्योंकि आरंभ में गुटनिरपेक्षता को साम्राज्यवाद, उप.निवेशवाद विरोधी आंदोलन के रूप में चित्रित किया गया, परंतु स्वतंत्र विदेश नीति के रूप इसका महत्व हमेशा बना रहेगा।

भारत के तकनीकी विनियमों के पुनर्मूल्यांकन का समय

चर्चा में क्यों ?

तकनीक-कुशल राष्ट्र होने के कारण भारत को उभरते तकनीकी विकास की आवश्यकता के अनुसार उपयुक्त विधियों तथा विनियमों को डिजाइन करने की आवश्यकता है।

पृष्ठभूमिः

- नवीन प्रौद्योगिकियों के उद्भव के फलस्वरूप बाजार, समाज तथा राष्ट्र डिजिटलीकृत हो गए हैं।

– परन्तु यह तकनीक ताकत के साथ साथ सुभेद्यता का भी द्योतक है।

– इसके फलस्वरूप तकनीक-शासन का महत्व बढ़ गया है तथा अनुमतियों, मानकों और शुल्कों जैसे विनियमन के पारंपरिक माध्यम अब धीरे-धीरे अप्रासंगिक होते जा रहे हैं।

- भारत कुछ महत्वपूर्ण तकनीक-कुशल राज्यों में से एक है। अतः भारत सरकार का यह दायित्व है कि भारत के नागरिको को आईटी उत्पादों और सेवाओं के साथ साथ उसके अपडेटेड फॉर्म से भी लाभांवित करें।

– इस दृष्टिकोण से यह आवश्यक है कि नवीन तकनीकियों की आवश्यकता के अनुसार कानून और विनियमन का निर्माण किया जाए।

– अवसरों में गति लाने और व्यापक जोखिमों को दूर करने के लिए यह आवश्यक है।

सम्बद्ध मुद्देः

- इस प्रक्रिया में मुख्य रूप से तीन प्रमुख मुद्दे सम्बद्ध हैं। ये मुद्दे प्रौद्योगिकी से जुड़े जोखिमों की प्रकृति को समझना; शासन के लिए चुनौतियों का आंकलन करना; और विनियमन के नए तरीकों को अपनाने में कल्पनाशील होना, हैं।

- प्रक्रिया में सम्बद्ध प्रौद्योगिकीय जोखिम, स्वयं में बढ़ी हुई लोकतांत्रिक पहुंच के सृजन हैं।

o उदाहरण के लिए, लगभग दो दशकों में भारत ने एक अरब से अधिक मोबाइल फोन ग्राहक हो चुके हैं। जिनमें से 50% से अधिक अब स्मार्टफोन का उपयोग कर रहे हैं। यह स्थिति न सिर्फ परिवर्तनकारी है बल्कि अभूतपूर्व भी है।

o इस बेहतर पहुंच का श्रेय वित्तीय समावेशन, शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल में दक्षता, और स्थानीय ई-कॉमर्स के साथ-साथ वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है।

o हालांकि, एक बड़ा उपयोगकर्ता आधार भी एक दोधारी तलवार है।अतः सुधारात्मक उपयों को अत्यंत तीव्र गति से जनसंख्या के बड़े स्तर तक पहुंचने की आवश्यकता होगी।

- पारम्परिक विनियमन अप्रभावी हो चुके हैं जैसा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों की समस्याओं में देखा जा सकता है।

– 2021 के एक अध्ययन के अनुसार भारत में सोशल मीडिया की गलत सूचनाओं की उच्च दर पाई गई, तथा इस समस्या हेतु स्मार्ट फोन द्वारा संचालित देश की उच्च इंटरनेट प्रवेश दर को उत्तरदायी ठहराया गया ।

– मात्र जून-जुलाई 2021 के बीच, फेसबुक को भारत में 1,504 उपयोगकर्ता शिकायतें मिलीं - इनमें से एक महत्वपूर्ण अनुपात बदमाशी, उत्पीड़न या यौन अनुचित सामग्री से संबंधित है।

– ऑनलाइन जुआ और क्रिप्टो-संपत्ति जैसे अन्य डिजिटल पारिस्थितिक तंत्रों में भी चिंताएं उभर रही हैं।

अतः मोबाइल फोन अब न केवल एक संचार उपकरण है, बल्कि एक अपराध उपकरण और एक असुरक्षित व्यक्तिगत स्थान भी है।

- इसके अलावा, कई राज्य-स्तरीय कानून सट्टेबाजी और जुए को विनियमित या पूरी तरह से प्रतिबंधित करते हैं।

– हालांकि, शोध से पता चलता है कि ऑनलाइन जुआ से आय की संभावना के मामले में भारत शीर्ष पांच देशों में शामिल है, और घरेलू ऑनलाइन कैसीनो बाजार हर साल 22 प्रतिशत तक बढ़ सकता है।

– महाराष्ट्र, तेलंगाना और कर्नाटक जैसे कई राज्यों के लोग ऑनलाइन जुआ वेबसाइटों पर सबसे अधिक बार आने वालों में से हैं।

– भारत में अवैध सट्टेबाजी और जुए का बाजार अत्यधिक बड़ा है कुछ लोगों के अनुमान के अनुसार इसका सकल मूल्य 150 बिलियन अमेरिकी डॉलर है।

- विदेशी गैंबलिंग वेबसाइटों के द्वारा काले-धन का व्यापक प्रयोग किया जाता है। ये वेबसाइट अपने वित्तीय मध्यस्थों के माध्यम से धन-शोधन करती हैं।

– इन वेबसाइटों का संचालन भारत के बाहर होता है अतः ये भारत के क्षेत्राधिकार के बाहर हो जाते हैं।

– प्रवर्तन निदेशालय जैसे निकायों द्वारा हाल की जांच से पता चला है कि स्थानीय लोगों को बैंक खाते खोलने और विभिन्न ऑनलाइन वॉलेट के माध्यम से व्यापार करने के लिए काम पर रखा गया है, जो उचित परिश्रम तंत्र में अंतराल की पुष्टि करते हैं।

- इंटरनेट के विशाल साइबर स्पेस का नियंत्रण महज कुछ बिग-टेक कंपनियों के पास है। यह एक विकृत स्थिति है जो राष्ट्रों तथा अन्य लोगों के लिए एक बड़ी चुनौती हैं।

आगे की राह :-

- डिजिटल अर्थव्यवस्था के विकास के लिए ऐसा दृष्टिकोण विकसित करना आवश्यक है

जो प्रणालीगत और संरचनात्मक जोखिमों को हल करने में सहायक हो।

• वास्तव में अब वह समय आ गया है कि हम यह पुनर्मुल्यांकित करें कि इस नए डि. जिटल परिदृश्य में क्या अच्छा है, क्या बुरा है

– उदाहरण के लिए, ऑनलाइन गेमिंग और ऑनलाइन जुए को आपस में नहीं जोड़ा जाना चाहिए।

– इसी तरह ब्लॉकचेन तथा प्रीडेटरी क्रिप्टो-गेमिंग के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए।

– अंततः यह आवश्यक है कि हम एक उचित विनियमन के माध्यम से विघटनकारी प्रौद्योगिकियों को प्रतिबंधित करें।

• वास्तविक दुनिया की सादृश्यता का उपयोग करने के लिए, 1990 के दशक से, भारत सहित कई देशों ने वेश्यावृत्ति को वैध किए बिना यौनकर्मियों के बीच लगातार कंडोम वितरित किए हैं और सुरक्षा अभियान चलाए हैं या अधिनियम को वैध किए बिना नशीली दवाओं के उपयोगकर्ताओं को सु. रक्षित सिरिंज उपलब्ध कराए हैं।

• पूंजीकरण में विफलता के कारण भारत आर्थिक विकास और निवेश के मार्ग से भटक गया है । ऐसे में शत्रुतापूर्ण भाव से भारत के जोखिम के माहौल को बाहरी क्षेत्र. ाधिकारों द्वारा एक आकार प्रदान करने की संभावनाए हैं

– उदाहरण के लिए, भारत में लगभग 15 मिलियन क्रिप्टो-एसेट निवेशक हैं, जिनकी कुल होल्डिंग 400 बिलियन रुपये है।

– हालांकि, नियामक और नीतिगत अनिश्चितता ने क्रिप्टो-परिसंपत्ति उद्यमियों और एक्सचेंजों को अधिक अनुकूल बाजारों में काम करने के लिए विवश किया है।

– क्रिप्टोकार्ट, कोइनेक्स और जेबपे जैसे एक्सचेंज भारतीय बाजार से बाहर हो गए हैं।

– 2021 के अंत में, भारत में कई क्रिप्टो-एसेट संस्थापक अपने व्यवसायों को यूएई या सिंगापुर में स्थानांतरित करने पर विचार कर रहे थे।

• क्रिप्टोकरेंसी पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाकर, चीन जैसे देशों ने उपयोगकर्ता समूह को खो दिया है।

– भारत को दुनिया के तीसरे सबसे तेजी से बढ़ते प्रौद्योगिकी केंद्र के रूप में अपनी स्थिति का लाभ उठाना चाहिए।

• सरकारों और नियामकों के लिए, भूमिका अब एक द्वारपाल की नहीं है जो ऑनलाइन गतिविधियों को रोकने या अनुमति देने की क्षमता रखता है। वर्तमान में इनकी भूमिका यह एक पारिस्थितिकी तंत्र को आकार देने वाला और सार्वजनिक बुराइयों को कम करने वाले के रूप में भी होनी चाहिए।

– क्रिप्टोक्यूरेंसी परिसंपत्तियों को कानूनी निविदा की मान्यता दिए बिना भारत द्वारा इनपर लगाया गया कर भारत के नम्यता को प्रदर्शित करता है जो निश्चित ही स्वागत योग्य है।

• सरकार इस चपलता को बनाए रखने और भविष्य के अपेक्षाकृत सुरक्षित तकनीकी प्लेटफार्मों, सेवाओं और उत्पादों को सहयोग देने का कार्य करेगी जो भारतीय क्षेत्राधिकार में उत्तरदायी हैं।

निष्कर्षः

• इतनी विशाल जनसँख्या के निमित्त तकनीकी विनियमन एक डिजिटल राष्ट्र हेतु संविधान लिखने के समान है।

• आज हमें नई सोच और डिजिटल दुनिया की एक नई कल्पना की जरूरत है, जो न केवल वास्तविकता का एक आभासी विस्तार हो बल्कि स्वयं में एक प्रतिमान हों।

• क्या विधिसंगत है, क्या अवैध है और क्या अवैध हो सकता है, इसकी स्पष्ट समझ होनी चाहिए। इसके साथ ही उपयोगकर्ताओं और नागरिकों की सेवा और सुरक्षा के लिए नियमों की आवश्यकता है।

NOTES

भारत द्वारा ऊर्जा सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, खनिज संपदा पर केंद्रित आर्कटिक नीति

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारत सरकार ने ष्आर्कटिक नीतिष् जारी की है। इस नीति का उद्देश्य विज्ञान तथा अन्वेषण, जलवायु और पर्यावरण संरक्षण, खनिज संपदा के उपयोग और आर्कटिक क्षेत्र के साथ समुद्री और आर्थिक सहयोग में राष्ट्रीय क्षमताओं और दक्षताओं को मजबूत करना है।

पृष्ठभूमि

- आर्कटिक क्षेत्र के साथ भारत का सम्बन्ध लगभग 100 वर्ष से अधिक पुराना है। भारत फरवरी 1920 में स्वालबार्ड (पूर्व में स्पिट्स. बर्गेन) संधि के देशो में एक था। यह संधि आज भी स्वालबार्ड में भारत के नागरिकों के लिए व्यावसायिक गतिविधियां वीजा-मुक्त पहुंच और आर्थिक गतिविधियों के संचालन का अधिकार प्रदान करती है। ?
- Ny&Ålesund में भारतीय शोध केंद्र 'हिमाद्री' को 2008 में राष्ट्र को समर्पित किया गया था। इस केंद्र के बाद भारत (चीन के बाद) दूसरा ऐसा विकासशील देश बना जिसके पास आर्कटिक में अनुसन्धान बेस है।

स्वालबार्ड संधि

- स्वालबार्ड संधि (मूल रूप से स्पिट्सबर्गेन संधि) स्वालबार्ड के आर्कटिक द्वीपसमूह पर नॉर्वे की संप्रभुता को मान्यता देती है, जिसे उस समय स्पिट्सबर्गेन कहा जाता था।
- यह संधि 9 फरवरी 1920 को हस्ताक्षरित की गई थी तथा 21 अक्टूबर 1920 को इसे लीग ऑफ नेशंस ट्रीटी सीरीज में पंजीकरण के लिए प्रस्तुत किया गया था।
- इस संधि में कुल 14 पक्षकार थे इसमें डेनमार्क, फ्रांस, इटली, जापान, नीदरलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, यूनाइटेड किंगडम (ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, भारत के प्रभुत्व सहित), और संयुक्त राज्य अमेरिका सम्मिलित थे । मूल हस्ताक्षरकर्ताओं में से जापान 2 अप्रैल 1925 को संधि की पुष्टि करने वाला अंतिम देश था। जापान के हस्ताक्षर के उपरांत यह संधि यह संधि 14 अगस्त 1925 को प्रवर्तित हुई थी।

नीति की मुख्य विशेषताऐं

- इस नीति का मुख्य उद्देश्य आर्कटिक परिषद् में भारत की भागीदारी को बढ़ाना है। इसके साथ ही यह नीति इस क्षेत्र में जटिल शासन संरचनाओं में समझ विकसित करने के उद्देश्य से प्रेरित है जो कि भू-राजनैतिक दृष्टिकोण से अत्यंत प्रासंगिक है।
- भारत की आर्कटिक नीति देश को ऐसे भविष्य के लिए तैयार करने में एक आवश्यक भूमिका निभाएगी जहां मानव जाति की सबसे बड़ी चुनौतियों, जैसे कि जलवायु परिवर्तन, को सामूहिक प्रयास तथा इक्षाशक्ति के माध्यम से संबोधित किया जा सकता है।ष
- नीति को लागू करने में अकादमिक, अनु. संधान समुदाय, व्यवसाय और उद्योग सहित कई हितधारक शामिल होंगे।
- इस नीति के अन्य प्रमुख उद्देश्यों में ध्रुवीय क्षेत्रों और हिमालय के बीच संबंधों का अध्ययन, विभिन्न आर्कटिक मंचों के अंतर्गत भारत और आर्कटिक क्षेत्र के देशों के बीच सहयोग को दृढ़ करना, और वैज्ञानिक और पारंपरिक ज्ञान से विशेषज्ञता प्राप्त करना
- भारत की जलवायु, आर्थिक वृद्धि और ऊर्जा सुरक्षा , आर्कटिक में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव की समझ बढ़ाने के अतिरिक्त यह नीति वैश्विक शिपिंग मार्गों, ऊर्जा सुरक्षा और खनिज संपदा के दोहन से संबंधित भारत के आर्थिक, सैन्य और रणनीतिक हितों पर आ. र्कटिक में बर्फ पिघलने के प्रभावों पर बेहतर विश्लेषण, भविष्यवाणी और समन्वित नीति निर्माण में भी सहायता करेगी।

देश की आर्कटिक नीति –

शीर्षक :-'भारत और आर्कटिक: सतत विक. ास के लिए एक साझेदारी का निर्माण'

इस नीति के 6 मुख्य स्तम्भ हैं।

1. भारत के वैज्ञानिक अनुसंधान और सहयोग को मजबूत करना,
2. जलवायु और पर्यावरण संरक्षण,
3. आर्थिक और मानव विकास,
4. परिवहन और कनेक्टिविटी,
5. शासन और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग,
6. आर्कटिक क्षेत्र में राष्ट्रीय क्षमता निर्माण।

क्या आप जानते हैं?

- भारत उन 13 देशों में शामिल है जो आर्कटिक परिषद में पर्यवेक्षक हैं, जिनमें फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, नीदरलैंड, चीन, पोलैंड, दक्षिण कोरिया, स्पेन, स्विट्जरलैंड और यूनाइटेड किंगडम शामिल हैं।
- भारत ने अब तक आर्कटिक में 13 अभियानों का सफलतापूर्वक संचालन किया है।
- परिषद एक उच्च-स्तरीय अंतर-सरकारी मंच है जो आर्कटिक सरकारों और क्षेत्र के स्थानीय लोगों के सामने आने वाले मुद्दों को संबोधित करता है।
- गोवा में राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागर अनुसंधान केंद्र, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संस्थान, भारत के ध्रुवीय अनुसंधान कार्यक्रम के लिए नोडल संस्थान है। इस ध्रुवीय अनुसन्धान में आर्की. टक अध्ययन भी सम्मिलित है।

भारत के दृष्टिकोण में समस्याएं (अंतराल)

1. एक स्पष्ट नीति का अभाव:

भले ही भारत सरकार के विदेश मंत्रालय

(MEA) ने आर्कटिक में भारत के हितों को "वैज्ञानिक, पर्यावरण, वाणिज्यिक और साथ ही रणनीतिक" के रूप में सूचीबद्ध किया हो। परन्तु अभी तक भारत आर्कटिक परिषद् के 13 पर्यवेक्षक देशो में से उन चार देशो के समूह में था जिनके पास आर्कटिक पर स्पष्ट नीति का आभाव था।

2. वैज्ञानिक अभिविन्यास:

- भारत को आर्कटिक में विशुद्ध वैज्ञानिक दृष्टिकोण से परे जाने की आवश्यकता है। वर्तमान में परिवर्तित हो रहे वैश्विक स्थि. ति तथा अपने बढ़ते कद के फलस्वरूप भारत को आर्कटिक क्षेत्र की भू-राजनीति तथा शासन की गतिशीलता के अनुरूप कार्य करना होगा।

3. अपर्याप्त फंडिंग:

- वर्तमान में, अंटार्कटिक, आर्कटिक, दक्षिण ी महासागर और हिमालय के लिए भारत का ध्रुवीय अनुसंधान, पृथ्वी विज्ञान मंत्र. ालय (MoES) के अम्ब्रेला पोलर साइंस एंड क्रायोस्फीयर (PACER) कार्यक्रम चलाया जा रहा है ।
- वित्तीय वर्ष 2018-19, 2019-20 और 2020-21 में इस कार्यक्रम हेतु सकल वित्तीय आवंटन (बीई) 365 करोड़ रुपये था।
- चूंकी भारत का अंटार्कटिक कार्यक्रम उसके आर्कटिक कार्यक्रम से लगभग पांच गुना बड़ा है अतः यह अनुमान लगाया जा सकता है कि आर्कटिक क्षेत्र के लिए आवंटन लगभग 10-15 करोड़ रुपये प्रति वर्ष रहा होगा।

4. ध्रुवीय अनुसंधान पोत (पीआरवी):

- एक समर्पित पीआरवी की कमी को भा. रत की ध्रुवीय गतिविधियों के विकास में एक बड़ी बाधा माना जाता है। 29 अक्टूबर 2014 को, आर्थिक मामलों की भारत की कैबिनेट कमेटी ने 34 महीनों के भीतर 1,051.13 करोड़ रुपये की लागत से एक पीआरवी के अधिग्रहण को मंजूरी दी थी। हालाँकि यह जहाज अभी तक लिया नहीं जा सका है।

क्या भारत की यह आर्कटिक नीति उप. रोक्त कमियों को दूर करती है?

1. वैज्ञानिक अभिविन्यास:

- भारत की आर्कटिक नीति अब तक के विशुद्ध वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आगे निकल गई है। यदयपि इसका प्राथमिक ध्यान अभी भी वैज्ञानिक है परन्तु इस नीति के छह स्तंभ भारत के लिए आर्कटिक के सभी प्रासंगिक पहलुओं को संबोधित करते हैं। इन पहलुओं में जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण, आर्थिक और मानव संसाधन और भू-राजनीतिक और रणनीतिक पहलू सम्मिलित हैं।
- यह संभवत: आर्कटिक के साथ भारत के जुड़ाव को और अधिक व्यापक बनाकर एक समग्र दृष्टिकोण को प्रस्तुत करेगा।

2. वित्त पोषण:

- नीति घोषित करती है कि इसका काया. न्वयन अपेक्षित संसाधनों के आवंटन पर आध ारित होगा। आर्कटिक के लिए एक बहु-. विषयक दृष्टिकोण की वृद्धि के साथ, यह आशा की जाती है कि भारत के वैज्ञानिक आर्कटिक प्रयासों के लिए बजटीय समर्थन में पर्याप्त वृद्धि होगी।

3. ध्रुवीय अनुसंधान पोत:

- आर्कटिक नीति में एक समर्पित आइस-. क्लास पोलर रिसर्च वेसल प्राप्त करने की मंशा ध्रुवीय अनुसंधान पोत प्राप्त प्रक्रिया को तेज करेगी और भारत के आर्कटिक कार्यक्रम को गति प्रदान करेगी।

4. सरकार का फोकस:

- भारत की आर्कटिक नीति में उल्लि. खित उद्देश्यों को एक कार्य योजना और एक शासन और समीक्षा तंत्र के माध्यम से कार्यान्वित किया जाना है जिसमें एक अंतर-मंत्रालयी अधिकार प्राप्त आर्कटिक नीति समूह (ईएपीजी) शामिल है।
- नीति में यह भी कहा गया है कि कार्यान्वयन समयबद्धता और गतिविधियों की प्राथमिकता पर आधारित होगा। जिसमें शिक्षा, अनुसंधान समुदाय, व्यवसाय और उद्योग सहित सभी हितधारक शामिल होंगे।
- यह तंत्र भारत सरकार में बेहतर विश्लेषण, भविष्यवाणी और समन्वित दृष्टिकोण को सक्षम करने तथा क्षेत्र के लिए नीतिगत सुसंगतता को आकार देने के उद्देश्य से प्रेरित होगा। इस नीति से भारत के रणनीतिक, सैन्य और आर्थिक हितों में वृद्धि होने की संभावना है।

5. जागरूकता और क्षमता:

- आर्कटिक के साथ भारत के जुड़ाव को ध्यान में रखते हुए यह नीति 'आत्मनिर्भर भारत' के दर्शन को ध्यान में रखते हुए एक मजबूत मानव, संस्थागत और वित्तीय आधार विकसित करने की घोषणा करती है।
- नीति देश में आर्कटिक से संबंधित वैज्ञानिक अनुसंधान की क्षमता और जाग. रूकता का विस्तार करना चाहती है, और आर्कटिक से संबंधित खनिज, तेल और गैस की खोज, नीली-जैव अर्थव्यवस्था और पर्य. टन जैसे क्षेत्रों में विशेषज्ञों के पूल का विस्तार करना चाहती है।

निष्कर्ष

- भारत की आर्कटिक नीति भारत सरकार के अन्य नीतियों के साथ जुडी हुई तथा व्यापक नीतिगत ढांचे के साथ तालमेल को प्रदर्शित करती है।
- सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत के सभ्यतागत लोकाचार वसुधैव कुटुम्बकम (दुनिया एक परिवार है) को ध्यान में रखते हुए -भारत की आर्कटिक नीति समावेशी और सहभागी है। जिसमें भारत "अपनी भू. मिका निभाने और वैश्विक अच्छे में योगदान करने" के लिए अपनी तत्परता प्रदान करता है।
- इसलिए भारत की आर्कटिक नीति का जारी होना भारत के आर्कटिक प्रयासों और बड़े पैमाने पर दुनिया के लिए शुभ संकेत है।

संक्षिप्त मुद्दे

राष्ट्रीय

1 हल की तरफ अग्रसर है असम मेघालय सीमा विवाद

सन्दर्भ

लम्बे समय से चले आ रहे असम मेघालय सीमा विवाद के हल के लिए केंद्र सरकार द्वारा जनवरी में हस्ताक्षरित सीमा समझौते को अंतिम रूप दिया गया है। केंद्र सरकार की मध्यस्थता के उपरान्त ऐसा माना जा रहा है कि दोनों राज्यों का सीमा विवाद समाप्त हो जायेगा।

सीमा विवाद : एक नजर में

- ध्यातव्य है कि मेघालय को 1972 में असम से अलग राज्य का दर्जा दिया गया था। उसी समय मेघालय ने असम पुनर्गठन अधिनियम, 1971 को चुनौती दी थी।
- ये दोनों प्रदेश आपस में 884.9 किलो. मीटर लम्बी सीमा साझा करते हैं तथा इन दोनों के मध्य 12 स्थानों पर सीमा विवाद है।
- विवादित क्षेत्रो में ऊपरी ताराबारी, गजांग रिजर्व फॉरेस्ट, हाहिम, लंगपीह, बोरदुआर, बोकलापारा, नोंगवा, मातमूर, खानापारा-पि. लंगकाटा, देशदेमोरिया ब्लॉक I और ब्लॉक II, खंडुली और रेटाचेरा के क्षेत्र सम्मिलित हैं।
- 1985 में इस सीमा विवाद को हल करने के लिए भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश वाई वी चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया था परन्तु राज्य इस समिति द्वारा किये गए सीमांकन पर सहमत नहीं हुए।
- समय के साथ इनका विवाद गहराता चला गया तथा इस सीमा विवाद को लेकर इन दोनों राज्यों में कई हिंसक घटनाएं हुईं। केंद्र सरकार के हस्तक्षेप के उपरान्त भी यह विवाद शांत न हो सका।
- 2010 में हुए एक तनाव में असम के कामरूप जिले की सीमा से सटे पश्चिमी खासी हिल्स जिले के लंगपीह में असम पुलिस के जवानों द्वारा कथित रूप से की गई गोलीबारी में खासी समुदाय के चार ग्रामीणों की मौत हो गई तथा 12 लोग घायल हो गए। इस घटना के उपरान्त केंद्र ने इन दोनों राज्यों पर सीमा विवाद को सुलझाने के लिए छोड़ दिया।

सीमा विवाद का निदान

- विषेशज्ञों के अनुसार इस समय केंद्र तथा असम में भाजपा की सरकार है तथा मेघालय में नेशनल पीपल्स पार्टी की सरकार है जो भाजपा की सहयोगी दल है अत: यह सीमा विवाद के निस्तारण का सर्वोत्तम समय माना जा रहा है।
- सूत्रों के अनुसार यह जानकारी प्राप्त हुई है कि इस सीमा विवाद से सम्बंधित रिपोर्ट दोनों मुख्यमंत्रियों ने केंद्रीय गृहमंत्री को सौंप दी है।
- इस रिपोर्ट के अनुसार विवादित कुल 36.79 वर्ग किलोमीटर जमीन में से असम अपने पास लगभग आधी यानी 18.51 वर्ग किलो. मीटर विवादित भूमि रखेगा और बाकी 18.28 वर्ग किलोमीटर जमीन मेघालय को देगा।

सीमा विवाद हल करने का महत्व

- पूर्वोत्तर अत्यन्त ही रणनैतिक क्षेत्र है। यहाँ नक्सलवाद तथा बाह्य राज्यों द्वारा प्रेरित अलगाववादी शक्तियां प्रखर रूप से हैं। इस स्थिति में सीमा विवाद को हल करने से सरकार तथा भारत के संविधान की तरफ लोगो का विश्वास बढ़ेगा जो इन अलगाववादी शक्तियों को कमजोर करेगा।
- इन सीमाविवादो के फलस्वरूप भारी हिंसा होती है। असम में सीमा विवाद, एनआरसी, शरणार्थी संकट इत्यादि के कारण भारी हिंसा होती है। अत: असम के लोगों के शांतिपूर्वक जीवन तथा विकास के लिए सीमा विवाद को हल करना आवश्यक है।
- भारत में अधिकांश राज्यों का गठन भाषायी आधार पर हुआ है परन्तु पूर्वोत्तर के राज्यों का गठन भौगोलिक तथा सांस्कृतिक भिन्नता के फलस्वरूप हुआ है। इस स्थिति में सीमा विवाद न सिर्फ राजनैतिक तनाव को कम करेगा बल्कि सांस्कृतिक सौहार्द को बढ़ाएगा।

निष्कर्ष

इस प्रकार की सीमा विवादों को हल करने से न सिर्फ सरकार तथा संविधान के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ेगा बल्कि पूर्वोत्तर तथा मुख्य भूमि के लोगों के मध्य जुड़ाव बढ़ेगा। यह जुड़ाव राष्ट्रीय एकता को स्थापित कर एक सुदृढ़ लोकतंत्र की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

NOTES

2 मृत्यु दंड में सुधार की आवश्यकता

चर्चा में क्यों?

हाल ही में न्यायमूर्ति यूयू ललित की अध्यक्षता में एक पीठ का गठन मौत की सजा के मामलों में प्रक्रियाओं की व्यापक जांच करने के लिए किया गया था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जिन न्यायाधीशों को आजीवन कारावास और मौत की सजा के बीच चयन करना है, उन्हें सजा की विस्तृत जानकारी है।

मौत की सजा से सम्बंधित मुद्दे

- मृत्युदंड को संवैधानिक मान्यता प्राप्त है लेकिन जिस तरह से इसे प्रशासित किया गया है उससे मनमानी और अनुचितता के आरोप लगे हैं।
- बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य 1980 का मामला जिसने "दुर्लभ से दुर्लभ"(**rarest of the rare**) ढांचे की स्थापना की जो एक बेंचमार्क स्थापित करने में विफल रहा है।
- दुर्लभ से दुर्लभतम ढांचे के विफल होने का मुख्य कारण अस्पष्ट या अभियुक्त के बारे में अधूरी जानकारी न्यायाधीशों के सामने लाना है।
- प्रोजेक्ट 39ए की डेथ पेनल्टी इंडिया रिपोर्ट 2016 के अनुसार- मौत की सजा पाने वाले कैदियों का एक बड़ा हिस्सा आर्थिक रूप से कमजोर है और उन्हें अक्सर सही कानूनी प्रतिनिधित्व नहीं मिल पता है। नतीजतन, उनके पास अपने बचाव के लिए उचित जानकारी तक कम पहुंच है।
- 262वें विधि आयोग की रिपोर्ट ने बताया कि सजा के लिए अपराध केंद्रित दृष्टिकोण मुख्य चिंताओं में से एक है, जो बच्चन सिंह केस के आदेश का उल्लंघन है जो अपराध और आरोपी दोनों को प्रभावित करता है।
- इस बात पर कोई दिशानिर्देश नहीं दिया गया है कि कैसे न्यायाधीशों को कारकों को महत्व देना चाहिए और उन्हें एक कारक को दूसरे के खिलाफ कैसे तौलना चाहिए।
- सजा का निर्धारण करने की प्रक्रिया में न्यायाधीश को अभियुक्त की व्यक्तिगत परि. स्थितियों को ध्यान में रखना चाहिए।
- ऐसी प्रणाली में उच्च स्तर की निष्पक्षता होनी चाहिए जो व्यक्तियों को मौत की सजा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के माध्यम से हो।
- कानून के तहत सजा "प्रतिशोध के बजाय पुनर्वास" होनी चाहिए। आरोपी को अपने कर्मों को भुनाने का भी मौका दिया जाना चाहिए।
- ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला है जो भविष्य के अपराधों के खिलाफ मौत की सजा और प्रतिरोध के बीच सकारात्मक संबंध साबित करता हो।
- आपराधिक न्याय प्रणाली की विफलता या गलती के मामले में निर्दोष को गलत तरीके से दंडित किया जाता है, जिसके पुनर्वास के लिए कोई विकल्प नहीं बचा है।
- अधिकांश विकसित देशों ने मृत्युदंड को अपराध मानकर समाप्त कर दिया है।

मृत्युदंड के पक्ष में तर्क-

- प्रतिशोध सिद्धांत- वास्तविक न्याय में किए गए अपराध की गंभीरता के अनुपात में सजा की आवश्यकता होती है।
- निवारक सिद्धांत- अक्सर यह तर्क दिया जाता है कि सजायाफ्ता हत्यारों को फांसी देने से भविष्य के हत्यारे अपराध करने से बचेंगे।

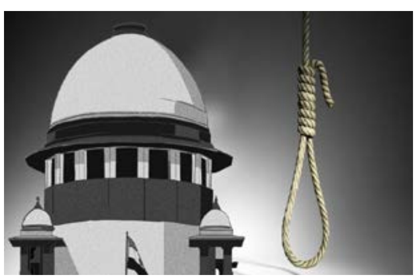

- आपराधिक न्याय प्रणाली से छेड़छाड़ की कोई गुंजाइश नहीं - सजा से बचने के लिए दोषियों के पास गवाह को प्रभावित करने या आपराधिक न्याय प्रणाली के लूप होल का दुरुपयोग करने की संभावना कम हो सकती है।

अत: कोई भी न्याय अधूरा होगा यदि आपराधिक कानून किसी व्यक्ति की जटिलता और अन्य पक्षों पर विचार करने में असमर्थ है।

NOTES

1 श्रीलंका का आर्थिक संकट

सन्दर्भ

वर्तमान समय में श्रीलंका "भुगतान संतुलन संकट " से ग्रस्त है। श्रीलंका का विदेशी मुद्रा भण्डार निरंतर गिर रहा है।

परिचय

वर्तमान समय में श्रीलंका अपने सबसे बड़े आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। श्रीलंका के विदेशी मुद्रा भंडार में निरंतर गिरावट हो रही है तथा इस देश के सम्मुख भुगतान संतुलन का संकट उत्पन्न हो गया है। ऐसा माना जा रहा है कि श्रीलंका का यह संकट आर्थिक संरचना के ऐतिहासिक असंतुलन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) की ऋण संबंधी शर्तों तथा सत्ताधारियों की गलत नीतियों के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुई हैं।

श्रीलंका के आर्थिक संकट के मुख्य कारण

आईएमएफ का ऋण

- श्रीलंका में चल रहे गृहयुद्ध के फल. स्वरूप श्रीलंका का बजट घाटा बहुत अधिक बढ़ गया था। यद्यपि यह युद्ध 2009 में समाप्त हुआ परन्तु तब तक 2008 में आई वैश्विक मंदी के फलस्वरूप श्रीलंका को आर्थिक सुधार का समय नहीं मिला। 2009 में आर्थिक संकट से मुक्ति हेतु श्रीलंका को IMF से 2.6 बिलियन डॉलर का ऋण लेने के लिये विवश होना पड़ा।
- इसके उपरान्त भी सत्ताधारियों ने श्रील. का के आर्थिक संकट पर ध्यान नहीं दिया तथा 2016 में एक बार फिर श्रीलंका को आईएमएफ से 1.5 बिलियन डॉलर के ऋण लेना पड़ा। इस ऋण में अत्यंत कठिन शर्ते रखीं गईं जिससे श्रीलंका का आर्थिक संकट बढ़ गया।

बाह्य कारक

- कोलंबो के विभिन्न गिरिजाघरों में अप्रैल 2019 में हुई ईस्टर बम विस्फोटों की घटना के उपरान्त श्रीलंका में पर्यटकों की मात्रा में भारी गिरावट हुई।
- श्रीलंका ने चीन से कई परियोजनाओं में ऋण लिया जिसके फलस्वरूप श्रीलंका चीन के ऋणजाल में फंस गया।

कोरोना महामारी

- कोरोना महामारी ने विश्व के कई देशो को प्रभावित किया। कोरोना के फलस्वरूप चाय, रबर, मसालों और कपड़ों के निर्यात को नुकसान पंहुचा तथा पर्यटन में भी गि. रावट आई। जिससे श्रीलंका में बाह्य मुद्रा की आपूर्ति नकारात्मक रूप से प्रभावित हुई।

नीतिगत समस्याएं

- वर्ष 2021 में सरकार ने सभी उर्वरक आयातों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया और श्रीलंका को रातों-रात 100% जैविक खेती वाला देश बनाने की घोषणा कर दी गई।इससे कृषि प्रभावित हुई तथा खाद्यसंकट की स्थिति उत्पन्न हुई।
- 2019 में सत्ता में आई गोटाबाया राजपक्षे की सरकार ने अपने चुनावी अभियानों में निम्न कर दरों और किसानों के लिये व्यापक रियायतों जैसी कल्याणकारी राज्य योजनाओ को लागू किया जिससे राजकोष प्रभावित हुआ।

उपरोक्त कारणों के फलस्वरूप श्रीलंका में आर्थिक आपातकाल लागू हो गया है तथा देश पर सम्प्रभुता संकट की स्थिति बन रही है।

श्रीलंका की स्थिति में सुधार हेतु भारत का प्रयास

- वर्ष 2022 के आरंभ से भारत द्वारा 1.4 बिलियन डॉलर से अधिक का राहत प्रदान किया गया है। इसमें करेंसी स्वैप तथा लाइन ऑफ क्रेडिट जैसी सुविधाएं भी दी गई हैं।
- भारत द्वारा श्रीलंका को हाल ही में 1 बिलियन डॉलर अल्पकालिक रियायती ऋण भी प्रदान किया है।
- भारत के द्वारा स्थिति सामान्य होने पर वहां निवेश कर अर्थव्यवस्था को सुधारने पर विचार किया जा रहा है।

निष्कर्ष

श्रीलंका को इस संकट से निकालने में भारत को अपनी भूमिका निभानी होगी। श्रीलंका का सहयोग कर भारत चीन को हिंदमहासागर में रोक सकता है। इसके साथ ही यह समझना अनिवार्य है कि यदि श्रीलंका में भारत विरोधी शक्तियां प्रभावित हुईं तो वे भारत की क्षेत्रीय प्रमुखता को चुनौती देंगी। एक कमजोर श्रीलंका भारत के हित में नहीं है। अतः भारत को इस दिशा में सक्रिय भूमिका निभानी होगी।

NOTES

2 भारत नेपाल सम्बन्ध : एक नजर में

सन्दर्भ

हाल ही में नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा द्वारा भारत का दौरा किया गया है। वर्तमान वैश्विक परिस्थितयों में यह दौरा महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

परिचय

01 अप्रैल से 3 अप्रैल के मध्य नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा जी ने भारत का दौरा किया। इस दौरान वे विदेश मंत्री श्री यस जयशंकर तथा भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से मिले। इस दौरे में नेपाल के प्रधानमंत्री जी द्वारा काशी विश्वनाथ का दर्शन भी किया गया। वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों तथा भारत -चीन सीमा तनाव के मध्य यह दौरा अत्यंत महत्वपूर्ण है।

इस दौरे से सम्बंधित प्रमुख तथ्य

- इस दौरे में भारतीय प्रधानमंत्री ने नेपाल में विद्युत् क्षेत्र में हुई प्रगति पर बधाई दी है। तथा नेपाल के प्रधानमंत्री ने भारत को नेपाल के लिए किये गए सहयोग पर भारत की सराहना की है।
- दोनों ही देश नेपाल में बिजली उत्पादन परियोजनाओं का संयुक्त विकास, क्रॉस-बॉर्डर ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास, पारस्परिक लाभ, बाजार की मांग और प्रत्येक के लागू घरेलू नियमों के आधार पर दोनों देशों में बिजली बाजारों तक उचित पहुंच के साथ द्वि-दिशात्मक बिजली व्यापार, राष्ट्रीय ग्रिड के समन्वित संचालन, नवीनतम परिचालन जानकारी तथा प्रौद्योगिकी और जानकारी को साझा करने में संस्थागत सहयोग पर एकमत हुए हैं।
- भारत तथा नेपाल ने बीबीआईएन, अक्षय ऊर्जा उत्पादन, जलविद्युत पर ऊर्जा साझेदारी तथा जलवायु परिवर्तन की प्रतिबद्धताओं पर सहयोग की बात की है।
- इन सहयोगो के माध्यम से दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं को रोजगार अर्जित करने, निर्यात आय में वृद्धि करने और औद्योगिक और वित्तीय क्षमताओं के आगे विकास में योगदान करने में सहयोग की बात की गई है।
- नेपाल के प्रधानमंत्री ने भारत के उद्यमियों को नेपाल में निवेश हेतु आमंत्रित किया है।
- नेपाल के प्रधानमन्त्री द्वारा पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना पर आगे बढ़ने की भी बात की गई है।
- दोनों प्रधानमंत्रियों ने इस संयुक्त दृष्टिकोण के आधार पर परियोजनाओं और पहलों पर त्वरित गति को प्राथमिकता देने पर सहमति व्यक्त की। वे आपसी सम्मान और समानता द्वारा निर्देशित एक दूसरे के राष्ट्रीय विकास और समृद्धि का समर्थन करना जारी रखने पर सहमत हुए।

दौरे का महत्व

- भारत तथा नेपाल ऐतिहासिक सहयोगी हैं। भारत तथा नेपाल में रोटी-बेटी का रिश्ता है अत: दोनों ही देश एक दुसरे के प्रगति से सकारात्मक रूप से प्रभावित होंगे।
- वर्तमान वैश्विक स्थिति में जहाँ अंतर्राष्ट्रीय कानून अप्रासंगिक हो रहे हैं (रूस-यूक्रेन युद्ध) वहां नेपाल चीन के साम्राजयवाद से बचने के लिए भारत की तरफ देख रहा है।
- वर्तमान समय में जहाँ विश्व द्विध्रुवीयता की तरफ बढ़ रहा है ऐसी स्थिति में भारत को गुटनिरपेक्षता के लिए सहयोगियों की आवश्यकता है। नेपाल इसके लिए महत्वपूर्ण सहयोगी हो सकता है।
- इस दौरे से नेपाल में चीन का प्रभाव कम होगा जो भारत के लिए बेहतर संकेत हैं। भारत के पड़ोस में घुसकर भारत को घेरने की चीन की नीति को रोकने के लिए भारत को इस प्रकार के विकासात्मक समझौते करते रहने चाहिए।

भारत नेपाल सम्बन्ध

- नेपाल, भारत का एक ऐसा पड़ोसी देश है जिसके साथ हमारे सामाजिक सांस्कृतिक और आर्थिक संबंध अच्छे रहे हैं।
- दोनों देशों के बीच 1850 किलोमीटर से अधिक लंबी सीमा भारत के 5 राज्यों उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल एवं सिक्किम से लगती है।
- 1950 की "भारत-नेपाल शांति और मित्रता संधि" दोनों देशों के बीच के मजबूत संबंधों को आधार प्रदान करती है।
- रक्षा एवं विदेश मामलों में भी इस संधि का प्रभाव देखा जा सकता है तथा नेपाल को भारत से हथियार खरीदने की भी सुविधा प्राप्त हो पाती है।
- दोनों देशों के बीच आवागमन ना सिर्फ आजीविका के लिए होता था बल्कि इन दोनों में सांस्कृतिक तथा पारिवारिक सम्बन्ध ("रोटी - बेटी का रिश्ता") भी है।
- नेपाल अपने व्यापार के लिए ना सिर्फ कोलकाता बंदरगाह का उपयोग करता है बल्कि भारत द्वारा बड़े निवेश से भी लाभान्वित होता है।
- दोनों के मध्य राजनीतिक संबंध भी ठीक रहे हैं! लेकिन वर्तमान समय में चीन द्वारा किए जाने वाले हस्तक्षेप ने इसमें खटास डाल दी है।
- सुगौली संधि तथा लिपुलेख दर्रे पर दोनों देशो में तनाव है जिसे समाप्त करने के प्रयास किये जाने चाहिए।

NOTES

पर्यावरण

1 जलवायु परिवर्तन तथा ओजोन

सन्दर्भ

हाल ही में एक नवीन रिसर्च से पता चला है कि निचले वायुमंडल (क्षोभ मंडल) में ओजोन ने समुद्री जल (विशेष रूप से दक्षिण महासागर) का तापमान पहले की तुलना में अधिक बढ़ा रहा है। अध्ययन से पता चलता है कि ओजोन न केवल एक प्रदूषक है, बल्कि जलवायु परिवर्तन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है

परिचय

हाल ही में डाक्टर माइकल हेगलिंग के ने-तृत्व में यूनिवर्सिटी ऑफ रेडिगं में जलवायु परिवर्तन तथा समुद्री जल के तापन से सम-बंधित एक अनुसन्धान किया गया। इस अनु-सन्धान में यह पाया गया कि ओजोन पृथ्वी के सबसे महत्वपूर्ण शीतलन तंत्रों में से एक को कमजोर कर सकता है। तथा यह पहले की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण ग्रीनहाउस गैसों का निर्माण कर रहा है।

अनुसन्धान के मुख्य विन्दु

- अध्ययन में यह पाया गया है कि 20 वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ओजोन (समतापमंडल में कमी तथा क्षोभ मंडल में वृद्धि) में हुए परिवर्तन अंटार्कटिका के समुद्री जल के एक तिहाई तापन हेतु उत्तरदायी हैं।
- दक्षिणी ध्रुव महासागर में गहरा और तेजी से गर्म होना,वैश्विक तापन के शमन को भी प्रभावित करेगा क्योंकि दक्षिणी ध्रुव महासागर एक महत्वपूर्ण कार्बन शिंक है। इसके गर्म होने महत्वपूर्ण योगदान क्षोभ-मंडल में ओजोन वृद्धि का है।
- **ओजोन** – स्मॉग के मुख्य घटकों में से एक है तथा यह एक महत्वपूर्ण प्रदूषक है। यह अध्ययन बताता है कि आने वाले वर्षो में क्षोभमंडलीय ओजोन जलवायु परिवर्तन को चलाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
- अभी तक यह धारणा थी कि क्षोभमंडलीय ओजोन पर्यावरण के लिए हा-निकारक है तथा एक मुख्य प्रदूषक है परन्तु यह अध्ययन बताता है कि यह वातावरण से अतिरिक्त उष्मा को समुद्र की तरफ भेजता है।
- यह निष्कर्ष उन नीतिनिर्माताओं के लिए एक झटका है जो वायुप्रदूषण तथा वैश्विक तापन को अलग अलग देखते हैं।
- अध्ययन ने बताया कि क्षोभमंडल में बढे हुए ओजोन से होने वाले तापन का 60% प्रभाव दक्षिणी ध्रुव महासागर में पड़ा। हालाँकि यह एक आश्चर्य था कि क्षोभमंडलीय ओजोन वृद्धि से होने वाला प्रदूषण मुख्य रूप से उत्तरी गोलार्ध को प्रभावित करता है।
- इस रिसर्च में 1955 से 2000 तक के ओजोन में परिवर्तन को देखा गया है अत: हम यह कह सकते हैं कि स्थिति और ज्यादा कठिन है।

ओजोन के विषय में

- पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन मुख्यरूप से 15 से 50 किमी तक पाया जाता है।
- ओजोन परत की चौड़ाई डॉब्सन यूनिट में मापा जाता है। यह समतापमंडल तथा क्षोभमंडल में विद्यमान रहता है।
- ओजोन समतापमंडल में ऑक्सीजन अणुओं और सूर्य से यूवी विकिरण के बीच परस्पर क्रिया द्वारा निर्मित होता है तथा क्षोभमंडल में, यह वाहनों के निकास धुएं और अन्य उत्सर्जन जैसे प्रदूषकों के बीच रासायनिक प्रतिक्रियाओं के कारण बनता है।
- समतापमंडलीय ओजोन पृथ्वी के लिए बेहतर है क्योंकि यह सूर्य से आने वाली अल्ट्रावाइलेट किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकता है वहीँ क्षोभमंडलीय ओजोन एक प्रदूषक का कार्य करती है।
- क्लोरोफ्लोरो कार्बन तथा एसी व रेफ्रिज-रेटर से उत्सर्जित होने वाले गैस ओजोन का क्षरण कर ओजोन क्षिद्र का निर्माण करते हैं। ओजोन परत के क्षरण को रोकने के लिए मांट्रियल प्रोटोकाल लाया गया है।

मांट्रियल प्रोटोकाल

- यह ओजोन क्षरण को सम्बोधित करने वाली वैश्विक संधि है।
- इस संधि पर हस्ताक्षर इस 16 सितंबर 1987 से आरम्भ किया गया तथा यह संधि 1 जनवरी 1989 में प्रभावी हुई।
- अब तक इसमें 7 संसोधन हो चुके हैं।
- यह उन पदार्थो (सीएफसी, एचसीएफसी) के चरणबद्ध समापन हेतु निर्मित है जो ओजोन क्षरण के लिए उत्तरदायी हैं।
- आज तक हुए अंतर्राष्ट्रीय समझौतों में से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल सबसे सफल समझौता है। इसे 196 राज्यों द्वारा मान्यता दी गई है।

NOTES

2 मानव रक्त में माइक्रोप्लास्टिक्स

चर्चा में क्यों?

हाल ही में नीदरलैंड के शोधकर्ताओं द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार 22 मानव रक्त नमूनों में से 17 में प्लास्टिक पाया गया।

माइक्रोप्लास्टिक क्या हैं?

माइक्रोप्लास्टिक महासागरों, पर्यावरण और अब मानव रक्त में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के प्लास्टिक के छोटे-छोटे टुकड़े हैं। इस नाम का प्रयोग उन्हें "मैक्रोप्लास्टिक्स" से अलग करने के लिए किया जाता है जैसे प्लास्टिक की बोतलें और बैग, माइक्रोप्लास्टिक के उदाहरण है।

विभिन्न परिभाषाएँ–

माइक्रोप्लास्टिक कण के आकार पर कोई सार्वभौमिक सहमति नहीं है जिसे माइक्रो. प्लास्टिक के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।

यूएस एनओएए (नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन) और यूरोपियन केमिकल एजेंसी माइक्रोप्लास्टिक को 5 मिमी से कम लंबाई के रूप में परिभाषित करती है। लेकिन निम्नलिखित अध्ययन के लिए शोध कर्ताओं ने अनुसंधान उद्देश्यों के लिए कण के आकार की ऊपरी सीमा 0.0007 मिमी या 700 नैनोमीटर निर्धारित की है।

अध्ययन में किन प्लास्टिकों की तलाश की गई?

अध्ययन ने सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले प्लास्टिक पॉलिमर को पाया।

ये निम्नलिखित थे–

1) पॉलीइथिलीन टेट्राफ्थेलेट (पीईटी): आमतौर पर प्लास्टिक कैरी बैग में उपयोग किया जाता है।

2) स्टाइलिन के पॉलिमर: खाद्य पैकेजिंग में उपयोग किया जाता है।

3) पॉलीमेथाइल मिथाइलएक्रिलेट (पीएमएमए): इंजीनियरिंग प्लास्टिक नामक सामग्रियों के समूह से संबंधित है। यह एक पारदर्शी थर्मोप्लास्टिक है। इसे ऐक्रेलिक, ऐक्रेलिक ग्लास के रूप में भी जाना जाता है। इस प्लास्टिक का उपयोग अक्सर शीट के रूप में कांच के हल्के या चकनाचूर-प्रतिरोधी विकल्प के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग कास्टिंग राल के रूप में, स्याही और कोटिंग्स में और कई अन्य उद्देश्यों के लिए भी किया जा सकता है।

4) पॉली प्रोपलीन (पीपी): पॉलीप्रोपीन के रूप में भी जाना जाता है, एक थर्मोप्ला. स्टिक बहुलक है जिसका उपयोग कपड़ों और चिकित्सा उद्योगों जैसे विभिन्न प्रकार के अनुप्रयोगों में किया जाता है।

इस अध्ययन के प्रमुख परिणाम क्या हैं?

अध्ययन में पाया गया कि परीक्षण किए गए 77 प्रतिशत लोगों (22 में से 17) ने विभिन्न मात्रा में माइक्रोप्लास्टिक का सेवन किया है।

- 50% नमूनों में पीईटी कणों का पता चला।
- 36% नमूनों में पॉलीस्टाइरीन कण पाए गए।
- 23% नमूनों में पॉलीथीन के कण पाए गए।
- 5% नमूनों में पॉलीमेथाइल मिथाइलएक्रिलेट पाया गया।

अध्ययन के अनुसार प्रत्येक डोनर में प्रति मिली लीटर रक्त में 1.6 माइक्रोग्राम प्लास्टिक के कण थे।

माइक्रोप्लास्टिक का स्वास्थ्य पर प्रभाव –

- यह अभी तक स्पष्ट नहीं है कि क्या ये माइक्रोप्लास्टिक रक्त प्रवाह से निकलकर अंगों में जमा हो सकते हैं और बीमारियों का कारण बन सकते हैं।
- शोधकर्ताओं ने पाया है कि मानव प्लेसेंटा पॉलीस्टाइनिन (50, 80 और 24 नैनोमीटर कण) के छोटे कणों के लिए पारगम्य था।
- चूहों पर प्रयोग जब उसके फेफड़े पॉलीस्टाइरीन के संपर्क में आए तो नैनोकणों का प्लेसेंटल और फॉटल टिश्यू में स्थानान्तरण हुआ।
- चूहों में माइक्रोप्लास्टिक के जमाव कारण ये यकृत, गुर्दे और आंत में जमा हो गए।

विज्ञान एवं तकनीक

1 नासा का आर्टेमिस कार्यक्रम

खबरों में क्यों?

हाल ही में, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन (छौ।) ने फ्लोरिडा यूएसए के कैनेडी स्पेस सेंटर में अपने आर्टेमिस-I मून मिशन का परीक्षण किया।

मिशन के उद्देश्य–

यह आम नागरिक को 2024 तक चांद पर उतारने की योजना बना रहा है।

इस मिशन के साथ नासा का उद्देश्य वैज्ञानिक खोज और आर्थिक लाभों में योगदान देना और नई पीढ़ी के खोजकर्ताओं को प्रेरित करना है।

रोबोट और अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा अन्वेषण में सहायता के लिए नासा सतह पर एक आर्टे. मिस बेस कैंप और चंद्रमा की कक्षा में एक

प्रवेश द्वार स्थापित करेगा।

यह गेटवे नासा के स्थायी चंद्र मिशन को सक्षम करेगा और चंद्रमा की परिक्रमा करने वाले बहुउद्देशीय योजनाओं की चौकी के रूप में काम करेगा।

आर्टेमिस मिशन की विशेषताएं-

- यह नासा का पहला डीप स्पेस एक्सप्लो. रेशन सिस्टम है।
- यह एक मानव रहित अंतरिक्ष मिशन है।
- इसका नाम चंद्रमा की ग्रीक देवी 'आर्टेमिस' के नाम पर रखा गया है जो ग्रीक भगवान अपोलो की जुड़वां बहन हैं।
- आर्टेमिस का पूरा नाम "अक्सेलरेशन, री-कनेक्शन, टर्बुलेन्स, इलेक्ट्रो-डायनामिक ऑफ द मून्स इंटरेक्शन विथ द सन" है।

अंतरिक्ष प्रक्षेपण प्रणाली (एसएलएस)

1. स्पेस लॉन्च सिस्टम (**SLS**)- इस मिशन में दुनिया के सबसे शक्तिशाली रॉकेट का इस्तेमाल किया जा रहा है।
2. यह आने वाले हफ्तों में पृथ्वी से 2,80,000 मील की दूरी तय करेगा।
3. एसएलएस रॉकेट सिस्टम को पृथ्वी की निचली कक्षा से ऊपर अंतरिक्ष मिशन के लिए डिजाइन किया गया है, यानी यह चालक दल या कार्गो को चंद्रमा और उससे आगे तक ले जा सकता है।

अंतरिक्ष यात्रियों के लिए किसी भी जहाज की तुलना में ओरियन अंतरिक्ष यान एक अंतरिक्ष स्टेशन पर डॉक किए बिना, अंतरिक्ष में भ्रमण करेगा। क्रॉलर ट्रांसपोर्टर 2 वाहन का उपयोग परिवहन के लिए किया जा रहा है।

परियोजना में शामिल अन्य अंतरिक्ष एजेंसियां-

कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी (उन्नत रोबोटिक्स प्रदान करेगी) और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ईएसए) संचार उद्देश्यों के लिए अंतर्राष्ट्रीय आवास और ईस्पिरिट मॉड्यूल प्रदान करेगी और जापान एयरोस्पेस एक्सप्लोरेशन आवास घटकों और रसद पुन: आपूर्ति में योगदान करने की योजना बना रही है।

प्रयुक्त प्रणोदन प्रणाली अंतरिम क्रायोजेनिक प्रणोदन चरण (आईसीपीएस) है जो एक तरल ऑक्सीजन/तरल हाइड्रोजन-आधारित प्रणोदन प्रणाली है।

भविष्य के मिशन-

1) मंगल ग्रह पर पहले अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने के लिए 'द आर्टेमिस प्रोग्राम' के अनुभव का इस्तेमाल किया जाएगा।

2) इस कार्यक्रम के तहत दूसरी उड़ान में बोर्ड पर एक चालक दल होगा।

3) इस अनुभव का उपयोग करके सौर मंडल में आगे अंतरिक्ष में मानव अन्वेषण का पता लगाया जाएगा।

4) आर्टेमिस 3 का दल, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जाएगा। जहाँ कभी कोई नहीं गया है।

चंद्रमा पर, अंतरिक्ष यात्री करेंगे:

- चंद्रमा के पानी की खोज और उसका उपयोग।
- चंद्रमा के रहस्यों का पता लगाने के लिए उसका अध्ययन।
- खगोलीय पिंड की सतह पर रहना और काम करना।
- मंगल ग्रह पर अंतरिक्ष यात्रियों को मिशन पर भेजने से पहले जिन तकनीकों की आवश्यकता है, उनका परीक्षण करना, जिसमें तीन साल तक का समय लग सकता है।

2 स्मार्ट एआई निर्माण के लिए हाइब्रिड मानव-मशीन फ्रेमवर्क

सन्दर्भ

हाल ही में हुए एक अनुसन्धान में दावा किया गया है कि स्मार्ट तथा एक्यूरेट कृत्रिम बुद्धिमता के लिए हाइब्रिड मानव-मशीन दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है।

परिचय

विभिन्न क्षेत्रो से सम्बद्ध सवालों का जवाब देने वाले चौटबोट्स से लेकर ऑटोमैटिक व्हीकल कंट्रोल तक में प्रयुक्त अल्गोरिद्म के साथ कृत्रिम बुद्धिमत्ता हमारे जीवन के कई पहलुओं में प्रवेश कर चुकी है। हाल ही में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय शोधकर्ताओं द्वारा किये गए एक अध्ययन के अनुसार यह पता चला है कि हाइब्रिड मानव-मशीन दृष्टिकोण की सहायता से कृत्रिम बुद्धिमत्ता को अधिक सटीक तथा स्मार्ट बनाया जा सकता है । प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एके. डमी ऑफ साइंसेज में इस महीने प्रकाशित एक अध्ययन में,शोधकर्ताओं द्वारा बताया गया कि वे एक नया गणितीय मॉडल प्रस्तुत करने वाले हैं जो मानव और एल्गोरिथम भविष्यवाणियों और आत्मविश्वास स्कोर के संयोजन से प्रदर्शन में सुधार कर सकता है।

अनुसन्धान के मुख्य विन्दु

- इस अनुसन्धान में मनुष्य तथा मशीन के संकरण से कृत्रिम बुद्धिमत्ता को विकसित करने पर जोर दिया जा रहा है। इस अनुसन्धान का मुख्य आधार यह है कि मनुष्य तथा मशीन एक दुसरे की शक्ति तथा कमजोरी हैं। दोनों ही निर्णय लेने हेतु आवश्यक सूचना के लिए एक दुसरे पर निर्भर करती हैं।
- इस सन्दर्भ में शोधकर्ताओं ने एक छवि वर्गीकरण प्रयोग किया। इस प्रयोग में मानव प्रतिभागियों तथा कम्प्यूटर एल्गोरिदम के द्वारा जानवरो तथा दैनिक उपयोग की वस्तुओं (कुर्सियों, बोतलों, साइकिलों, ट्रकों) की विकृत तस्वीरों को उचित ढंग से पहचानने के लिए अलग -अलग प्रयोग किया। मानव प्रतिभागियों ने प्रत्येक छवि को पहचानने में आत्मविश्वास का प्रयोग किया गया जबकि मशीन क्लासिफायर ने निरंतर स्कोर उत्पन्न किया। अत: इससे स्पष्ट हुआ कि परिणामों ने छवियों में मनुष्यों और एआई एल्गोरिदम के बीच विश्वास में बड़ा अंतर दिखाया।
- कुछ विशेष मामलो में जहाँ मानव प्रति. भागी आत्मविश्वास से परिपूर्ण थे जबकि

एआई एल्गोरिदम कहीं कहीं संशय में था।

- जबकि कई अन्य क्षाबियों में एआई एल्गोरिदम दिखाए गए ऑब्जेक्ट के लिए आत्मविश्वास से एक लेबल प्रदान करने में सक्षम था, जबकि मानव प्रतिभागी अनिश्चित थे।
- इस प्रकार इन दोनों में ही आत्मविश्वास तथा प्रेडिक्शन की कमी थी। परन्तु जब बायेसियन ढांचे का प्रयोग कर दोनों को जोड़ा गया तो हाइब्रिड मॉडल ने उन दोनों से बेहतर प्रदर्शन किया।
- इस शोध से कृत्रिम बुद्धिमत्ता के ष्वन साइज फिट्स फॉर आल ष की आलोचना समाप्त होगी तथा नवीन सोच हेतु स्थान बना रहेगा। यह काम मानव और मशीन भविष्यवाणियों के संयोजन की क्षमता का प्रदर्शन करने में एक नई दिशा प्रदान करता है।

क्या है कृत्रिम बुद्धिमत्ता

- कृत्रिम बुद्धिमत्ता का तात्पर्य मुख्य रूप से मशीनों में समझ विकसित करने से है।
- विशेषज्ञों का मानना है कि चतुर्थ औद्यो. गिक क्रांति में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की बड़ी भूमिका होगी।
- कृत्रिम बुद्धिमत्ता के प्रयोग से भारत कृषि, डिजिटल शासन, शिक्षा, प्रौद्योगिकी, सेना, स्वास्थ्य इत्यादि के क्षेत्र में प्रगति कर सकता है।
- भारत में व्यापक डेटाबेस होने के कारण कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विकास की पूरी संभा. वनाएं हैं।
- कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रयोग भारत के द्वारा 5 ट्रिलियन इकोनामी तक पहुंचने के लक्ष्य में भी सहयोगी होगा।
- यद्यपि कृत्रिम बुद्धिमत्ता के साथ कुछ चुनौतियां यथा निजता का हनन, तकनीकी तथा डिजिटल पिछड़ापन, बेरोजगारी तथा असमानता में वृद्धि इत्यादि भी संबद्ध है।

निष्कर्ष

वर्तमान समय में तकनीक का उपयोग बढ़ रहा है। कृषि, शासन, सेना इत्यादि सभी क्षेत्रो में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग बढ़ रहा है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के साथ नैतिक दुविधाएं भी संबद्ध हैं। मनुष्य-मशीन के हाइब्रिड संयोजन से ऐसी दुविधाएं समाप्त हो सकती हैं तथा सटीकता, क्षमता तथा रचनात्मकता का संयोजन हो सकेगा।

आर्थिक

1 एचडीएफसी ट्विन्स का विलय

1. डील :-

बंधक ऋणदाता एचडीएफसी लिमिटेड और भारत के सबसे बड़े निजी क्षेत्र के बैंक एचडीएफसी बैंक ने विलय की घोषणा की है। इस एकीकरण से ऋण की बढ़ती मांग का बेहतर तरीके से पूरा होने की उम्मीद है।

2. शर्तें:-

संबंधित बोर्डों ने एकीकरण को मंजूरी दे दी है। शेयर स्वैप के अंतर्गत एचडीएफसी लिमिटेड के शेयरधारकों को एचडीएफसी लिमिटेड में उनके प्रत्येक 25 शेयरों के लिए एचडीएफसी बैंक के 42 शेयर प्राप्त होंगे। विलय के बाद एचडीएफसी लिमिटेड एक अलग बंधक ऋणदाता नहीं होगा, इसका बैंक में विलय हो जाएगा । बंधक ऋणदाता के अधिग्रहण के साथ, यह सभी सहायक कंपनियों का भी अधिग्रहण करेगा , जिसमें एक सामान्य बीमा कंपनी, एक जीवन बीमा कंपनी और एक परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी शामिल है।

3. ग्राहकों और कर्मचारियों के बारे में

एचडीएफसी लिमिटेड के ग्राहक बैंक के ग्राहक भी बनेंगे। एचडीएफसी लिमिटेड के कर्मचारियों को बैंक में समाहित किया जाएगा और सभी कर्मचारियों को बरकरार रखा जाएगा।

4. विलय की परिस्थितियां

हाउसिंग फाइनेंस स्पेस में प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है। बड़े वित्तीय घराने एलआईसी हाउ. सिंग फाइनेंस, पीएनबी हाउसिंग, बैंक ऑफ बड़ौदा हाउसिंग, एसबीआई हाउसिंग है। इसलिए एचडीएफसी लिमिटेड और एचड. ीएफसी बैंक एक ही छत के नीचे अपनी सेवाएं देंगे। बैंकिंग के नजरिए से उधार देते समय, यह आसान हो जाता है क्योंकि आपकी बैलेंस शीट का आकार बढ़ने पर फंड की लागत कम हो जाती है। पूंजी जुटाने पर पूंजी की लागत भी कम हो जाती है। एचडीएफसी बैंक के लिए, यह क्रॉस-सेलिंग उद्देश्यों के लिए ग्राहकों के एक बड़े आधार तक पहुंच प्राप्त करने के बारे में है। एचड. ीएफसी लिमिटेड के लिए, यह मुख्य रूप से पूंजी की कम लागत के बारे में है।

5. एनपीए

एचडीएफसी बैंक के लिए, बैड लोन एक प्रमुख दबाव बिंदु नहीं है क्योंकि यह प्रति. स्पर्धियों की तुलना में एक रूढ़िवादी ऋणदा. ता रहा है। यह हमेशा कॉरपोरेट्स को बड़े उधार देने से कतराता रहा है। उनका ज्यादातर कर्ज खुदरा कर्जदारों को है। एचडीएफसी

लिमिटेड के लिए, महामारी के दौरान होम लोन पर कुछ दबाव था, लेकिन अब तक उन्होंने जो खुलासा किया है, उसके आधार पर यह बड़ा दबाव बिंदु भी नहीं है। साथ ही, बैंक के साथ विलय से, आने वाले समय में किसी भी दबाव को कम करने में मदद मिलेगी।

6. उधार देने के तरीके में बदलाव

भारत में अवसंरचना ऋण एक गंभीर समस्या रही है। सरकार यह स्पष्ट कर रही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट के लिए फंडिंग की जरूरत है। यह देखने की आवश्यकता है कि क्या विलय की गई इकाई के पास बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को उधार देने की विशेषज्ञता है, जो एक जोखिम भरा कदम है। उनके पास बड़ी मात्रा में धन है, और यदि वे अच्छे उद्यमियों और अच्छी सरकारी परियोजनाओं के साथ विशिष्ट अवसर देखते हैं, तो वे इसके लिए जा भी सकते हैं।

7. सौदे का प्रभाव

यह संभव है कि एनबीएफसी, बैंकों के साथ विलय की मांग कर सकती हैं। बैंकों की संख्या पहले से ही कम हो रही है। एचडीएफसी लिमिटेड के साथ एचडीएफसी बैंक का विलय राज्य द्वारा संचालित बैंकिंग क्षेत्र में क्या होने जा रहा है, इसका अग्रदूत हो सकता है, जहां सरकार ने कहा है कि वह सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या कम करने जा रही है।

2 रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन

भारत का सकल गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) संग्रह मार्च में रिकॉर्ड ₹1,42,095 करोड़ रहा, जो जनवरी के उच्चम स्तर ₹1,40,986 करोड़ को पार कर गया और 2021-22 के लिए केंद्र के अनुमानित सकल कर राजस्व को, सरकार के संशोधित राजस्व से काफी ऊपर उठा दिया।

तुलना

फरवरी में किए गए लेनदेन के लिए मार्च जीएसटी राजस्व, एक साल पहले की तुलना में 15% अधिक और मार्च 2020 की तुलना में 46% अधिक था। माल के आयात से राजस्व 25% अधिक था और घरेलू लेनदेन से राजस्व, सेवाओं के आयात सहित, एक साल पहले की तुलना में 11% अधिक थे । 2021-22 की अंतिम तिमाही में मासिक संग्रह औसतन ₹1.38 लाख करोड़ रहा, जबकि पूर्ववर्ती अवधि में यह ₹1.3 लाख करोड़ था।

राज्यों से रुझान

हालांकि मार्च 2021 के स्तर से घरेलू लेनदेन और सेवाओं के आयात से राजस्व में 11% की वृद्धि हुई, परन्तु प्रमुख राज्यों से रुझान मिश्रित थे। ओडिशा में राजस्व 26%, महाराष्ट्र में 19%, हरियाणा में 17% और गुजरात में 12% बढ़ा। पश्चिम बंगाल का जीएसटी संग्रह सिर्फ 2% बढ़ा, जबकि वे उत्तर प्रदेश में 6% बढ़े ।

दक्षिणी राज्यों में, आंध्र प्रदेश के जीएसटी राजस्व में 18% वृद्धि हुई है, इसके बाद केरल में 14%, कर्नाटक में 11% और तमिलनाडु में केवल 6% की वृद्धि हुई। तेलंगाना में मात्र 2% की वृद्धि हुई।

भविष्यवाणी

आईसीआरए की मुख्य अर्थशास्त्री अदिति नायर ने कहा कि आर्थिक गतिविधियों में सुधार और साल के अंत में समायोजन से अप्रैल में जीएसटी राजस्व में और वृद्धि होगी, तथा मार्च का आंकड़ा ई-वे बिल जनरेशन में रिबाउंड के अनुरूप था। “उच्च जीएसटी संग्रह, फरवरी में सोने के आयात में रिबाउंड द्वारा संचालित सीमा शुल्क राजस्व के अलावा, प्रत्यक्ष करों के साथ, भारत सरकार के सकल कर राजस्व को वर्ष के संशोधित अनुमानों से काफी ऊपर धकेलने की संभावना है,” सुश्री नायर ने कहा, यह मानते हुए कि वास्तविक संग्रह से ₹27.6 लाख करोड़ के संशोधित अनुमान को ₹ 2.25 लाख करोड़ से अधिक श्ओवरशॉटश किया जा सकता है।

वित्त मंत्रालय का बयान

वित्त मंत्रालय ने कहा कि रिकॉर्ड मासिक प्राप्तियों ने संकेत दिया कि व्यावसायिक गतिविधि में तेजी से वसूली चल रही थी, इस तथ्य का हवाला देते हुए कि फरवरी में उत्पन्न ई-वे बिलों की संख्या जनवरी के 6.88 करोड़ के आंकड़े को श्छोटे महीनेश के बावजूद तीन लाख से अधिक थी। पहली और दूसरी तिमाही में औसत क्रमशः ₹1.1 लाख करोड़ और ₹1.15 लाख करोड़ था । मंत्रालय ने कहा कि 'फर्जी बिलर्स के खिलाफ चोरी विरोधी गतिविधियों' ने भी संग्रह बढ़ाने में मदद की है। मार्च में कॉरपोरेट्स की मजबूत बिक्री गतिविधि से रिकॉर्ड जीएसटी संग्रह को भी सहायता मिली है, क्योंकि वे वित्तीय वर्ष को उच्च विकास के साथ समाप्त करने में सहायक होगा।

NOTES

राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय घटनाओं की महत्वपूर्ण खबरें

1. वी-डेम इंस्टीट्यूट के लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत को 93वें स्थान

स्वीडन के वी-डेम इंस्टीट्यूट ने 'डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022: ऑटोक्रेटाइजेशन चेंजिंग नेचर' शीर्षक से अपनी नवीनतम रिपोर्ट जारी की है। स्वीडन लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स (एलडीआई) में सबसे ऊपर है जबकि डेनमार्क, नॉर्वे, कोस्टा रिका और न्यूजीलैंड शीर्ष पांच में हैं। इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत फिसलकर 100वें स्थान पर आ गया है और डेलीबरेटिव कंपोनेंट इंडेक्स में भारत ने 102वां स्थान प्राप्त किया है। रिपोर्ट में, देशों को वी-डेम के लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स (एलडीआई) में उनके स्कोर के आधार पर चार शासन में वर्गीकृत किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार, 15 देशों में लोकतंत्रीकरण की एक नई लहर देखी जा रही है जबकि 32 देशों में निरंकुशता (ऑटोक्रेसी) पाई गई। इस रिपोर्ट के अनुसार, भारत को 'इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी' यानि 'चुनावी निरंकुशता' के रूप में वर्गीकृत किया गया है। 2020 में भारत के उदार लोकतंत्र का स्तर 0.34 दर्ज किया गया है। विश्व स्तर पर लोकतंत्र का स्तर घटकर 1989 के स्तर पर आ गया है। वर्तमान में, दुनिया में 89 लोकतंत्र और 90 निरंकुश/ऑटोक्रेसी देश हैं।

2. राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम की स्थापना को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अधिशेष भूमि मुद्रीकरण को संभालने के लिए राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम (एनएलएमसी) के गठन को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) और अन्य सरकारी एजेंसियों की अधिशेष भूमि और भवन संपत्ति का मुद्रीकरण एनएलएमसी द्वारा किया जाएगा। यह 5,000 करोड़ रुपये की प्रारंभिक अधिकृत पूंजी और 150 करोड़ रुपये की चुकता पूंजी के साथ 100% सरकारी स्वामित्व वाला निगम होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे सरकार अप्रयुक्त और कम उपयोग की गई संपत्तियों का मुद्रीकरण करके राजस्व उत्पन्न करने में सक्षम होगी। एनएलएमसी बंद होने वाली सीपीएसई की अधिशेष भूमि और भवन परिसंपत्तियों के साथ-साथ सरकार के स्वामित्व वाले सीपीएसई की अधिशेष गैर-प्रमुख भूमि संपत्तियों का स्वामित्व, प्रबंधन और मुद्रीकरण भी करेगा।

3. 2021 स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग में आंध्र प्रदेश प्रथम स्थान पर

भारत के थिंक टैंक स्कॉच ने स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 के नाम से अपनी एक वार्षिक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में आंध्र प्रदेश को पुलिस और सुरक्षा, कृषि, जिला प्रशासन और ग्रामीण विकास में भी शीर्ष स्थान मिला है। लगातार दूसरी बार आंध्र प्रदेश ने शासन/गवर्नेंस में पहला स्थान बरकरार रखा। इससे पहले आंध्र प्रदेश 2018 में दूसरे स्थान तथा 2019 में चौथे स्थान पर था। पश्चिम बंगाल और ओडिशा को क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान मिला है जबकि गुजरात और महाराष्ट्र को क्रमशः चौथा और पांचवां स्थान मिला है। रैंकिंग में तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम और हिमाचल को "पर्फार्मर" राज्य घोषित किया गया। वहीं बिहार, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, छत्तीसगढ़ और राजस्थान को "कैचिंग अप" श्रेणी में रखा गया है। बता दें कि स्कॉच राज्यों द्वारा कार्यान्वित विभिन्न परियोजनाओं का मूल्यांकन करने के बाद रैंकिंग देता है।

4. 100% महिलाओं के स्वामित्व वाला पहला 'औद्योगिक पार्क' हैदराबाद में खोला गया

तेलंगाना के मंत्री के टी रामा राव ने हैदराबाद में भारत के पहले 100 प्रतिशत महिलाओं के स्वा. मित्व वाले 'औद्योगिक पार्क' का उद्घाटन किया। यह 50 एकड़ का औद्योगिक पार्क 250 करोड़ रुपये के निवेश से स्थापित किया गया है। यह तेलंगाना सरकार के सहयोग से फिक्की महिला संगठन (एफएलओ) द्वारा स्थापित किया गया है। इसने 16 विविध ग्रीन श्रेणी के उद्योगों से 25 महिलाओं के स्वामित्व और संचालित इकाइयों के साथ अपना संचालन शुरू किया। यह चैप्टर सदस्यों और एफएलओ के राष्ट्रीय सदस्यों की भागीदारी के साथ राष्ट्रीय स्तर पर अपनी तरह की पहली परियोजना है। राज्य सरकार महिला उद्यमियों को 10% अतिरिक्त सब्सिडी भी देगी। बता दें कि विशेष रूप से महिलाओं के लिए औद्योगिक पार्क की संकल्पना 2013 में की गई थी।

5. बांग्लादेश की रिजवाना हसन को 2022 के लिए यूएस इंटरनेशनल वुमन ऑफ करेज अवार्ड के लिए चुना गया

बांग्लादेश की पर्यावरण वकील रिजवाना हसन को यूएस इंटरनेशनल वुमन ऑफ करेज अवार्ड के लिए चुना गया है। वह उन 12 महिलाओं में से एक हैं जिन्हें उनके असाधारण साहस और नेतृत्व के लिए अमेरिकी विदेश विभाग द्वारा सम्मानित किया जाएगा। रिजवाना को 14 मार्च को एक वर्चुअल समारोह में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी जे ब्लिंकन द्वारा सम्मानित किया जाएगा। बता दें कि रिजवाना हसन बांग्लादेश पर्यावरण वकील संघ की मुख्य कार्यकारी भी हैं। उन्होंने वनों की कटाई, प्रदूषण, अनियमित जहाज तोड़ने और अवैध भूमि विकास के खिलाफ कई मामले लड़े हैं। इससे पहले पर्यावरण क्षरण और जलवायु परिवर्तन के खिलाफ किये गए कार्य के लिए उन्हें 2012 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला था।

संक्षेप में जाने इंटरनेशनल वुमन ऑफ करेज अवार्ड को :-

यह 2007 में अमेरिकी विदेश विभाग द्वारा स्थापित किया गया था। यह उन महिलाओं को दिया जाता है जिन्होंने अपने समुदायों में बदलाव लाने के लिए असाधारण साहस, ताकत और नेतृत्व दिखाया है।

6. विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनिसेफ द्वारा EQUIP प्लेटफार्म लांच

हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनिसेफ द्वारा **EQUIP** प्लेटफार्म लांच किया गया है जि. सका मकसद मानसिक स्वास्थ्य समस्या के शिकार लोगों को मनोवैज्ञानिक सहायता और समर्थन प्रदान करना है।

WHO का कहना है कि मानसिक स्वास्थ्य में लगाया गया प्रत्येक 1 डॉलर बदले में 4 डॉलर प्रदान करेगा। इसका मतलब है कि मानव पूंजी निर्माण को यह मजबूती देगा। **WHO** का कहना है कि दुनिया में लगभग 1 बिलियन लोग **Mental Disorder** से ग्रसित हैं और निम्न आय वाले देशों की 75 प्रतिशत आबादी को इसका इलाज नहीं मिल पाता।

विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनिसेफ का कहना है कि विकसित और मध्यम आय अर्थव्यवस्था वाले देशों में मेंटल हेल्थ सर्विसेस तो मिल भी जाती हैं लेकिन अफगानिस्तान, इथोपिया, यमन जैसे दुनिया के कई देशों में इस मामले में स्थिति बहुत खराब है।

इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनिसेफ ने इक्विप प्लेटफार्म को विकसित किया है जिस का फुल फॉर्म है एन्स्युरिंग क्वालिटी इन साइकोलॉजिकल सपोर्ट।

7. भारत आईएसएसएफ विश्व कप 2022 की पदक तालिका में शीर्ष पर रहा

आईएसएसएफ विश्व कप 2022 में 4 स्वर्ण, 2 रजत, एक कांस्य के साथ भारत पदक तालिका में शीर्ष पर रहा। नॉर्वे छह पदक- तीन स्वर्ण, एक रजत और दो कांस्य के साथ दूसरे स्थान पर और तीन स्वर्ण के साथ फ्रांस तीसरे स्थान पर रहा। रिदम सांगवान और अनीश भानवाला ने 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल मिश्रित टीम टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता। जबकि महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल टीम स्पर्धा में भारत ने फाइनल में सिंगापुर को 17-13 से हराया। आईएसएसएफ विश्व कप 2022 का आयोजन काइरो में किया गया था। बता दें कि आईएसएसएफ विश्व कप की शुरुआत इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन ने 1986 में की थी।

8. फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट में भारत लगातार दूसरे वर्ष आंशिक रूप से स्वतंत्र

यूएस आधारित एनजीओ फ्रीडम हाउस द्वारा जारी वार्षिक रिपोर्ट में इस साल भारत का स्कोर 100 में से 66 है। भारत का स्कोर 2021 में 67 और 2020 में 71 था। बता दें कि 71 के स्कोर को रिपोर्ट में स्वतंत्र के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। इस वर्ष रिपोर्ट का शीर्षक "फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2022-द ग्लोबल एक्सपेंशन ऑफ ऑथोरिटेरियन रूल" है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सरकार की भेदभावपूर्ण नीतियों और उत्पीड़न में वृद्धि ने भारत की मुस्लिम आबादी को प्रभावित किया है। इस वर्ष पाकिस्तान और श्रीलंका का स्कोर क्रमशः 37 और 55 अंक है। सूडान, सोमालिया, सीरिया और सऊदी अरब सबसे कम स्वतंत्रता अंक वाले देश हैं। सूडान का स्कोर 100 में से एक है।

9. एएसबीसी एशियाई युवा और जूनियर मुक्केबाजी चौंपियनशिप में भारत को 6 स्वर्ण पदक

जॉर्डन के अम्मान में 2022 एएसबीसी एशियाई युवा और जूनियर मुक्केबाजी चौंपियनशिप में, विनी (**50kg**), यक्षिका (**52kg**) और विधि के नेतृत्व में छह भारतीय जूनियर मुक्केबाजों ने स्वर्ण पदक जीते। भारतीय टीम ने महाद्वीपीय स्पर्धा में कुल 39 पदक, जूनियर में 21 और युवा वर्ग में 18 पदक जीते हैं, जिसमें पुरुष और महिला दोनों वर्ग शामिल हैं। भारत ने दुबई में आयोजित प्रतियोगिता के 2021 संस्करण में 14 स्वर्ण सहित 39 पदक जीते थे। भारत, ईरान, कजाकिस्तान, मंगोलिया, ताजिकिस्तान और उजबेकिस्तान सहित 21 देशों के 352 मुक्केबाजों ने प्रतियोगिता में भाग लिया।

10. भारत के कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात में 23% की वृद्धि हुई

भारत के उत्पादों का निर्यात अप्रैल-जनवरी 2020-21 में 15 हजार 974 मिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर अप्रैल-जनवरी 2021-22 में 19 हजार 709 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। चावल का निर्यात भी पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 13 प्रतिशत, गेहूं का निर्यात भी 387 प्रतिशत, अन्य अनाजों के निर्यात में 66 प्रतिशत, मांस, डेयरी और पोल्ट्री उत्पादों का निर्यात 13 प्रतिशत बढ़ा है। अप्रैल-जनवरी 2021-22 के दौरान फलों और सब्जियों का निर्यात 1207 मिलियन अमरीकी डालर तक पहुंच गया। वहीं फलों और सब्जियों के निर्यात में 16 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। अप्रैल-जनवरी 2021-22 के दौरान मोटे अनाज तथा अन्य प्रसंस्कृत खाद्य मदों के निर्यात में 14 प्रतिशत की वृद्धि हुई। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात में वृद्धि एपीडा द्वारा की गई विभिन्न पहलों का परिणाम है। एपीडा ने भारत से भौगोलिक संकेत (जीआई) पंजीकृत कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात को भी बढ़ावा दिया है।

समसामयिकी घटनाएं एक नजर में

- फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने यूएई को "ग्रे लिस्ट" में रखा।
- श्रम मंत्रालय ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के भविष्य के लिए डोनेट-ए-पेंशन कार्यक्रम शुरू किया।
- सरकार ने यूनिसेफ के सहयोग से कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान शुरू किया।
- भारतीय गायिका उषा उत्थुप की जीवनी ऑक्सफोर्ड बुकस्टोर में जारी की गई।
- यूक्रेन-रूस युद्ध के चलते रूस दुनिया का सबसे ज्यादा प्रतिबंध झेलने वाला देश बन गया है। रूस पर वर्तमान समय में कुल 5,530 प्रतिबंध लगाये गए हैं। जिसमें से 2778 प्रतिबन्ध युद्ध घोषित होने के बाद लगाये गए हैं।
- माइक्रोसॉफ्ट भारत के हैदराबाद में अपना सबसे बड़ा डेटा केंद्र स्थापित करेगा।
- छत्तीसगढ़ में महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 'कौशल्या मातृत्व योजना' शुरू की गई।
- संस्कृति मंत्रालय और कपड़ा मंत्रालय आपसी सहयोग से भारतीय हस्तशिल्प और कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए "झरोखा" कार्यक्रम आयोजन करेंगे।
- 2041 क्लाइमेट फोर्स अंटार्कटिका अभियान में भारत का प्रतिनिधित्व आरुषि वर्मा करेंगी।
- कर्नाटक सरकार ने महिलाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए “महिला” कार्यक्रम शुरूवात की।
- देबाशीष पांडा होंगे आईआरडीएआई के नए अध्यक्ष।
- यूनानी चिकित्सा पर दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन श्रीनगर में संपन्न हुआ।
- अजय भूषण पांडे को एनएफआरए (राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण) का नया प्रमुख नियुक्त किया गया।
- कैटलिन नोवाक हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई।
- अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस प्रत्येक वर्ष 12 अप्रैल को मनाया जाता है।
- इक्वाडोर जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश बना।
- सबसे पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार पीएम नरेंद्र मोदी को दिया जाएगा।
- शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है।
- डॉ मनोज सोनी को यूपीएससी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।

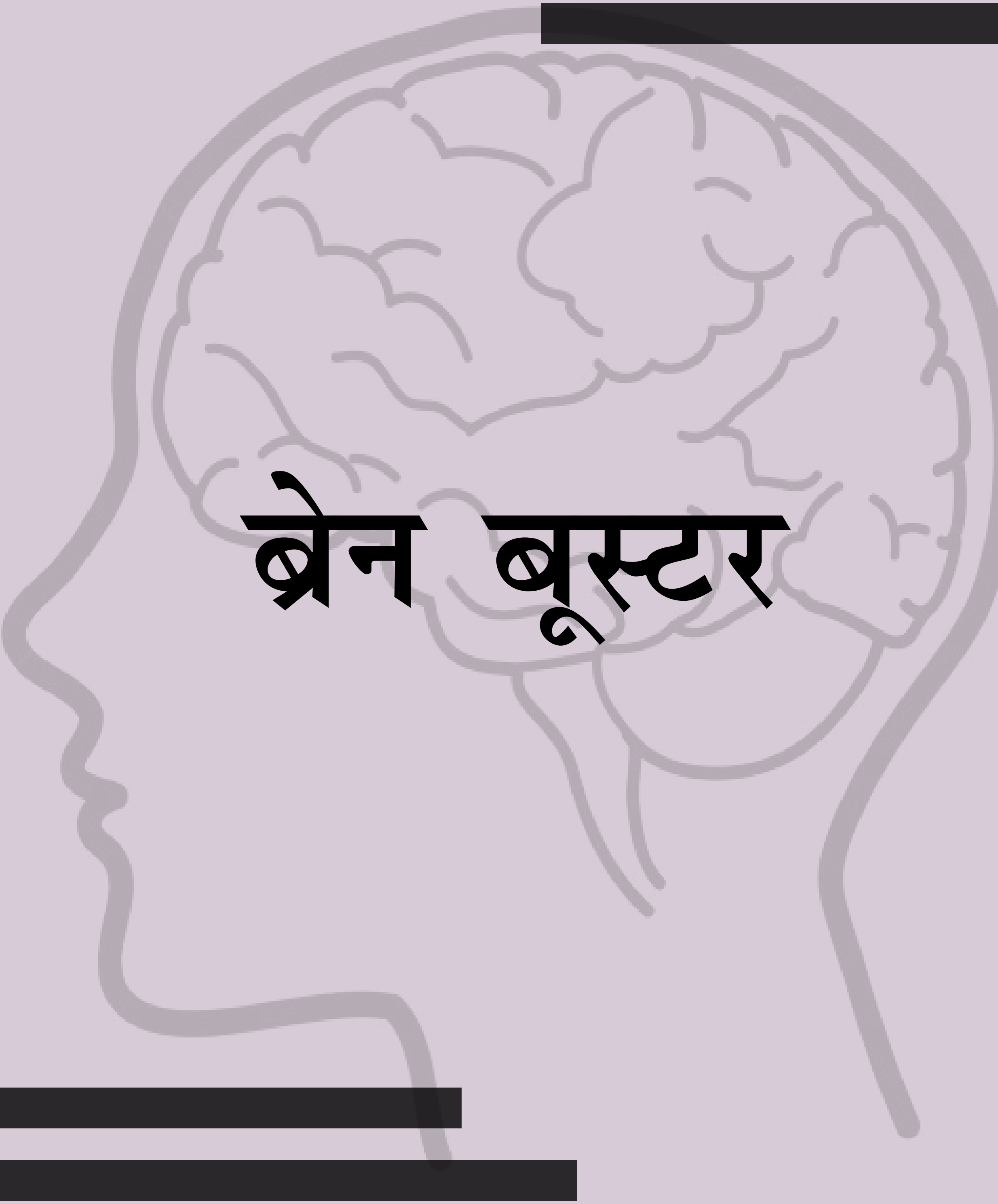

ब्रेन बूस्टर

पेंशन योजनाये

1. खबरों में क्यों:

23 फरवरी को, राजस्थान सरकार ने 1 जनवरी 2004 को या उसके बाद सेवा में शामिल हुए सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना की बहाली की घोषणा की। घोषणा के कारण, राज्य में नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) को बंद कर दिया जाएगा। राजस्थान के बाद छत्तीसगढ़ ने भी पुरानी पेंशन योजना की बहाली की घोषणा की।

2. पुरानी पेंशन योजना के बारे में

- पुरानी पेंशन योजना को परिभाषित पेंशन लाभ योजना के रूप में भी जाना जाता है।
- योजना सेवानिवृत्ति के बाद, आजीवन आय का आश्वासन देती है।
- आमतौर पर सुनिश्चित राशि अंतिम आहरित वेतन के 50% के बराबर होती है।
- पेंशन पर होने वाले खर्च को सरकार वहन करती है।
- योजना 2004 में बंद कर दी गई थी।

3. नेशनल पेंशन सिस्टम (एन.पीएस) के बारे में

- प्रधानमंत्री वाजपेयी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने 2003 में पुरानी पेंशन योजना को बंद करने का निर्णय लिया और एनपीएस की शुरुआत की गयी।
- यह योजना 1 अप्रैल 2004 से केंद्र सरकार की सेवा (सशस्त्र बलों को छोड़कर) में शामिल होने वाले सभी नए कार्मिको पर लागू है।
- एनपीएस की शुरूआत पर, केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 में संशोधन किया गया था।
- यह एक ऐसी योजना है, जहां कर्मचारी अपने वेतन से अपने पेंशन कोष में सरकार के बराबर का अंशदान करते हैं।
- निधियों का निवेश, पेंशन निधि प्रबंधकों के माध्यम से निर्धारित निवेश योजनाओं में किया जाता है।
- सेवानिवृत्ति के समय, वे कुल राशि का 60% निकाल सकते हैं, जो कर-मुक्त है और शेष 40% एनुयुटिस में निवेश किया जाता है, जिस पर कर लगता है।
- इसके दो घटक हो सकते हैं - टियर I और II

- टियर II एक स्वैच्छिक बचत खाता है जो निकासी के मामले में नम्यता प्रदान करता है, तथा टियर I खाते के विपरीत, किसी भी समय आहरण किया जा सकता है।
- निजी क्षेत्र में कार्यरत व्यक्ति इस योजना को चुन सकते हैं।

4. 2019 में पेश किए गए बदलाव

- 2019 में वित्त मंत्रालय ने कहा कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के पास अपने टियर 1 खाते में पेंशन फंड (पीएफ) और निवेश पैटर्न चुनने का विकल्प है।
- डिफॉल्ट पेंशन फंड मैनेजर एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड, एसबीआई पेंशन फंड प्राइवेट लिमिटेड और यूटीआई रिटायरमेंट सॉल्यूशंस लिमिटेड एक पूर्वनिर्धारित अनुपात में हैं।

5. बाजार से जुड़े सरकारी कर्मचारियों के धन का प्रबंधन करने के लिए नियामक प्राधिकरण

- पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) एनपीएस के लिए नियामक है।
- पेंशन फंड की योजनाओं के अभिदाताओं के हितों की रक्षा के लिए पेंशन फंड विकसित करके वृद्धावस्था आय सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए पीएफआरडीए अधिनियम, 2013 के माध्यम से पीएफआरडीए की स्थापना की गई थी ।

6. ग्राहक आधार के बारे में

- 28 फरवरी को, 22.74 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारी और 55.44 लाख राज्य सरकार के कर्मचारी एनपीएस के तहत नामांकित थे।

7. सरकार के नवीनतम दिशा- निर्देश

- कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने 24 मार्च को संसद को सूचित किया कि भारत सरकार के विचाराधीन केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को फिर से शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।
- केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि रिटर्न का बाजार से जुड़ा होना एनपीएस की एक बुनियादी विशेषता है।
- पेंशन एक दीर्घकालिक उत्पाद होने के कारण अल्पावधि में अस्थिरता के बावजूद, निवेश को अच्छे रिटर्न देने में सक्षम बनाता है।
- पीएफआरडीए द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण दिशा-निर्देश, कठोर प्रक्रिया के माध्यम से चुने गए पेशेवर फंड मैनेजरों के कौशल, और विभिन्न परिसंपत्ति वर्गों (इक्विटी, कॉरपोरेट बॉन्ड, सरकारी प्रतिभूतियों) में परिसंपत्ति आवंटन का विकल्प, अल्पकालिक अस्थिरता के बावजूद, सब्सक्राइबर के संचय को लंबी अवधि में बढ़ने में सक्षम बनाता है।

8. राजस्थान और छत्तीसगढ़ के प्रभावित सरकारी कर्मचारी

- राजस्थान कर्मचारी संयुक्त महासंघ के अध्यक्ष के अनुसार, इस कदम से 4 लाख से अधिक कर्मचारियों को लाभ होगा।
- 1 जनवरी 2004 के बाद सेवा में शामिल हुए छत्तीसगढ़ के इस कदम से तीन लाख से अधिक कर्मचारियों को लाभ होगा।

भारत की सौर क्षमता

1. खबरों में क्यों:

भारत ने 2021 में अपनी संचयी स्थापित क्षमता में रिकॉर्ड 10 गीगावाट (GW) सौर ऊर्जा की वृद्धि की है । यह 12 महीने की उच्चतम क्षमता वृद्धि है, साल-दर-साल लगभग 200% की वृद्धि दर्ज की है।

2. सौर क्षमता के बारे में

- 28 फरवरी 2022 तक भारत में 50 GW संचयी स्थापित सौर क्षमता है।
- भारत द्वारा 2030 तक सौर ऊर्जा से 300 GW उत्पन्न होने की उम्मीद है।
- भारत सौर ऊर्जा परिनियोजन में पांचवें स्थान पर है।
- 709.68 गीगावाट की वैश्विक संचयी क्षमता में इसका योगदान लगभग 6.5% है।
- भारत ग्राउंड माउंटेड सोलर फोटोवोलि. टक (पीवी) सिस्टम (42 गीगावॉट) पर अत्यधिक निर्भर है। रूफ टॉप सोलर (आ. रटीएस) से 6.48 GW और ऑफ-ग्रिड सोलर PV से 1.48 GW उत्पन्न होती है।

3. रूफ-टॉप सोलर इंस्टॉलेशन के साथ चुनौतियां

- बड़े पैमाने पर सौर पीवी पर फोकस विकेंद्रीकृत अक्षय ऊर्जा (डीआरई) विकल्पों के कई लाभों का फायदा उठाने में विफल रहा है, जिसमें ट्रांसमिशन और वितरण (टी एंड डी) में नुकसान शामिल है।
- आवासीय उपभोक्ताओं और छोटे और मध्यम उद्यमों (एसएमई) के लिए सीमित वित्तपोषण जो आरटीएस स्थापित करना चाहते हैं।
- बिजली वितरण कंपनियों (DISCOMS) की ओर से नेट मीटरिंग के प्रति अरुचि।

4. रूफ-टॉप सोलर इंस्टालेशन से लाभ

- इसे खपत के क्षेत्रों में स्थापित किया जा सकता है, जिससे महंगी ट्रांसमिशन ढांचे की आवश्यकता को काफी कम किया जा सकता है।
- छत के रिक्त स्थान का पूर्ण उपयोग आरटीएस प्रतिष्ठानों की समग्र लागत को कम करने और अधिक विद्युत् उत्पादन से, विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को सक्षम करने में मदद मिल सकती है।

5. भारत की सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि के लिए चुनौतियां

- हालांकि स्थापित सौर क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है लेकिन देश के बिजली उत्पादन में सौर ऊर्जा का योगदान उसी गति से नहीं बढ़ा है।
- उपयोगिता पैमाने पर सौर पीवी क्षेत्र भूमि लागत, उच्च संचरण और वितरण हानियों और अन्य अक्षमताओं और ग्रिड एकीकरण जैसी चुनौतियों का सामना कर रहा है।
- स्थानीय समुदायों और जैव विविधता संरक्षण मानदंडों के साथ संघर्ष।
- भारत ने यूटिलिटी-स्केल सेगमेंट में सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए रिकॉर्ड कम टैरिफ हासिल किया है, लेकिन यह अंतिम उपभोक्ताओं के लिए सस्ती बिजली में परिव. .र्तित नहीं हुआ है।

6. भारत की घरेलू सौर मॉड्यूल निर्माण क्षमता

- सौर क्षेत्र में घरेलू विनिर्माण क्षमता देश में सौर ऊर्जा की वर्तमान संभावित मांग के अनुरूप नहीं है।
- क्रिसिल के अनुसार 31 मार्च, 2021 तक भारत में सौर सेल उत्पादन के लिए 3 गीग. ावाट क्षमता और सौर पैनल उत्पादन क्षमता के लिए 8 गीगावाट क्षमता थी।
- भारत के पास सोलर वेफर्स और पॉलीसि. लिकॉन के निर्माण की कोई क्षमता नहीं है।
- 2021-22 में, भारत ने अकेले चीन से लगभग 76.62 बिलियन डॉलर मूल्य के सौर सेल और मॉड्यूल आयात किए।
- कम विनिर्माण क्षमता और चीन से सस्ते आयात ने भारतीय उत्पादों को घरेलू बाजार में अप्रतिस्पर्धी बना दिया है।
- भारत को सोलर सिस्टम के लिए सर्कुलर इकोनॉमी मॉडल अपनाने की जरूरत है।
- 2030 के अंत तक, भारत में लगभग 34,600 मीट्रिक टन सौर पीवी कचरे का उत्पादन होने की संभावना है।
- अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी (आईआर ईएनए) का अनुमान है कि सौर पीवी कचरे से वसूली योग्य सामग्री का वैश्विक मूल्य $15 बिलियन से अधिक हो सकता है।
- भारत विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) के लिए उपयुक्त दिशा-निर्देश विकसित करने पर विचार कर सकता है, जिससे सौर पीवी उत्पादों के पूरे जीवन चक्र के लिए निर्माताओं को जवाबदेह ठहराना और अपशिष्ट पुनर्चक्रण के लिए मानक बनाना होगा।
- इससे घरेलू निर्माताओं को प्रतिस्पर्धा में बढ़त मिल सकती है और अपशिष्ट प्रबंधन और आपूर्ति पक्ष की बाधाओं को दूर करने में काफी मदद मिल सकती है।

7. भारत की सौर कहानी के मुख्य अंश

- भारत ने फरवरी 2022 में 50 ळें मील का पत्थर हासिल करने के लिए बाधाओं पर काबू पाने में जबरदस्त क्षमता दिखाई है।
- भारत की सौर यात्रा अन्य विकासशील देशों को महत्वपूर्ण सबक प्रदान करती रहेगी, जो स्वच्छ ऊर्जा पर स्विच करने की कोशिश कर रहे हैं।
- 2015 में COP21 में भारत और फ्रांस द्वारा स्थापित अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) ने एक वैश्विक मंच तैयार किया है।
- आईएसए निवेश जुटाने, क्षमता निर्माण, कार्यक्रम समर्थन और सौर ऊर्जा पर वकालत और विश्लेषण जैसे मुद्दों पर सहयोग की सुविधा के लिए देशों को एक साथ ला सकता है।
- प्रौद्योगिकी साझाकरण और वित्त भविष्य में आईएसए के महत्वपूर्ण पहलू बन सकते हैं, जिससे सौर ऊर्जा क्षेत्र में देशों के बीच सार्थक सहयोग की संभावना रहेगी।

भारत-ऑस्ट्रेलिया व्यापार समझौता

1. खबरों में क्यों

2 अप्रैल को भारत और ऑस्ट्रेलिया ने एक आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते (ई.सीटीए) पर हस्ताक्षर किए। ईसीटीए से पांच वर्षों में दोनों पक्षों के बीच व्यापार को बढ़ा. कर 45-50 अरब डॉलर करने की उम्मीद है, जो वर्तमान में 27 अरब डॉलर है, तथा यह 10 लाख से अधिक अतिरिक्त रोजगार के अवसर पैदा करेगा।

2. समझौते के तत्व

- ईसीटीए में एक प्रस्तावना है और द्विपक्षीय व्यापार को नियंत्रित करने के लिए इसे कई वर्गों में विभाजित किया गया है।
- ईसीटीए के तहत, भारत अपने घरेलू बाजार में, ऑस्ट्रेलिया के निर्यात को 85% जीरो-ड्यूटी एक्सेस देगा।
- भारत को पांच वर्षों में ऑस्ट्रेलिया में अपने निर्यात के लिए जीरो-ड्यूटी एक्सेस मिलने लगेगा।
- माल निर्यात अनुभाग में, "रूल्स ऑफ ओरिजिन" का उल्लेख किया गया है। इसका उद्देश्य डंपिंग रोधी उपाय करना है।
- व्यापार विवादों को हल करने के लिए उपाय और तंत्र प्रदान करने के अनुभाग भी शामिल किए गए हैं।
- यह भारत द्वारा हस्ताक्षरित पहला व्यापार सौदा है जिसमें कार्यान्वयन के 15 वर्षों के बाद अनिवार्य समीक्षा तंत्र का प्रावधान है।

3. भारत के कृषि बाजार तक पहुंच

- ईसीटीए के तहत, ऑस्ट्रेलिया को कृषि उत्पादों की कुछ किस्मों जैसे आलू, दाल और मांस उत्पादों को कुछ शर्तों के साथ निर्यात करने का अवसर मिलेगा।
- गोजातीय मांस समझौते का हिस्सा नहीं है।
- ऑस्ट्रेलिया इस समझौते के तहत खाद्य प्रसंस्करण के लिए आवश्यक मशीनरी भी भेज सकता है।
- भारत ऑस्ट्रेलियाई बियर सहित मादक और गैर-मादक पेय की एक विस्तृत श्रृंखला निर्यात कर सकता है।
- वाइन के क्षेत्र में, दोनों देशों के सहयोग और लाभ सुनिश्चित करने के लिए लिए एक संयुक्त समिति बनाई जा सकती है।

4. सेवा क्षेत्र के लिए अवसर

- ऑस्ट्रेलिया ने लगभग 135 उप-क्षेत्रों में "व्यापक प्रतिबद्धताओं" की पेशकश की है और 120 उप-क्षेत्रों में "मोस्ट फेवर्ड नेशन" की पेशकश की है जो आईटी, आईटीईएस, व्यावसायिक सेवाओं, स्वास्थ्य, शिक्षा और ऑडियो-विजुअल सेवाओं जैसे भारतीय सेवा क्षेत्र के प्रमुख क्षेत्रों को कवर करते हैं।
- भारतीय रसोइये और योग शिक्षकों को ऑस्ट्रेलिया में विशिष्ट प्रवेश कोटा मिलेगा।
- ऑस्ट्रेलिया में भारतीय छात्र पारस्परिक आधार पर 18 महीने से लेकर 4 साल तक की अवधि के लिए वर्क वीजा हासिल करने में सक्षम होंगे।

5. फार्मास्युटिकल क्षेत्र

- भारत और ऑस्ट्रेलिया पेटेंट, जेनेरिक और बायोसिमिलर दवाओं के लिए फास्ट ट्रैक अनुमोदन को सक्षम करने के लिए सहमत हुए हैं।
- दोनों पक्षों के चिकित्सीय सामान नियामकों को दोनों पक्षों के बीच फार्मा उत्पादों में सुचारू व्यापार और निगरानी, सुनिश्चित करने में भूमिका निभानी होगी।
- दोनों पक्ष उन आयातों के ऑडिट के लिए सहमत हुए हैं जिनमें भूमि के कानून के अनुसार सेनेटरी और फ्तोसेनेटरी निरीक्षण की आवश्यकता होती है।
- आयात करने वाला पक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि पौधों और पौधों के उत्पादों, पशु उत्पादों और अन्य सामानों और उनकी पैकेजिंग का निरीक्षण मान्यता प्राप्त पद्धतियों के माध्यम से किया जाता है।
- यदि किसी भी पक्ष को गैर-अनुपालन के उदाहरण मिलते हैं, तो दोनों पक्षों द्वारा उपचारात्मक उपाय किए जाएंगे।

6. विवाद निपटान तंत्र

- दोनों पक्षों ने परामर्श करने और वस्तुओं या सेवाओं के व्यापार के दौरान उभरने वाले विवादों के मामले में समाधान खोजने के लिए "हर संभव प्रयास" करने पर सहमति व्यक्त की है।
- अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता के मामले में, वे एक ऐसे संगठन का विकल्प चुन सकते हैं जहां दोनों देश सदस्य हों।
- वे विवादों को सुलझाने के लिए "अच्छे कार्यालयों" का भी उपयोग कर सकते हैं और सरकार और व्यवसाय के योग्य सदस्यों का पैनल बना सकते हैं।
- विवाद समाधान समय 45 दिनों से लेकर 15 महीने तक का हो सकता है।

7. समझौते में रूल्स ऑफ ओरिजिन

- रूल्स ऑफ ओरिजिन इस सिद्धांत पर आधारित हैं कि उन्हें "एक या दोनों पक्षों के क्षेत्र में पूरी तरह से प्राप्त या उत्पादित किया जाना चाहिए"।
- यह खंड सुनिश्चित करता है कि अपशिष्ट सामग्री को किसी भी पक्ष द्वारा निर्यात नहीं किया जाएगा जब तक कि वे ईसीटीए में सू.चीबद्ध किसी भी वस्तु के उत्पादन में योगदान नहीं करते हैं।

वन्नियार कोटा मुद्दा

1. चर्चा में क्यों?

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु विशेष आरक्षण अधिनियम 2021, या वन्नियार कोटा कानून को इस आधार पर रद्द कर दिया है कि यह अद्यतन मात्रात्मक डेटा पर आधारित नहीं था।

2. तमिलनाडु विशेष आरक्षण अधिनियम 2021 की विशेषताएं-

- अधिनियम में शिक्षा और सार्वजनिक रोजगार में अधिकांश पिछड़े वर्गों (एमबीसी) और गैर-अधिसूचित समुदायों (डीएनसी) के लिए 20% कोटा के वितरण का प्रावधान किया गया था।
- वन्नियार या वन्नियाकुला क्षेत्रिय समुदाय को 10.5%, 25 अधिकांश पिछड़े वर्ग की जातियों और 68 गैर-अधिसूचित समुदायों के लिए 7% और शेष 22 अधिकांश पिछड़े वर्गों के लिए 2.5% का आरक्षण का प्रावधान है।

अधिनियम के मुद्दे-

- न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति बी.आर. गवई ने कहा कि राज्य में कुल 20% के एमबीसी कोटे के अंतर्गत एक समुदाय को 10.5 फीसदी आरक्षण का आवंटन, एमबीसी श्रेणी में 115 अन्य समुदायों को केवल 9.5% का आरक्षण ष्पर्याप्त आधार के बिना था।
- वन्नियार कोटा उप-वर्गीकरण ने वन्नियारों के लिए अति पिछड़ा वर्ग के बीच असमानता की भावना पैदा की।
- 10.5% कोटा एमबीसी के बीच संबंधित वन्नियार आबादी के अनुपात से अधिक है।
- कुल 20 प्रतिशत एमबीसी कोटे के भीतर 10.5% आंतरिक आरक्षण अन्य समुदायों के लिए अनुचित लग रहा था।
- सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि एमबीसी और डीएनसी में सापेक्ष पिछड़ेपन और अन्य समुदायों के प्रतिनिधित्व के संबंध में कोई नवीनतम डेटा का विश्लेषण नहीं किया गया।
- जबकि जाति आंतरिक आरक्षण के लिए प्रारंभिक बिंदु हो सकती है, लेकिन इसे एकमात्र आधार नहीं माना जा सकता है, यह राज्य सरकार पर निर्भर है कि वह निर्णय की तर्कसंगतता को सही ठहराए।
- कुछ आलोचकों ने कहा है कि यह अधिनियम राजनीति से प्रेरित है।

वन्नियार

- वन्नियार, जिसे वन्निया भी कहा जाता है, जिसे पहले "पल्ली" के नाम से जाना जाता था, एक द्रविड़ समुदाय या जाति है जो भारतीय राज्य तमिलनाडु के उत्तरी भाग में पाई जाती है।
- 19वीं शताब्दी से, वन्नियार जैसे शूद्र वर्ग के अंतर्गत वर्गीकृत किसान जातियों ने पौराणिक दावे किए हैं कि उनके पूर्वज अग्नि यज्ञ की ज्वाला से पैदा हुए थे।
- वन्नियार, जिन्हें ऐतिहासिक रूप से निचली जाति माना जाता है, 19वीं शताब्दी से इन अग्निकुल मिथकों का उपयोग करके निम्न स्थिति से ऊपर उठकर समाज में मुख्य स्थान पाने की कोशिश कर रहे हैं।

ओबीसी में उप वर्गीकरण

केंद्र सरकार के तहत ओबीसी को नौकरियों और शिक्षा में 27% आरक्षण दिया जाता है। पिछले साल सितंबर में, सुप्रीम कोर्ट की एक संविधान पीठ ने आरक्षण के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उप-वर्गीकरण पर कानूनी बहस को फिर से छेड़ दिया। बहस इस धारणा से उत्पन्न होती है कि ओबीसी की केंद्रीय सूची में शामिल 2,600 से अधिक में से केवल कुछ संपन्न समुदायों ने इस 27% आरक्षण का एक बड़ा हिस्सा हासिल किया है। उप-वर्गीकरण के लिए तर्क या आरक्षण के लिए ओबीसी के भीतर श्रेणियां बनाना - यह है कि यह सभी ओबीसी समुदायों के बीच प्रतिनिधित्व का "समान वितरण" सुनिश्चित करेगा।

इसकी जांच के लिए, 2 अक्टूबर, 2017 को रोहिणी आयोग का गठन किया गया था। रोहिणी आयोग की स्थापना से पहले, केंद्र ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (एनसीबीसी) को संवैधानिक दर्जा दिया था।

आगे की राह

तमिलनाडु की पार्टियों को आरक्षण में क्रीमी लेयर नियम लागू करने के खिलाफ अपनी स्थिति पर फिर से विचार करना चाहिए, अन्यथा उन समुदायों से हमेशा आंतरिक आरक्षण की मांग की जाएगी जो खुद को वंचित महसूस करते हैं।

कोटा में उप-वर्गीकरण का निर्णय राज्य सरकारों द्वारा जिम्मेदारी से जाति जनगणना या संबंधित समुदाय के डेटा विश्लेषण, उनकी वर्तमान सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति की जांच करके लिया जाना चाहिए। इस संबंध में निर्णय राजनीति से प्रेरित नहीं होना चाहिए।

स्टार्टअप इंडिया पहल

1. चर्चा में क्यों?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि स्टार्टअप इंडिया पोर्टल में 65,000 से अधिक स्टार्टअप पंजीकृत हैं। इनमें से 40 ने पिछले बारह महीनों में यूनिकॉर्न का दर्जा प्राप्त किया है, जो कुल मिलाकर 90 हो गया है। उन्होंने कहा कि भारत अब वैश्विक स्टार्टअप इको-सिस्टम में तीसरे स्थान पर है।

"द गुड, द बैड, द अग्ली ऑफ स्टार्टअप इंडिया" के निष्कर्षों पर भारत की उद्यमिता नीति की समीक्षा पर चर्चा की गई है

2. स्टार्टअप इंडिया पहल

16 जनवरी, 2016 को शुरू की गई स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव ने उद्यमियों को समर्थन देने, एक मजबूत स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करने और भारत को रोजगार लेने के बजाय रोजगार देने वाले देश में बदलने के उद्देश्य से कई कार्यक्रम शुरू किए हैं। इन कार्यक्रमों का प्रबंधन एक समर्पित स्टार्टअप इंडिया टीम द्वारा किया जाता है, जो औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग (DPIIT) को रिपोर्ट करती है।

3. पहल के मुद्दे-

- उद्यमिता तीन बड़े शहरों, अर्थात् मुंबई, बेंगलुरु और दिल्ली एनसीआर में "अत्यधिक केंद्रित" बनी हुई है। इस तरह की केन्द्रीकरण से आर्थिक असमानता बढ़ सकती है और अन्य क्षेत्रीय समूहों से उद्यमियों के उभरने में बाधा उत्पन्न हो सकती है।
- स्टार्टअप इंडिया एक्शन प्लान दस्तावेज में जाति, जनजाति, सीमांत, स्वदेशी या सामाजिक समूह शब्दों का कोई उल्लेख नहीं है। यह भारत में उद्यमिता को समावेशी बनाने की पहल की धारणा के विपरीत है।
- कम प्रतिनिधित्व जाति आधारित आर्थिक बहिष्कार, शहरी और ग्रामीण विभाजन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच की कमी और सीमित सामाजिक नेटवर्क जैसे कई कारकों के कारण हो सकता है।
- पंजीकृत 65,000 स्टार्टअप्स में से केवल 40 ने पिछले बारह महीनों में 'यूनिकॉर्न' का दर्जा प्राप्त किया, जो कुल मिलाकर 90 हो गए।
- स्टार्टअप इंडिया की रिपोर्ट (2018) का हवाला देते हुए, शोधकर्ताओं ने उल्लेख किया कि केवल चार राज्यों ने इसके लॉन्च से पहले स्टार्टअप नीतियों को समर्पित किया था। इसके लॉन्च के बाद और दिसंबर 2019 तक, 23 राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेशों ने एक समर्पित स्टार्टअप नीति तैयार की थी।
- इसके अतिरिक्त, प्रौद्योगिकी पर नीति की निर्भरता भारत के डिजिटल विभाजन को ध्यान में नहीं रखती है, विशेष रूप से शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के संबंध में।
- एक सरकारी उदासीनता, भ्रष्टाचार और एक जटिल अनुमोदन प्रक्रिया है।
- दूसरा आरोप कॉर्पोरेट्स की ताकत है, जो उन्हें चुनौती देने वाले स्टार्ट-अप्स का विरोध या उन्हें खत्म कर देते हैं।

4. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों की स्थिति

- 2013 के सरकारी आंकड़ों के संदर्भ में, एक शोध पत्र ने निष्कर्ष निकाला कि कृषि, पशुधन, मत्स्य पालन और वानिकी सहित कृषि प्रतिष्ठानों के स्वामित्व में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की हिस्सेदारी गैर-कृषि प्रतिष्ठानों की तुलना में अधिक थी। वे शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख रूप से आधारित थे।
- उनमें से अधिकांश बिना मजदूरी के काम करते हैं जो यह दर्शाता है कि इन उद्यमों की एक बड़ी संख्या आवश्यकता-आधारित उपक्रम थे जो किसी भी महत्वपूर्ण रोजगार के अवसर पैदा नहीं कर रहे थे।
- इस प्रकार साक्ष्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों के बीच प्रौद्योगिकी और नवाचार-संचालित उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए लक्षित उपायों की आवश्यकता का सुझाव देते हैं।

5. उद्योग में महिलाएं

- फरवरी में, वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश ने सूचित किया था कि **DPIIT** के साथ पंजीकृत 62,000 स्टार्टअप में से 46% में कम से कम एक महिला निदेशक थी।
- आरबीआई के पायलट सर्वेक्षण में पहले कहा गया था कि इसके सर्वेक्षण में भाग लेने वाले 5.9% स्टार्टअप में विपरीत लिंग के 55.5% की तुलना में एक महिला संस्थापक थी। शेष 38.6% में पुरुष और महिला दोनों सह-संस्थापक थे।
- भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) द्वारा संचालित निधि कोष का 10% महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप के लिए आरक्षित किया गया है।
- इसके अलावा, सभी वैकल्पिक निवेश कोष जहां सिडबी इक्विटी लेता है, व्यवसाय में 20% योगदान करने के लिए अनिवार्य है जो महिलाओं के नेतृत्व वाली, महिलाओं से प्रभावित और महिला रोजगार या महिला उपभोग केंद्रित है।
- क्षमता निर्माण कार्यक्रम और पोर्टल पर महिलाओं के लिए एक समर्पित वेबपेज है।
- हालांकि, स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र में अभी भी महिलाओं का प्रतिनिधित्व कम है।

6. आगे की राह

पीएम द्वारा लॉन्च किया गया डिजिटल इंडिया, स्टार्ट-अप इंडिया नवाचार के अनुरूप है। स्टार्ट-अप इंडिया एक्शन प्लान इसके लिए एक अच्छी शुरुआत है, लेकिन इसे भारत के युवाओं के लिए एक सच्ची, गहरी क्रांति बनाने के लिए निरंतर समर्थन और विकास की आवश्यकता होगी।

एक मजबूत बिम्सटेक की खोज

1. चर्चा में क्यों?

श्रीलंका पांचवीं बिम्सटेक शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए तैयार है। इस साल शिखर सम्मेलन का रजत जयंती वर्ष है। इसे वर्चुअल/हाइब्रिड मोड में आयोजित किया जा रहा है। श्रीलंका बिम्सटेक का वर्तमान अध्यक्ष है।

2. बिम्सटेक क्या है?

बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव ऑन मल्टी-सेक्ट्रल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑप. रेशन (बिम्सटेक) की स्थापना 1997 में हुई थी। यह एक 7 सदस्यीय निकाय है जिसमें भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड और नेपाल और भूटान शामिल है। व्याप. ार और निवेश, परिवहन और संचार, ऊर्जा, पर्यटन, प्रौद्योगिकी, मत्स्य पालन, कृषि, सार्वजनिक स्वास्थ्य, गरीबी उन्मूलन, आतं. कवाद और अंतरराष्ट्रीय अपराध, पर्यावरण और आपदा प्रबंधन, लोगों के बीच संपर्क, सांस्कृतिक सहयोग और जलवायु परिवर्तन इस सम्मलेन के मुख्य बिंदु होंगे।

3. नए महत्व के क्षेत्र

- तेजी से बदलते भू-राजनीतिक परिदृश्य में विकास और सहयोग के लिए एक प्राकृतिक मंच के रूप में बिम्सटेक के पास विशाल क्षमता है और भारत-प्रशांत क्षेत्र में एक धुरी के रूप में अपनी अनूठी स्थिति का लाभ उठा सकता है।
- कई क्षेत्रों में बिम्सटेक सहयोग में प्रगति हुई है जिसमें सुरक्षा, आतंकवाद का मुकाबला, खुफिया जानकारी साझा करना, साइबर सुरक्षा और तटीय सुरक्षा, परिवहन संपर्क और पर्यटन शामिल हैं।
- इस क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भौगोलिक निकटता, प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक और मानव संसाधनों और समृद्ध ऐतिहासिक संबंधों और सांस्कृतिक विरासत के कारण बिम्सटेक की क्षमता की अधिक सराहना हुई है।
- बंगाल की खाड़ी में हिंद-प्रशांत केंद्र बनने की क्षमता है - एक ऐसा स्थान जहां पूर्व और दक्षिण एशिया की प्रमुख शक्तियों के रणनीतिक हित मिलते हैं। बिम्सटेक को एक गतिशील और प्रभावी क्षेत्रीय संगठन बनाने में सभी सदस्य देशों का राजनीतिक समर्थन और प्रतिबद्धता महत्वपूर्ण है।
- बिम्सटेक एशिया के दो प्रमुख उच्च-विकास केंद्रों - दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करता है। बंगाल की खाड़ी के शांतिपूर्ण, समृद्ध और टिकाऊ क्षेत्र को विकसित करने के लिए कनेक्टिविटी आवश्यक है।

4. भारत की भूमिका

- भारत से बिम्सटेक को समृद्ध राजनीतिक समर्थन और प्रतिबद्धता मिल रही है।
- भारत ने बंगाल की खाड़ी को भारत की 'पहले-पड़ोसी' और 'एक्ट ईस्ट' नीतियों का अभिन्न अंग बना दिया है जो क्षेत्रीय एकीकरण की प्रक्रिया को तेज कर सकता है। बिम्सटेक भारत और क्षेत्र के लिए मायने रखता है।
- सेंटर फॉर ह्यूमैनिटेरियन डायलॉग और पाथफाइंडर फाउंडेशन द्वारा हाल ही में आयोजित बंगाल की खाड़ी समुद्री संवाद (बीओबीएमडी) ने सरकारी अधिकारियों, समुद्री विशेषज्ञों और सदस्य देशों के प्रमुख थिंक टैंक के प्रतिनिधियों को एक साथ लाया।

5. बिम्सटेक के सामने चुनौतियां

- शून्य ऑक्सीजन वाले डेड जोन का पाया जाना जहां कोई मछली नहीं बची है।
- नदियों और हिंद महासागर से प्लास्टिक का पाया जाना।
- बाढ़ से प्राकृतिक सुरक्षा का विनाश, जैसे मैंग्रोव वन का नष्ट होना, समुद्री कटाव, तटीय क्षेत्रों में जनसंख्या का बढ़ता दबाव और औद्योगिक विकास। परिणामस्वरूप, बड़ी मात्रा में अनुपचारित अपशिष्ट प्रवाहित होता है।
- सुरक्षा खतरे जैसे आतंकवाद, समुद्री डकैती और समुद्री सीमाओं को पार करने वाले मछुआरों की गिरफ्तारी के कारण देशों के बीच तनाव जैसी अतिरिक्त समस्याएं आ जाती हैं। यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि मछुआरों की पड़ोसी देशों के क्षेत्रीय जल में पार करने की समस्या भारत और श्रीलंका और बांग्लादेश और म्यांमार (पश्चिमी तट पर पाकिस्तान भी) को प्रभावित करती है।
- अधिकांश बिम्सटेक देशों के पास प्रमुख संस्थान और उत्कृष्ट वैज्ञानिक हैं लेकिन पश्चिम के साथ उनका जुडाव कहीं अधिक है।

6. आगे की राह

बंगाल की खाड़ी में नीली अर्थव्यवस्था की क्षमता बहुत है। समुद्री व्यापार, नौवहन, जलकृषि और पर्यटन के विकास के कई अवसर हैं। हालांकि, इन अवसरों के दोहन के लिए सरकारों, वैज्ञानिकों और अन्य विशेषज्ञों द्वारा समन्वित और ठोस कार्रवाई की आवश्यकता है।

- पर्यावरण संरक्षण, वैज्ञानिक अनुसंधान, अवैध, गैर-रिपोर्टेड, और अनियमित (आ.ईयूयू) मछली पकड़ने के साथ-साथ मानक संचालन प्रक्रियाओं के विकास जैसे क्षेत्रों में प्रयासों को तेज करने का आह्वान किया, जो समुद्री कानून के साथ एक देश के मछली पकड़ने के जहाजों के बीच बातचीत को नियंत्रित कर सके।

AFSPA (सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम)

1. खबरों में क्यों?

गृह मंत्रालय (एमएचए) के अनुसार, नागालैंड के सात जिलों को 15 पुलिस थाना क्षेत्रों से, मणिपुर के छह जिलों में 15 पुलिस थाना क्षेत्र और असम में 23 जिले पूरी तरह से और एक जिला आंशिक रूप से अफस्पा हटाया जा रहा है।

2. अफस्पा क्या है?

- सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम (AFSPA), 1958 भारत की संसद का एक अधिनियम है जो भारतीय सशस्त्र बलों को "अशांत क्षेत्रों" में सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष शक्तियां प्रदान करता है।
- अशांत क्षेत्र (विशेष न्यायालय) अधिनियम, 1976 के अनुसार एक बार अशांत घोषित होने के बाद, क्षेत्र को कम से कम 6 महीने तक यथास्थिति बनाए रखनी होती है।
- **AFSPA** नागरिक अधिकारियों को नागरिक शक्तियों की सहायता के लिए सशस्त्र बलों को बुलाने की अनुमति देता है। एक बार राज्य या राज्य के एक हिस्से को इस कानून के तहत अशांत घोषित कर दिया जाता है, तो सशस्त्र बल निवारक गिरफ्तारी कर सकते हैं, वारंट के बिना परिसर की तलाशी ले सकते हैं और यहां तक कि नागरिकों को भी गोली मार सकते हैं। इन शक्तियों का दुरुपयोग करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता होती है, जो अभियोजन से प्रतिरक्षा के रूप में कार्य करती है।

3. इसके प्रभाव वाले क्षेत्र-

ऐसा ही एक अधिनियम 11 सितंबर 1958 को पारित किया गया था, जो उस समय असम के हिस्से नागा पहाड़ियों पर लागू था। बाद के दशकों में यह एक के बाद एक, भारत के उत्तर पूर्व में अन्य सात बहन राज्यों में फैल गया वर्तमान में, यह असम, नागालैंड, मणिपुर (इम्फाल नगर परिषद क्षेत्र को छोड़कर), चांगलांग, लोंगडिंग और तिरप राज्यों में लागू है। अरुणाचल प्रदेश के जिले, और असम राज्य की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश के जिलों के आठ पुलिस स्टेशनों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्र। एक और 1983 में पारित हुआ और पंजाब और चंडीगढ़ पर लागू होने के लगभग 14 साल बाद 1997 में वापस ले लिया गया। 1990 में पारित यह अधिनियम जम्मू और कश्मीर पर लागू किया गया था और तब से लागू है।

4. अधिनियम के मुद्दे

- अफस्पा की अक्सर "कठोर अधिनियम" के रूप में आलोचना की जाती है क्योंकि यह सशस्त्र बलों को बेलगाम शक्ति और कानून के तहत किए गए अपने कार्यों के लिए सुरक्षा कर्मियों को मिलने वाली छूट देता है।
- अफस्पा के तहत, "सशस्त्र बल" केवल संदेह के आधार पर किसी इमारत को नष्ट कर सकते हैं।
- एक गैर-कमीशन अधिकारी या समकक्ष रैंक और उससे ऊपर का कोई भी अधिकारी, संदेह के आधार पर बिना वारंट के गिरफ्तार करने या मारने के लिए बल प्रयोग कर सकता है।
- वह हथियार के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली किसी भी वस्तु के आधार पर किसी भी व्यक्ति पर केवल ऐसी उचित चेतावनी के साथ, जिसे वह आवश्यक समझे गोली चला सकता है।
- एक बार **AFSPA** लागू हो जाने के बाद, इस अधिनियम के तहत केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना, किसी भी चीज के संबंध में या किए जाने के लिए कथित तौर पर कोई मुकदमा नहीं चलाया जाएगा।
- नागाओं के खिलाफ विद्रोह विरोधी अभियान उल्टा साबित हुआ, क्योंकि गाँवों के पुनर्समूहीकरण के दौरान जबरन विस्थापन के कारण हुए कष्टों ने केवल विद्रोहियों के समर्थन को बढ़ाया।
- अतिरिक्त न्यायिक हत्याएं: अफस्पा का उपयोग उग्रवाद विरोधी अभियानों के वास्तविक संचालन से काफी आगे बढ़ गया है। कई राज्य और गैर राज्य सशस्त्र अभिनेताओं ने इसकी छाया में काम किया है।
- लोकतांत्रिक प्रक्रिया और सहकारी संघवाद के सिद्धांत का उल्लंघन करता है।

5. आगे की राह

- 2004 में गठित जीवन रेड्डी समिति ने कानून को पूरी तरह से निरस्त करने की सिफारिश की थी।
- वीरपा मोइली की अध्यक्षता में द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने इन सिफारिशों का समर्थन किया।
- 2016 में, अतिरिक्त न्यायिक निष्पादन पीड़ित परिवार संघ (**EEVFAM**) द्वारा दायर एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि
- **AFSPA** के तहत क्षेत्रों से रिपोर्ट की गई नागरिक शिकायतों में उचित प्रक्रिया का पालन करने की आवश्यकता है।
- यह अधिनियम उग्रवाद विरोधी अभियानों में सैन्य कर्मियों को पूर्ण प्रतिरक्षा प्रदान नहीं करता है।
- शीर्ष अदालत ने यह भी फैसला सुनाया कि पिछले 20 वर्षों में मणिपुर में कथित फर्जी मुठभेड़ों के 1,500 से अधिक मामलों की "जांच की जानी चाहिए"।

SC ने देखा कि किसी भी क्षेत्र में विस्तारित अवधि के लिए अधिनियम की निरंतरता, "नागरिक प्रशासन और सशस्त्र बलों की विफलता" का प्रतीक है।

- "अशांत क्षेत्र" पदनाम की हर 6 महीने के बाद समीक्षा की जानी चाहिए।
- यह उपाय केवल सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए अस्थायी होना चाहिए।

पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण से संबंधित प्रश्न

Q1. निम्नांकित कथनों पर विचार करें–

1. जैव विविधता अधिनियम, 2002 जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र रूपरेखा अभिसमय, 1992 में समाहित उद्देश्यों को भारत द्वारा महसूस करने के प्रयासों के रूप में उत्पन्न हुआ।
2. यूएनएफसीसीसी राज्यों को उनके स्वयं के जैव संसाधनों के प्रयोग के संप्रभु अधिकार को मान्यता देता है।
3. अधिनियम जैविकीय संसाधनों के और संबद्ध ज्ञान के संरक्षण के साथ ही एक न्यायपूर्ण प्रक्रिया के माध्यम से सतत् रूप से उन तक पहुँच को संभव बनाने का लक्ष्य रखता है।
4. अधिनियम के लक्ष्यों के क्रियान्वयन के उद्देश्य से यह दिल्ली में एक राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण का गठन करता है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 3 **(b)** 1, 2 और 4
(c) 1, 2 और 3 **(d)** 1, 2, 3 और 4

Q2. राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के संदर्भ में निम्नांकित कथनों पर विचार करें–

1. राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम, 2010 के अंतर्गत 18 अक्टूबर 2010 को राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण का गठन किया गया था।
2. राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण पर्यावरणीय सरंक्षण और वनों के संरक्षण और अन्य प्राकृतिक संसाधनों, जिसमें पर्यावरण से संबंधित वैधानिक अधिकार का प्रवर्तन शामिल हो, से संबंधित मुद्दों के प्रभावी व त्वरित निस्तारण और व्यक्ति व संपदा को हुई क्षति के लिए और इससे संबंधित मामलों में राहत और क्षतिपूर्ति देने के लिए गठित किया गया था।
3. राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एक विशेषीकृत निकाय है जो पर्यावरणीय विवादों जिसमें बहु-अनुशासनात्मक मुद्दे शामिल है, को निपटाने में आवश्यक विशेषज्ञता से संपन्न है।
4. राष्ट्रीय हरित न्यायधिकरण सिविल प्रक्रिया की संहिता, 1908 के अंतर्गत दिये गये प्रक्रियाओं से बंधा होगा लेकिन प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों से मार्गदर्शित नहीं होगा।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) 1 और 4 **(b)** 1, 2 और 3
(c) 1, 3 और 4 **(d)** 1, 2, 3 और 4

Q3. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के संबंध में निम्नांकित कथनों पर विचार करें–

1. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम पर्यावरण को सुरक्षा व सुधार उपलब्ध कराने के उद्देश्यों के साथ 1986 में अधि. .नियमित किया गया था।
2. यह केन्द्र सरकार को प्राधिकरणों [धारा 3 (3) के अंतर्गत] को गठित करने हेतु अधिकार देता है, जिसे पर्यावर. .णीय प्रदूषणों को इसके समस्त रूपों में नियंत्रित करने और देश के विभिन्न भागों के गंभीर पर्यावरणीय समस्याओं से निपटने की जिम्मेदारी दी गयी है।
3. आखिरी बार 2012 में अधिनियम संशोधित किया गया था।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1 **(b)** 1 और 2
(c) 1 और 3 **(d)** 1, 2 और 3

Q4. पर्यावरण संरक्षण अधिनियम द्वारा दिये गये अधिकारों को नीचे दिये गये शीर्षकों में देखा जा सकता है।

1. तटीय विनियमन क्षेत्र
2. इको-मार्क योजना
3. जोखिम पदार्थ प्रबंधन
4. 2-टी तेल

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1 **(b)** 1 और 2
(c) 3 और 4 **(d)** 1, 2, 3 और 4

Q5. इकोमार्क हेतु एक उत्पाद के लिए प्राथमिक मानक के निर्धारण में लिया जाता है–

1. कच्चे माल के स्त्रोत के साथ उत्पादन प्रक्रियाएं
2. पर्यावरण पर संभावित प्रभाव
3. अपशिष्ट व पुर्नचक्रित पदार्थों का उपयोग
4. जैवनिम्नीकरणीयता

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1 **(b)** 1 और 2
(c) 3 और 4 **(d)** 1, 2, 3 और 4

Q6. इकोमार्क दिये जाने के लिए एक उत्पाद को जो सामान्य मानक पूरा किया जाना चाहिए, वह है–

1. कि वे उत्पादन, अनुप्रयोग व निस्तारण में अन्य तुलनात्मक उत्पादों की अपेक्षा प्रदूषण के लिए कहीं अधिक संभाग्य हैं
2. कि वे पुर्नचक्रित नहीं किये जा सकते
3. कि वे तुलनीय उत्पादों के साथ तुलना में गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों और प्राकृतिक संसाधनों के साथ ही गैर-नवीकर. .णीय संसाधनों की वचत में महत्वपूर्ण योगदान करते हैं।
4. कि उत्पाद को विपरीत प्राथमिक मानकों जिस पर उत्पाद के प्रयोग के साथ उच्च पर्यावरणीय प्रभाव जुड़ा, हुआ है, में कमी करने में योगदान करना ओर जो विशेष रूप से प्रत्येक उत्पाद श्रेणियों के लिए होगी।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1 **(b)** 1 और 3

(c) 3 और 4 **(d)** 1, 2, 3 और 4

Q7. निम्नांकित कथनों पर विचार करें:

1. पर्यावरण मित्र उत्पादों के रूप में आभूज़णों पर लेबलिंग के मानक संबंधी अधिसूचना सरकार द्वारा इकोमार्क योजना के अंतर्गत जारी थी की गयी थी,
2. भारत में लेड आधारित हेयरडाईज के प्रयोग की अनुमति नहीं हैं,
3. भारत में नेल पालिसों में हैलोजेनेटेड आर्गेनिक साल्वेंट के प्रयोग की अनमुति नहीं है।
4. सभी प्रसाधनात्मक/प्रसाधनीय निर्माणों को भारत में इस आवश्यकता से संगति रखनी चाहिए कि भारी धातुओं जिन्हें लेड और आर्सेनिक के रूप में आंकलित किया गया है क्रमश: 10 और 1 पीपीएम की सीमा पार नहीं करेगें।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1 **(b)** 1 और 2

(c) 3 और 4 **(d)** 1, 2, 3 और 4

Q8. वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के संदर्भ में निम्नांकित कथनों पर विचार करें-

1. वन संरक्षण अधिनियम, 1980 देश के वनों के संरक्षण में सहायता हेतु अधिनियमित किया गया था।
2. यह वनों के अनारक्षीकरण को कठोरता से प्रतिबंधित और विनियमित करता है और केन्द्र सरकार की पूर्व अनुमति के बिना गैर-वन उद्देश्यों के लिए वन भूमि के प्रयोग को प्रतिबंधित करता है।
3. इस उद्देश्यक के लिए अधिनियम वन भूमि के गैर-वन उद्देश्यों में रूपांतरण हेतु पूर्व निर्धारित ष्टार्ते बनाता है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1 **(b)** केवल 3

(c) 1 और 3 **(d)** 1, 2, और 3

Q9. पशुओं के प्रति क्रूरता निज़ेध अधिनियम के संदर्भ में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिये-

1. पशुओं के प्रति क्रूरता निज़ेध अधिनियम, 1960 में अधि. .नियमित किया गया था ताकि पशुओं को यातनाओं और अनावश्यक दर्द से बचाया जा सके। साथ ही पशुओं के प्रति क्रूरता के निज़ेध संबंधी कानूनों में संशोधन किया जा सके।
2. इस अधिनियम के अधिनियमित होने के पूर्व पशु-कल्याण के सवर्द्धन के लिए भारत के पशु बोर्ड का गठन किया गया था।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1 **(b)** केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों **(d)** न तो 1 न ही 2

Q10. परिस्थितिकी तंत्र सेवाओं को निम्नलिखित में से किस श्रेणी में बाँटा जा सकता है।

1. प्रोवीजनिंग
2. विनियमन
3. अंर्तक्रिया
4. समर्थनकारी
5. सांस्कृतिक

निम्नलिखित कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें-

(a) केवल 1, 3, 4 और 5

(b) केवल 2, 3 और 4

(c) केवल 1, 2, 4 और 5

(d) 1, 2, 3, 4 और 5

Q11. ब्लू कार्बन है -

(a) विश्व के महासागरों तथा तटीय परिस्थितिकी तंत्र द्वारा संग्रहित कार्बन

(b) स्थलीय वन परिस्थिति प्रणाली द्वारा संग्रहित कार्बन

(c) जलवायु परिवर्तन के कारण पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित कार्बन

(d) उपर्युक्त सभी।

Q12. निम्नलिखित जीवों पर विचार करें-

1. पिग्मी हॉग
2. अंडमान का सफेद दांतदार छछूंदर
3. कोंडाना रैट
4. हॉक्सबिल टर्टल

उपर्युक्त में से कौन से स्तनधारी हैं?

(a) केवल 1 और 2 **(b)** केवल 2 और 3

(c) केवल 1, 2 और 3 **(d)** 1, 2, 3 और 4

उत्तर

1.	(a)	9.	(a)
2.	(b)	10.	(c)
3.	(b)	11.	(a)
4.	(d)	12.	(c)
5.	(d)		
6.	(c)		
7.	(d)		
8.	(d)		

समसामायिक आधारित बहुविकल्पी प्रश्न

Q1. श्रीलंका के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनो पर ध्यान दें।
1. भारत तथा श्रीलंका के मध्य पाक जलसंधि अवस्थित है।
2. श्रीलंका तथा भारत सार्क(दक्षेश), बिम्सटेक तथा आई ओआरए में सहयोगी हैं।
3. सार्क के प्रावधान के कारण भारत श्रीलंका के आर्थिक संकट में सहायक है।
उपरोक्त में से कौन सा /से कथन सत्य है/ हैं? कूट का प्रयोग कर सही विकल्प का चयन कारण।
(a) केवल 1 तथा 2 **(b)** केवल 1 तथा 3
(c) केवल 1 **(d)** 1 , 2 तथा 3
उत्तर - a

Q2. भारत के निम्नलिखित राज्यों पर विचार करें
1. झारखण्ड 2. मेघालय
3. तेलंगाना 4. गुजरात
इन राज्यों के स्थापना समय के अनुसार क्रम में व्यवस्थित करें
(a) 1-2-3-4 **(b)** 4-2-1-3
(c) 3-1-4-2 **(d)** 4-3-2-1
उत्तर - b

Q3. निम्नलिखित में से कौन सा कथन "कृत्रिम बुद्धिमत्ता" को स्पष्ट करता है
(a) मशीनों में समझ विकसित करने वाली तकनीक
(b) व्यक्तियों तथा मनुष्यों के संयोजन से निर्मित हाइब्रिड तकनीक
(c) बौद्धिकता का वह आयाम जो कृत्रिम वस्तुओं यथा मशीनों की जानकारी देता है।
(d) व्यक्ति द्वारा कमांड किया गया रोबोट
उत्तर - a

Q4. भारत तथा नेपाल के सम्बन्ध में निम्लिखित कथनो पर विचार करें
1. नेपाल भारत के 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है।
2. भारत तथा नेपाल के मध्य किसी भी प्रकार का सीमा विवाद नहीं है।
कौन सा /से कथन सत्य नहीं हैं ?कूट का प्रयोग कर सही विकल्प का चयन करें
(a) केवल 1 **(b)** केवल 2
(c) 1 तथा 2 **(d)** न तो 1 न 2
उत्तर - c

Q5. ओजोन के सम्बन्ध में निम्नलिखित कथनो पार विचार करें
1. पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन केवल समतापमंडल की ऊपरी परत तक पाई जाती है।
2. क्षोभमंडल में पाई जाने वाली ओजोन परत पृथ्वी के वायुमंडल के लिए लाभदायक है।
3. ओजोन क्षरण को रोकने के लिए मांट्रियल प्रोटोकाल को अपनाया गया है।
कौन सा /से कथन असत्य है /हैं ? कूट का प्रयोग कर सही विकल्प का चयन करें
(a) केवल 1 तथा 3 **(b)** केवल 2 तथा 3
(c) केवल 1 **(d)** केवल 1 तथा 2
उत्तर - d

Q6. मांट्रियल प्रोटोकाल के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनो पर विचार करें।
1. इस संधि पर हस्ताक्षर 16 सितंबर 1987 से आरम्भ किया गया तथा यह संधि 1 जनवरी 1989 में प्रभावी हुई।
2. आज तक हुए अंतर्राष्ट्रीय समझौतों में से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल सबसे सफल समझौता है।
3. यह ओजोन क्षरण को रोकने हेतु राज्यों को प्रतिबद्ध करता है।
उपरोक्त में से कौन सा /से कथन सत्य है/ हैं ?कूट का प्रयोग कर सही विकल्प का चयन कारण।
(a) केवल 1 तथा 2 **(b)**केवल 1 तथा 3
(c)केवल 1 **(d)** 1 , 2 तथा 3
उत्तर - d

Q7. साइबर अपराधों के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनो पर विचार करें
1. फिशिंग एक तरह का कपटपूर्ण प्रयास है जो ईमेल के माध्यम से व्यक्तिगत और वित्तीय जानकारी की चोरी को संदर्भित करता है।
2. ट्रोजन हॉर्स पहली नजर में उपयोगी सॉफ्टवेयर के रूप में लगता है परन्तु यह वास्तव में कंप्यूटर और उसके सॉफ्टवेयर को नुकसान पहुंचाता है।
3. साइबर स्टाकिंग का तात्पर्य "पीछा करने" से है। इसमें लोगों की जानकारी के बिना उनकी गतिविधियों पर अनधिकृत पहुंच बनाया जाता है।
उपरोक्त में से कौन सा /से कथन सत्य है/ हैं ?कूट का प्रयोग कर सही विकल्प का चयन कारण।
(a) केवल 1 तथा 2 **(b)**केवल 2 तथा 3
(c)केवल 3 **(d)** 1 , 2 तथा 3
उत्तर - d

Q8. क्रिप्टोकरेंसी के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनो पर विचार करें
1. यह मुद्रा क्रिप्टोग्राफिक एन्क्रिप्शन तकनीक द्वारा विकेन्द्रीकृत

तथा संरक्षित की गई है।
2. यह मुद्रा तृतीय पक्ष की आवश्यकता को समाप्त करती है।
कौन सा /से कथन सत्य है/हैं ?कूट का प्रयोग कर सही विकल्प का चयन करें

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 तथा 2 (d) न तो 1 न 2

उत्तर - c

Q9. निम्नलिखित में से कौन से अधिनियम / सहिंता / कानून भारत में आपराधिक दंड विधान से सम्बंधित हैं।
1. भारत का संविधान
2. भारतीय दंड सहिंता
3. इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड
4. सिविल प्रक्रिया सहिंता
5. अपराध प्रक्रिया सहिंता
6. भारतीय साक्ष्य अधिनियम

कूट का प्रयोग कर सही विकल्प का चयन करें

(a) केवल 1 ,2 4,5,6 (b) केवल 2,5,6
(c) केवल 1, 2,5,6 (d) केवल 2 , 4 ,5,6

उत्तर - b

Q10. गुटनिरपेक्षता के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनो पर विचार करें
1. इस आंदोलन ने शीतयुद्ध के दौरान "उपनिवेशवाद से स्वतंत्र हुए नवीन देशो" के हितो की रक्षा की।
2. इसका प्रथम सम्मेलन बेलग्रेड हुआ था।
3. भारत के प्रथम प्रधानमंत्री इसके प्रबल समर्थक रहे ।

कौन सा/ से कथन सत्य है / हैं ? कूट का प्रयोग कर सही विकल्प का चयन करें

(a) केवल 1 तथा 2 (b) केवल 2 तथा 3
(c) केवल 2 (d) 1 , 2 तथा 3

उत्तर - d

Q11. निम्नलिखित वैश्विक संगठनों पर विचार करें
1. संयुक्त राष्ट्र संघ 2. ब्रिक्स
3. आरआईसी 4. शंघाई सहयोग संगठन
5. एनएसजी

कूट का प्रयोग कर उन संगठनों को बताइये जिनमे भारत, रूस तथा चीन तीनो सदस्य हैं ??

(a) केवल 1 ,2 ,3,4 (b) केवल 2 ,3,4
(c) केवल 1 ,2 ,3,4,5 (d) केवल 2 ,3,4,5

उत्तर - a

Q12. हाल ही में आईपीसीसी द्वारा जारी की गए रिपोर्ट के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनो पर विचार करें
1. रिपोर्ट में बताया गया है कि वैश्विक आबादी का 45% से अधिक भाग जलवायु परिवर्तन के लिए अत्यंत संवेदनशील क्षेत्रों में निवास कर रहे हैं।
2. रिपोर्ट में भारत को एक संवेदनशील हॉटस्पॉट के रूप पहचाना गया है।
3. रिपोर्ट के अनुसार अनुकूलन तथा शमन के लिए की गई प्रतिबद्धताओं में से अधिकतम प्रतिबद्धताओं को प्राप्त किया जा चुका है।

कौन सा/ से कथन सत्य है / हैं ? कूट का प्रयोग कर सही विकल्प का चयन करें

(a) केवल 1 तथा 2 (b) केवल 2 तथा 3
(c) केवल 2 (d) 1 , 2 तथा 3

उत्तर - b

Q13. स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग में किस राज्य को प्रथम स्थान दिया गया है ?

(a) तमिलनाडु (b) केरल
(c) आंध्र प्रदेश (d) कर्नाटक

उत्तर- c

Q14. 100% महिलाओं के स्वामित्व वाला पहला 'औद्योगिक पार्क' किस शहर में खोला गया है?

(a) मुंबई (b) हैदराबाद
(c) बेंगलुरु (d) कोलकाता

उत्तर - b

Q15. आईएसएसएफ विश्व कप 2022 की पदक तालिका में भारत को कुल कितने पदक मिले हैं?

(a) 6 स्वर्ण, 3 रजत और 2 कांस्य
(b) 4 स्वर्ण, 3 रजत और 1 कांस्य
(c) 3 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य
(d) 4 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य

उत्तर - d

Q16. वी-डेम इंस्टीट्यूट के लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है?

(a) 93वां
(b) 94वां
(c) 95वां
(d) 96वां

उत्तर - a

Paper IV केस स्टडी

आप उत्तर प्रदेश पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में तैनात एक वरिष्ठ अधिकारी हैं.

भारतीय आर्युविज्ञान अनुसंधान परिषद ने अपनी हाल ही में प्रकाशित रिपोर्ट में बताया है कि भारत में 2019 में 16 लाख लोगों की वायु प्रदूषण के कारण मृत्यु हुई थी। इससे उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में बढ़ते वायु प्रदूषण एवं वनों के घटते क्षेत्रफल के प्रति चिंतित हो गई.

उत्तर प्रदेश सरकार ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को, एक दिन में 7 करोड़ पौधे लगाकर नया विश्व कीर्तिमान स्थापित करने सम्बन्धी योजना पर कार्य करने के लिए निर्देश जारी कर दिया.

मंत्रालय ने आपको इस योजना की व्यवहारिकता एवं संभाव्यता का अध्ययन करके 3 दिनों में एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने की जिम्मेदारी दी है, जिसे कैबिनेट के विचारार्थ प्रस्तुत किया जाना है.

(a) इस मामले मे निहित विभिन्न मुद्दों की विवेचना कीजिए.

(b) इस सम्बन्ध में अपनी संस्तुतियों की उनके गुण और दोषों के साथ विवेचना कीजिए.

उत्तर: दिए गए मामले अध्ययन में मैं एक वरिष्ठ अधिकारी हूं। मुझे एक दिन में 7 करोड़ पौधे लगाने की योजना की व्यवहा. रिकता एवं संभाव्यता पर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करनी है। इस मामले में वस्तुनिष्ठता, जिम्मेदारी, जवाबदेहिता, संसाधनों का प्रबंधन एवं प्रकृति के प्रति संवेदना जैसे मूल्य निहित हैं.

नैतिक मुद्दे :

पर्यावरण एवं प्रदूषण अति संवेदनशील मुद्दे हैं। ये हमारे स्वास्थ्य एवं अस्तित्व से प्रत्यक्ष रूप से सम्बन्धित है। सरकार को प्रकृति की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए गंभीर प्रयास करने चाहिए। ऐसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को, विश्व कीर्तिमान स्थापित करने की इच्छा से जोड़ना सरकार की लापरवाही को ही दर्शाता है। ये दिखाता है कि सरकार केवल प्रचार एवं मीडिया का ध्यान आकर्षित करना चाहती है.

ऐसे वृक्षारोपण अभियान के लिए बहुत सी तैयारी एवं वित्त की आवश्यक्ता होती है। बाजार इतने सारे पौधे कम समय में उपलब्ध नहीं कर सकती। ऐसी योजनाओं से, पौधों की गुणवत्ता से समझौता होता है और भ्रष्टाचार के अवसर उपलब्ध होते हैं। हमें पड़ोसी राज्यों से पौधों का आयात करना पड़ता है, जिससे प्रोजेक्ट की लागत बहुत बढ़ जाती है। दूसरे राज्यों के पौधे, स्थानीय मृदा एवं जलवायु में अच्छे से पुष्पित एवं पल्ल. वित भी नहीं हो पाते। इससे जमाखोरी, कालाबाजारी, धोखाधड़ी, मूल्य-वृद्धि जैसे विभिन्न कदाचारों को बढ़ावा मिलता है। कभी-कभी पौधशालाएं पौधों के नाम पर डालों की आपूर्ति कर देती हैं, जो कुछ समय पश्चात सूख जाती हैं। इन सबसे जनता के धन और संसाधनों का दुरूपयोग होता है.

मेरी संस्तुतियाँ :

मैं सरकार को वृक्षा-रोपण अभियान एक सतत् प्रक्रिया के रूप में चलाने की सलाह दूंगा। मेरे अनुसार सरकार को, राज्य के प्रत्येक जिले के प्रत्येक ब्लाक में, वृक्षारोपण अभियान के लिए आधारभूत संरचना विकसित करनी चाहिए। हमें स्थानीय पौधशालाओं से पौधें की नियमित आपूर्ति के लिए अनुबंध करना चाहिए और वृक्षारोपण अभियान को पूरे वर्ष चलाना चाहिए, यद्यपि हम पहले से तैयारी करके मानसून में ज्यादा वृक्षारोपण कर सकते हैं। हमें वृक्षारोपण अभियान के लिए आवश्यक ज्ञान एवं अनुभव वाले, स्थानीय गैर सरकारी संगठनी एवं स्वयं सहायता समूहों से अनुबंध करना चाहिए और पौधों की सुरक्षा के लिए भी उन्हें जवाबदेह बनाना चाहिए। हमें एक प्रक्रिया विकसित करके, वृक्षारोपण के समय कुल धन-राशि का केवल 40 प्रतिशत भुगतान करना चाहिए और शेष राशि, 20 प्रतिशत की तीन वार्षिक किश्तों में दी जानी चाहिए। हमें पौधों को जियों टैग करना चाहिए और सूखे पौधों को विस्थापित करने की व्यवस्था करनी चाहिए। बेहतर निष्पादन के लिए पुरस्कार के द्वारा प्रोत्साहित करना चाहिए।

गुण : इससे पौधों की गुणवत्ता सुनिश्चित होगी एवं प्रदूषण कम होगा।

- लोगों को नियमित रूप से रोजगार मिलेगा।
- राज्य पर आर्थिक दबाव कम होगा।
- स्थानीय पौधे आसानी से लग जाएंगे।
- भ्रष्टाचार नियंत्रित होगा।

दोष : हमें आधार-भूत संरचना विकसित करनी होगी लेकिन लंबे समय में यह लाभदायक रहेगा।

व्यक्ति विशेष : डॉ. बी. आर. अंबेडकर

डॉ. भीमराव अम्बेडकर भारत के आधुनिक निर्माताओं में से एक माने जाते हैं। उनके विचार व सिद्धांत भारतीय राजनीति के लिए हमेशा से प्रासंगिक रहे हैं। भारत के संविधान निर्माता, चिंतक और समाज सुधारक डॉ. भीमराव अम्बेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के महू में 14 अप्रैल, 1891 को हुआ था। उनके पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल और माता का नाम भीमाबाई रामजी सकपाल था। उन्होंने अपना पूरा जीवन सामाजिक बुराइयों जैसे- छुआछूत और जातिवाद के खिलाफ संघर्ष में लगा दिया। इस दौरान बाबा साहेब गरीब, दलितों और शोषितों के अधिकारों के लिए संघर्ष करते रहे। 1927 में अम्बेडकर ने महार सत्याग्रह भी किया था। अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर, 1956 को अपने कई अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपना लिया था। आजादी मिलने के बाद वो कांग्रेस पार्टी की ओर से देश के पहले कानून भी मंत्री बनाए गए।

आजादी के कुछ दिन बाद 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने संविधान का मसौदा तैयार करने के लिये डॉ. भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया। इस प्रकार भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे । इंडिया आफ्टर गांधी' में रामचंद्र गुहा लिखते हैं कि - जवाहरलाल नेहरू और डॉ भीमराव अंबेडकर हिंदुस्तान में यूनिफार्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता लागू करवाना चाहते थे। लेकिन जब इस मुद्दे पर बहस छिड़ी तो संविधान समिति लगभग बिखर सी गई।

उनके विचार व सिद्धांत भारतीय राजनीति के लिए हमेशा से प्रासंगिक रहे हैं। दरअसल वे एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था के हिमायती थे, जिसमें राज्य सभी को समान राजनीतिक अवसर दे तथा धर्म, जाति, रंग तथा लिंग आदि के आधार पर भेदभाव न किया जाए। उनका यह राजनीतिक दर्शन व्यक्ति और समाज के परस्पर संबंधों पर बल देता है। डॉ. अम्बेडकर समानता को लेकर काफी प्रतिबद्ध थे। उनका मानना था कि समानता का अधिकार धर्म और जाति से ऊपर होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को विकास के समान अवसर उपलब्ध कराना किसी भी समाज की प्रथम और अंतिम नैतिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। भारत में इस स्थिति की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 14 से 18 में समानता का अधिकार का प्रावधान करते हुए समान अवसरों की बात कही गई है। अम्बेडकर ने वर्ण व्यवस्था को अवैज्ञानिक, अत्याचारपूर्ण, संकीर्ण तथा गरिमाहीन बताते हुए इसकी कटु आलोचना की थी।

डॉ. बी. आर. अंबेडकर की रचनाएँ

- डॉ. बी. आर. अंबेडकर ने '**The problem of the rupee : 15 origin and its solution**' नामक अपनी रचना में 1800 से 1893 के दौरान, विनिमय के माध्यम के रूप में भारतीय मुद्रा (रुपये) के विकास का परीक्षण किया और उपयुक्त मौद्रिक व्यवस्था के चयन की समस्या की भी व्याख्या की।
- अम्बेडकर ने 1918 में प्रकाशित अपने लेख भारत में छोटी जोत और उनके उपचार (**Small Holdings in India and their Remedies**) में भारतीय कृषि तंत्र का स्पष्ट अवलोकन किया था।
- उनके एक अन्य शोध ब्रिटिश भारत में प्रांतीय वित्त का विकास (**The Evolution of Provincial Finance in British India**) की प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है।
- 3 अप्रैल, 1927 को अम्बेडकर ने 'बहिष्कृत भारत' नाम का एक अखबार भी शुरू किया था।

हिंदू कोड बिल

- अम्बेडकर ने स्वतंत्र भारत के प्रथम विधिमंत्री रहते हुए 'हिंदू कोड बिल' संसद में प्रस्तुत किया और हिन्दू स्त्रियों के लिए न्याय सम्मत व्यवस्था बनाने के लिए इस विधेयक में उन्होंने व्यापक प्रावधान रखे।
- हालांकि संसद में अपने हिन्दू कोड बिल मसौदे को रोके जाने पर उन्होंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था। इस मसौदे में उत्तराधिकार, विवाह और अर्थव्यवस्था के कानूनों में लैंगिक समानता की बात कही गई थी।

उन्होंने अपना पूरा जीवन सामाजिक बुराइयों जैसे- छुआछूत और जातिवाद के खिलाफ संघर्ष में लगा दिया। इस दौरान बाबा साहेब गरीब, दलितों और शोषितों के अधिकारों के लिए संघर्ष करते रहे। उनका निधन 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में हुआ। जिसे हर साल महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। अम्बेडकर को वर्ष 1990 में मरणोपरांत भारत रत्न सम्मान दिया गया था। अम्बेडकर के सामाजिक चिन्तन में अस्पृश्यों, दलितों तथा शोषित वर्गों के उत्थान के लिए काफी संभावना झलकती है। वे उनके उत्थान के माध्यम से एक ऐसा आदर्श समाज स्थापित करना चाहते थे, जिसमें समानता, स्वतंत्रता तथा भ्रातृत्व के तत्व समाज के आधारभूत सिद्धांत हों।

मध्यकालीन इतिहास की प्रमुख शब्दावलियां

कोटला :- आवासीय किला।

कोतवाल :- किसी शहर या किले का प्रभारी अधिकारी।

कोतवाली :- कोतवाल का दफ्तर।

कशक :- आवासीय किला।

कल्बकरी :- जाली सिक्के।

कानून-ए-कदीम :- पुराने कानून।

कर्न :- पीढ़ी या शताब्दी।

कस्बा :-कस्बे, उपनगर।

कस्र :- राजमहल।

कस्साबी :- कसाईखानों पर कर।

काजी :- मुस्लिम न्यायाधीश।

काजी-ए-लश्कर :- सेना का काजी या न्यायाधीश

काजी-ए-ममालिक :- संपूर्ण सल्तनत का काजी।

काजी-उल-कुज्जत :- मुख्य काजी अर्थात् प्रधान काजी।

कियास :- अनुमान, आकलन।

कुब्बुतुल इस्लाम :- इस्लाम के मुख्य शहर का गुंबद।

कुरिलतई :- उच्चाधिकारियों की सभा।

खैल :-घुड़सवार या जनजाति।

खलिसा :- राजा या केंद्र के सीधे नियंत्रणवाली भूमि जो किसी जमींदार, इक्तादार या अधिकारी को नहीं दी गई हो। आमतौर पर इसे श्सुल्तान की भूमि कहा जाता था।

खरीफ :- भारत की शीतकालीन फसल।

खातिब :- धार्मिक सम्मेलन के संचालक या अध्यक्ष।

खजाना :- कोष।

खिदमती :- सेवा या राज्यसेवा के बदले देय धनराशि, भूमि या भू-राजस्व का आवंटन।

खिलत :- सुल्तान द्वारा सम्मानस्वरूप प्रदत्त पोशाक।

खिलाफत :- खलीफा का शासन या मुसलमानों के धार्मिक प्रमुख

खिराज :- भू-राजस्व; किंतु कभी-कभी किसी अधीनस्थ शासक द्वारा सुल्तान को दी जानेवाली पेशकश या सम्मानस्वरूप अधीन शासक के रूप में देय धनराशि भी खिराज कहलाती थी।

खित्ता :- भू-भाग या भूखक्षेत्र

खुम्मार :- मदिरालयों की देखभाल करने वाले कर्मचारी।

खूत :- ग्राम प्रधानों या मुखियाओं का एक वर्ग।

ख्वाजा :- स्वामी व्यापारी या विशेष योग्यतावाले व्यक्तियों को भी सम्मानार्थ यह संबोधन प्रदान किया जाता था।

खवाजा-तश :- साथी या सहकर्मी अधिकारी।

ख्वाजा-ए-सेरा :- महल या शाही हरम में तैनात हिजड़े। इन्हें विशेष रूप से शाही हरम की सुरक्षा के लिए भर्ती किया जाता था।

गरगेज :- किलों पर कब्जे के लिए बनाया गया ढाँचा।

गज :- गज (माप)।

गज-ए-सिकंदरी :- भूमि की माप के लिए सुल्तान सिकंदर लोदी द्वारा शुरू किया गया गज जिसे बाद में कुछ संशोधनों के साथ मुगलों ने भी अपनाया।

गुलाम :- दास।

गुमाश्ता :- प्रतिनिधि या एजेंट

घड़ी :- 20 मिनट समय की अवधि।

चराई :- यह अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाया गया चराई या चा. रागाही कर था।

ध्येय IAS®
most trusted since 2003

DHYEYA IAS®
most trusted since 2003

ANNUAL SUBSCRIPTION OF PERFECT 7 CURRENT AFFAIRS MAGAZINE (FORTNIGHTLY)

About Perfect 7:

The role of Current Affairs in Civil Services has tremendously increased, in all the subjects of General Studies like Economy, Polity, Science and Technology, International Relations, Environment, etc.
Need: Knowledge of Current Affairs
Inadequate Solution: Monthly Magazines available in the Market.

Why Inadequate?

- All magazines are monthly: This means that you get to know about the event after more than one month and students are unable to match the pace with newspaper and other media.
- Not suitable for Civil Services: Events are not analyzed as these magazines also cater to the one day exams and hence they provide only factual information's.
- Too much to read in one go: A student is suddenly burdened to cover too many events in a short time which leads to stress.

Solution to all the above three issues is PERFECT 7 Magazine by Dhyeya IAS.

- Released Fortnightly: A student is abreast with the current events of the month, near real time.
- Detailed Analysis of every event: Civil Services demands a deeper understanding of events, concepts and its analyses and not just know the event and its date.
- Easy to study: Since the magazine is fortnightly, a student is saved from Information overload and can relate with the newspaper, TV and other media coverages with a profound understanding of the current happenings.

Features of PERFECT 7

Important conditions for an IAS/PCS centered magazine		PERFECT 7	OTHERS
Fortnightly	Hindi	✓	✗
	English	✓	✗
Civil Services Exam centered	Hindi	✓	*
	English	✓	*
Micro-Analysis of current issues & not a mere compilation of facts	Hindi	✓	*
	English	✓	*
Brain boosters for important issues	Hindi	✓	✗
	English	✓	✗
Multiple choice questions & their solution based on brain boosters	Hindi	✓	✗
	English	✓	✗
Case studies with model answers for Ethics	Hindi	✓	✗
	English	✓	✗
Explanation of important theories through pictures & graphics.	Hindi	✓	✗
	English	✓	✗

(* some institutes)

Annual Subscription Fee along with Courier Charges:

Cost of the Magazine:	40 x 24 = Rs 960
Price After 25% Discount	Rs 720
Courier Charges:	30 X 24 = Rs. 720
Total Charges:	**Rs 1440**

Annual Subscription Fee for Student Collecting Magazine form Mukherjee Nagar Centre:

Cost of the Magazine:	40 x 24 = Rs 960
Price After 25% Discount	Rs 720
Total Charges:	**Rs 720**

BANK ACCOUNT DETAILS

Account Holder:-	**Trueword Publication Private Limited**
Bank A/C -	**50200032675602**
IFSC:-	**HDFC0000609**

Terms and Condition:

1. Fee submitted one will not be refunded or adjusted in any condition.
2. Dhyeya IAS ensures no damage or delay during transit however some unavoidable circumstances are beyond our control. responsibility for the delay in delivery,
3. W put best efforts to make the Magazine reach to the subscribers by 10th & 25th of every month.
4. If due to COVID-19 Pandemic or any unforeseen natural disaster or by an act of God, Dhyeya IAS is not able to print the Magazine then the duration of subscription will be increased to compensate for the same.

WhatsApp 9205184003
dhyeyaias.com

AN INTRODUCTION

ध्येयIAS®
most trusted since 2003

DhyeyaIAS, one and half decade old institution, was founded by Mr.Vinay Singh and Mr. Q. H. Khan. Ever since its emergence it has unparallel track record of success. Today, it stands tall among the reputed institutes providing coaching for Civil Services Examination (CSE). The institute has been very successful in making potential aspirants realize their dreams which is evident from the success stories of the previous years.

As the nation progresses, the young generations become more conscious and aware about their career options. There is plethora of jobs and one among them is civil services, the most prestigious service in the country, which needs no introduction. It attracts many young minds hailing from almost all spectra of academic disciplines. The popular belief that the examination for this service is only meant for the brilliant lots has become a taboo as it also attracts the hardworking, sincere and disciplined minds. The saying- "In the end passion and hard work can substitute natural talent" holds true. It gives immense power and opportunity for young folks to bring about the positive changes in the society which would bring harmony and development. It inculcates values, moral, ethos and feeling of national integrity.

Quite a large number of students desirous of building a career for themselves are absolutely less equipped for the fairly tough competitive tests they have to appear in. Several others, who have a brilliant academic career, do not know that competitive exams are vastly different from academic examination and call for a systematic and scientifically planned guidance by a team of experts. Here one single move may invariably put one ahead of many others who lag behind. Dhyeya IAS is manned with qualified & experienced faculties besides especially designed study material that helps the students in achieving the desired goal.

Civil Services Exam requires knowledge base of specified subjects. These subjects though taught in schools and colleges are not necessarily oriented towards the exam approach. Classes at Dhyeya IAS are different from classes conducted in schools and colleges with respect to their orientation. Classes are targeted towards the particular exam. Classroom guidance at Dhyeya IAS is about improving the individuals' capacity to focus, learn and innovate as we are comfortably aware of the fact that you can't teach a person anything, you can only help him find it within himself.

We feel that despite brilliance and diligence, most of the students are lacking proper guidance and aptitude needed to clear Civil Services Examination. This is why, we at Dhyeya IAS amalgamated the traditional as well as modern approach of teaching by incorporating best educators of the industry ably supported by Academic Associates, Class Notes and printed Study Material, routine as well as surprise Tests. Due to its arduous efforts, Dhyeya IAS is able to carve a niche among all the civil services coaching institutes in India. Access to an institution is as important as the quality of Institution. Our faith in this philosophy made us grow. With 12 Face to Face Centers located in different parts in India, Distance Learning Program , Live Streaming Centers and Residential Academy, we have made truly pan India presence. Ever since the foundation the institute has produced a heavy pool of bureaucrats both at central and state level. Dhyeya IAS not only aims at imparting the content of civil services in best way but also nurturing the aspirants as leaders of tomorrow who have a responsibility of fulfilling the dreams of around 1.4 billion Indians. Dhyeya IAS has guided over 50,000 aspirants with more than 4000 selections in civil services. Our journey is a small contribution for the development of the society and nation by nurturing the potential civil services aspirants.

Considering the toughness of Civil Services Exam, where success rate is a meager 0.1 percent, Dhyeya IAS has continuously produced phenomenal results over the years. Year after Year Dhyeya IAS is being recognized for imparting guidance to civil services aspirants using benchmarked quality practices. On the basis of scalability, innovation, achievements, impact potential our efforts and contribution have been acknowledged and rewarded with Education Excellence Awards by ET NOW, Brands Academy, Times of India, etc. This has enhanced motivation, pride and self-esteem of entire Dhyeya family.

₹ 40

dhyeyaias.com

Face to Face Centres

North Delhi : A 12, 13, Ansal Building, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi - 110009, Ph: 9205274741/42/44 I **Laxmi Nagar :** 1/53, 2nd floor, Lalita Park, Near Gurudwara, Opposite Pillar no.23, Laxmi Nagar, Delhi -110092, Ph: 9205212500/9205962002 I **Greater Noida :** 4th Floor Veera Tower, Alpha 1 Commercial Belt., Greater Noida, UP - 201310, Ph: 9205336037/38 I **Prayagraj :** II & III Floor, Shri Ram Tower, 17C, Sardar Patel Marg, Civil Lines, Prayagraj, UP - 211001, Ph: 0532-2260189/8853467068 I **Lucknow (Aliganj) :** A-12, Sector-J, Aliganj, Lucknow, UP- 226024, Ph: 0522-4025825/9506256789 I **Lucknow (Gomti Nagar) :** CP-1, Jeewan Plaza, Viram Khand-5, Near Husariya Chauraha, Gomti Nagar, Lucknow, UP - 226010, Ph: 7234000501/ 7234000502 I **Lucknow (Alambagh) :** 58/1 , Sector-B Opposite Phoenix Mall Gate No. 3, L.D.A Colony , Alambagh Lucknow,, Ph: 7518373333, 7518573333 | **Kanpur :** 113/154 Swaroop Nagar, Near HDFC Bank, Kanpur, UP - 208002, Ph: 7887003962/7897003962 I **Gorakhpur :** Narain Tower, 2nd floor, Gandhi Gali, Golghar, Gorakhpur, Uttar Pradesh 273001, Ph: 7080847474 I B**hubaneswar :** OEU Tower, Third Floor, KIIT Road, Patia, Bhubaneswar, Odisha -751024, Ph: 9818244644/7656949029

Dhyeya IAS Now on Telegram

Join Dhyeya IAS Telegram Channel from link the given below

https://t.me/dhyeya_ias_study_material

नोट : पहले अपने फ़ोन में टेलीग्राम App Play Store से Install कर ले उसके बाद लिंक में क्लिक करें जिससे सीधे आप हमारे चैनल में पहुँच जायेंगे।

You can also join Telegram Channel through our website

www.dhyeyaias.com

www.dhyeyaias.com/hindi

ध्येयIAS
most trusted since 2003

Address: 635, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi 110009
Phone No: 9205274741, 9205274742, 9205274744